पंच माला, खंड 29, अंक 2 मंगलवार, 24 जुलाई, 1973/2 श्रावण, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIX No. 2 Tuesday, July 24, 1973/Sravana 2, 1895 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 5th
# LOK SABHA DEBATES

[ आठवां सत्र
Eighth Session ]

[ खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIX contains Nos. 1 to 10 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: दो रुपये

*Price*: Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है । ]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

# विषय सूचि/CONTENTS

## अंक 2, मंगलवार, 24 जुलाई, 1973/2 श्रावण, 1895 (शक)

No. 2, Tuesday, July 24, 1973/Sravana 2, 1895 (Saka)


| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| **ता० प्रश्न संख्या S. Q.Nos.** | | |
| 21. बरौनी से दिल्ली तक एक एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव | Proposal for running an Express Train from Barauni to Delhi .. | 1–2 |
| 22. कृष्णा और गोदावरी न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट दिये जाने तक महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी | Clearance of Major Irrigation Projects in Maharashtra and Andhra Pradesh pending Awards of Krishna and Godawari Tribunals .. .. | 2–6 |
| 23. त्रिपुरा के बारामूरा में तेल की खोज | Exploration for Oil at Baramura in Tripura .. .. | 6–8 |
| 24. रेलवे की नौकरियों में अल्प संख्यकों तथा हरिजनों का उचित प्रतिनिधित्व | Fair Representation to Minorities and Harijans in Railway Jobs .. | 8–14 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| 25. कोर्ट डिले हैल्पस क्रिमिनल्स नामक समाचार | News Report entitled Court delay helps Criminals .. .. | 14 |
| 26. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी विषयक समिति का प्रतिवेदन | Report of Committee on Power shortage in Rural Areas | 15 |
| 27. मतदान के लिये आयु सीमा को घंटाना | Lowering of Voting Age | 15 |
| 28. ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र की क्षमता को दुगुना करने का प्रस्ताव | Proposal of double the capacity of Trombay Fertilizer Plant | 15 |
| 29. मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी के बीच सीधे रेल संपर्क के संबंध में ज्ञापन | Memorandum regarding Direct Rail Link between Muzaffarpur and Sitamarhi .. .. .. | 16 |
| 30. दुर्गापुर उर्वरक परियोजना में उत्पादन आरम्भ होने में विलम्ब | Delay in Commencement of Production at the Durgapur Fertilizer Project .. .. | 16 |


किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+ marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| ता० प्र० संख्या S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 31. | बिजली संकट को पुनरावृत्ति रोकने तथा बिजली अधिक पैदा करने के लिये राज्य बिजली बोर्ड को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव | Proposal for Toning up State Electricity Boards to avert Recurring Power crisis and to increase power generation .. .. .. | 16–17 |
| 32. | मिट्टी के तेल की कमी | Shortage of Kerosene .. | 17 |
| 33. | दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा जून, 1973 में हड़ताल | Strike by DESU employees in June, 1973 .. | 17 |
| 34. | पाकिस्तान द्वारा पूंछ नहर को बन्द किया जाना | Blocking of Poonch Canal by Pakistan | 18 |
| 35. | पांचवीं योजना में एरणाकुलम को अलेप्पी और कायंमकुलम से मिलाने वाली तटीय रेलवे | Coastal Railway connecting Earnakulam with Alleppy and Kayamkulam in Fifth Plan .. | 18 |
| 36. | लोअर दामोदर क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण प्रबन्धों का पूरा किया जाना | Completion of Flood Control measures in Lower Damodar Region | 18 |
| 37. | गरीबों को वकीलों की निशुल्क सेवा उपलब्ध कराने सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट | Report of Committee on Free Legal Assistance to the Poor .. | 19 |
| 38. | डालखोला, उत्तर बंगाल में तापीय परियोजना की स्थापना | Setting up of Thermal Project at Dalkhola in North Bengal .. | 19–20 |
| 39. | 25 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली औषध निर्माता फर्मों को सी०ओ०बी० लाइसेंस दिये जाना | COB Licences issued to Drug Manufacturing Firms with Foreign equity exceeding 25 per cent .. | 20 |
| 40. | आप्टा से मंगलौर तक पश्चिम तटीय रेलवे का निर्माण | Construction of West Coast Railway from Apta to Mangalore .. | 20 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | | |
|---|---|---|---|
| 201. | विदेशी औषध निर्माता फर्मों द्वारा अनधिकृत उत्पादन | Unauthorised production by Foreign drug manufacturing Firms .. | 20–21 |
| 202. | अनधिकृत उत्पादन के लिये औषध निर्माता फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाही | Action taken against the drug manufacturing firms for unauthorised production .. .. | 21 |
| 203. | मनीपुर में तेल के निक्षेपों का सर्वेक्षण | Survey for Oil Reserves in Manipur | 21 |
| 204. | पतरातू और बरौनी ताप विद्युत संयंत्रों में तोड़ फोड़ | Sabotage in Patratu and Barauni Thermal Power Plants .. | 22 |
| 205. | अखिल भारतीय रेलवे यात्री एसोसिएशन से ज्ञापन | Memorandum from All India Railway passengers Association | 22 |
| 206. | फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड त्रावनकोर के कारखाने के चलने में गड़बड़ी उत्पन्न होना | Defective running of the Fertilizers and Chemicals Limited, Travancore .. .. .. | 22 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 207. | केरल की वामनपुरम सिंचाई परियोजना को पांचवीं योजना में शामिल किया जाना | Inclusion of Vamanapuram Irrigation project of Kerala in Fifth Plan .. | 23 |
| 208. | केरल में सिंचाई परियोजनायें | Irrigation projects in Kerala | 23 |
| 209. | उत्तरी बम्बई में मिट्टी के तेल के गोदाम में आग का लगना | Fire in the Kerosene Oil godown in North Bombay .. .. | 23 |
| 210. | इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, दिल्ली से ईंधन का चोरी हो जाना | Fuel swindled out of Indraprastha Power House, Delhi .. | 24 |
| 211. | कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कानपुर और अमृतसर में जालसाजों द्वारा आरक्षित टिकटों का खरीदा जाना | Reservation tickets bagged by racketeers in Calcutta, Delhi, Madras, Bombay, Kanpur and Amritsar .. | 24 |
| 212. | फरक्का बांध के द्वारा गंगा नदी का पानी भागीरथी नदी की ओर मोड़ने के लिये बंगला देश के साथ समझौता | Agreement with Bangladesh on diversion of Ganges water to Bhagirathi through Frakka Barrage .. | 24–25 |
| 213. | उर्वरक कारखानों के स्थापना स्थल तथा उनका उत्पादन | Location of Fertilizer factories and their production .. | 25 |
| 214. | भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धकों का चयन | Selection of Managers of Fertilizer Corporation of India .. | 26 |
| 216. | फैजाबाद में देहरादून एक्सप्रेस के साथ तीन बोगियों का जोड़ा जाना | Attaching three bogies to Dehradun Express at Faizabad .. .. | 26 |
| 217. | सरजू-एक्सप्रेस की रफतार को बढ़ाना | Increasing the speed of Sarju Express .. .. .. | 26 |
| 218. | मथुरा के तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य में प्रगति | Progress on Oil Refinery at Mathura | 26–27 |
| 219. | शारदा सहायक परियोजना | Sarda Sahayak Pariyojana .. | 27 |
| 220. | तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा त्रिपुरा में कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण | Construction of Staff Quarters by O& NGC in Tripura .. | 27–28 |
| 221. | धर्मनगर से कुमारघाट तक रेलवे लाइन का निर्माण | Construction of Railway Line from Dharamnagar to Kumarghat .. | 28 |
| 222. | दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना | Power Failure in Delhi .. | 28–29 |
| 223. | कानपुर-आगरा रेलवे सेक्शन पर इस्तेमाल किये गये टिकटों की पुन: बिक्री करने वाला गिरोह | Racket for resale of used Tickets on Kanpur-Agra Railway Section.. | 29 |
| 224. | उर्वरक निगम द्वारा लेखाबाह् धन एकत्र करने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन | CBI Report on undocumented Collection of Money by Fertilizer Corporation .. .. | 29–30 |
| 225. | विदेशी व्यापारिक कम्पनियों के विरुद्ध उर्वरक निगम द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में समाचार | News item regarding allegations by Fertiliser Corporation against Foreign Business Lobbies .. | 30 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 226. | पश्चिम बंगाल में (एविएशन) ईंधन में मिलावट के कारण मिट्टी के तेल की कमी | Shortage of Kerosene due to Aviation Fuel Adulteration in West Bengal .. .. .. | 30 |
| 227 | विखरौली स्टेशन (मध्य रेलवे) पर गाड़ियों की टक्कर | Collision of trains at Vikhroli Station (Central Railway) .. | 30–31 |
| 228. | भारत रक्षा नियम के अधीन रेलवे को अत्यावश्यक सेवा घोषित करना | Declaration of Railways as Essential Services under DIR .. .. | 31 |
| 229. | कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रेलगाड़ी सेवा में गड़बड़ी से हुई हानि | Loss due to dislocation of Train Services as a result of Employees Strike .. .. | 31 |
| 230. | पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि और उपभोक्ताओं पर उसका प्रभाव | Increase in prices of Petroleum Products and its Impact on Consumer. .. .. .. .. | 32 |
| 231. | वेतन आयोग द्वारा रेलवे कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के प्रश्न पर विचार | Consideration of bonus payment to Railway Employees by pay Commission .. .. .. | 32 |
| 232. | राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना | Setting up of National Power Grid .. | 32–34 |
| 233. | राजनगर, गाजियाबाद में सड़कों पर बिजली के खम्बों तथा घरों में बिजली के स्थायी कनेक्शनों का लगाया जाना | Installation of street poles and permanent domestic power connections in Raj Nagar, Ghaziabad. .. | 34 |
| 234. | सरकारी उपक्रमों के लिये पृथक कम्पनी कानून | Separate Company Law for Government Undertakings .. .. .. | 34 |
| 235. | बिहार में बागमती नदी परियोजना की क्रियान्विति | Execution of Bagmati River Project in Bihar .. .. .. | 35 |
| 236. | रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को निःशुल्क यात्रा की सुविधायें | Free travelling facilities to railway employees and their families .. | 35 |
| 237. | भूतपूर्व कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधायें | Facilities of free travelling to ex-employees .. .. .. | 35 |
| 238. | देश में बिजली संकट | Power crisis in the country | 35–36 |
| 239. | चौथी और पांचवीं योजनाओं में पूरी होने वाली उर्वरक परियोजनायें | Fertilizer projects scheduled to be completed during Fourth and Fifth Plans .. .. .. | 36–37 |
| 240. | पूजा की छुट्टियों में यात्रा के लिये रेलवे में स्थानों का अग्रिम आरक्षण | Advance reservation of Railway Accommodation for Travel during Puja Vacations .. .. .. | 37–38 |
| 241. | आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन की मांगें | Demands of All India Loco Running Staff Association .. .. . | 38 |
| 242. | सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में वैगन निर्माण उद्योग की क्षमता | Capacity of Wagon Building Industry in Public and Private Sectors .. | 38 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 243. | मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के लिये महानगरीय रेलवे योजना में प्रगति | Progress made on Methropolitan Railways for Madras, Calcutta and Bombay .. .. | 39 |
| 244. | दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे में वैगनों की कमी को दूर करने के लिये की गई कार्यवाही | Steps taken to meet Wagon Shortage in Southern and South Central Railways .. .. .. | 39 |
| 245. | चौथी योजना के लिये विद्युत उत्पादन के लक्ष्य | Targets for Power Generation for 4th Plan .. .. .. | 39–40 |
| 246. | तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए बिजली पैदा करने संबंधी प्रस्ताव | Power Generation proposals submitted by Tamil Nadu Government | 40 |
| 247. | माल लाने ले जाने के लिये वैगनों की मांग | Demand for Wagons or Transportation of Goods .. .. .. | 40 |
| 248. | मथुरा के व्यापारियों को आगरा में वैगनों की सप्लाई | Supply of Wagons at Agra against Traders demand at Mathura .. | 41 |
| 249. | मिट्टी के तेल का आयात | Import of Kerosene Oil | 41 |
| 250. | बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में रेल पटरियों की सफाई करने पर व्यय | Expenditure on Clearance of Railway Tracks in Bikaner Division (Northern Railway) .. .. | 41 |
| 251. | थी गवर्नमेंट यूनिट एन्गेज्ड इन पासिंग द बक शीर्षक के अन्तर्गत समाचार | News item captioned Three Government Units engaged in passing the Buck .. .. .. .. | 41–42 |
| 252. | बोनस के भुगतान के लिये रेलवे कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन | Agitation by Railway Employees for Payment of Bonus .. .. | 43 |
| 253. | पूर्व रेलवे में रेलगाड़ियों में डकैती | Robbery in Trains in Eastern Railway | 43 |
| 254. | अशोधित तेल की कमी को दूर करने के लिये की गई कार्यवाही | Steps taken to meet shortage of Crude Oil .. | 43–44 |
| 255. | पूर्वोत्तर रेलवे के लिये बिहार में रेल सेवा आयोग | Railway Service Commission in Bihar for North Eastern Railway .. .. | 44 |
| 256. | रेलवे के लिये रेलवे एस्टेब्लिशमेंट सर्विस की स्थापना | Setting up of Railway Eastablishment Service for Railways .. .. | 44 |
| 257. | विदेशी इक्विटी पूंजी वाली फर्मों को सी०ओ०बी० लाइसेंस देना | Issue of COB Licences to Firms having Foreign Equity .. .. .. | 44–45 |
| 258. | औषध निर्माता कारखानों से सी०ओ०बी० लाइ०-सेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति | Receipt of applications for COB Licences from Drug Manufacturing Units .. .. .. | 45 |
| 259. | बिजली घरों में बिजली का बन्द किया जाना | Tripping of Electricity in Power Houses .. .. .. | 46 |
| 260. | केरल उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति | Retirement of former Chief Justice of Kerala High Court .. .. | 46 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 261. | शा वेलेस मिस्ट्री डीपन्स शीर्षक के अन्तर्गत समाचार | News Report Captioned Shaw Wallace Mystery deepens .. .. .. | 46–47 |
| 262. | केरल के समुद्री तट पर तट से दूर तेल की खुदाई करने सम्बन्धी प्रस्ताव | Proposal for off shore drilling in Kerala Coast .. .. | 47 |
| 263. | कन्या कुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण तथा त्रिवेन्द्रम एर्नाकुलम लाइन का ब्राड गेज में बदला जाना | New Railway line between Cape and Trivandrum and conversion of Trivandrum Ernakulam line into Broad Gauge .. .. | 47–48 |
| 264. | सुन्दरबन में रेलवे लाइनें बिछाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के पत्र | West Bengal Government's Letters for Railway Lines in Sunderbans | 48 |
| 265. | विदेशी तेल कम्पनियों की अशोधित तेल का मूल्य बढ़ाने की मांग | Demand from Foreign Oil Companies for raising price of Crude Oil .. .. .. | 48–49 |
| 266. | शा वेलेस बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत समाचार | News item entitled Shaw Wallace Board .. .. .. | 49 |
| 267. | भारत नेपाल संयुक्त नदी परियोजनाओं के अन्तर्गत लाभ | Benefits under Indo-Nepal Joint River Projects .. | 49–50 |
| 268. | आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के बीच नदी जल विवाद की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये ट्रिब्यूनल द्वारा वांचू समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाना | Consideration of Wanchoo Committee Report by Tribunal Appionted to go into the river water dispute among Andhra Pradesh, Mysore and Maharashtra .. .. | 50 |
| 269. | आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के बीच नदी विवादों विषयक न्यायाधिकरण के कार्य की प्रगति | Progress made by the Tribunal on River Disputes among Andhra Pradesh, Mysore and Maharashtra.. | 50 |
| 270. | इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यिूटिकल्स में नई कृत्रिम औषधियों तथा प्रतिजीवाणु औषधियों का उत्पादन | Production of New Synthetic Drugs and Antibiotics in IDPL .. | 50 |
| 271. | गुजरात में शिल्पकारों को पेट्रो रसायन और रसायन प्रोद्योगिकी में प्रशिक्षण देने हेतु संस्था की स्थापना के लिये केन्द्रीय सहायता | Central Assistance for Setting up an Institute for training Craftsmen in Petro chemicals and Chemicals Technology in Gujarat .. .. | 51 |
| 272. | मैसूर राज्य को मिट्टी के तेल की सप्लाई | Supply of Kerosene to Mysore State | 51 |
| 273. | एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उदार बनाया जाना | Relaxation of MRPT Act .. .. | 51 |
| 274. | व्यापार गृहों द्वारा उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव | Proposals from Business Houses for Setting up Fertilizer Plants .. .. | 52 |
| 275. | कुकिंग गैस के मूल्य में वृद्धि | Increase in prices of Cooking Gas .. | 52 |
| 276. | ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा बिरसा (मध्य प्रदेश) के आस पास के ग्रामों के लिये दो लघु परियोजनाओं की स्वीकृति | Sanction of Two Mini Projects by Rural Electrification Corporation for Villages Around Birsa (M.P.) .. .. .. | 52–53 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 277. | बिहार में रेलगाड़ियों का देरी से चलना | Late Running of Trains in Bihar .. | 53 |
| 278. | दूसरी श्रेणी के यात्री डिब्बों के समाप्त किये जाने के फलस्वरूप रेल कर्मचारियों की यात्रा की श्रेणी की पात्रता | Entitlement of Class for Travelling by Railway Employees on Abolition of Second Class Compartments .. .. .. | 53 |
| 279. | बिहार में गांवों का विद्युतीकरण | Electrification of Villages in Bihar .. | 53–54 |
| 280. | बिहार में बीरपुर से बिहपुर तक नई रेलवे लाइन | New Railway line from Birpur to Bihpur in Bihar .. .. | 54 |
| 281. | पूर्वोत्तर रेलवे में यात्री गाड़ियों का विलम्ब से चलना | Late Running of Trains in North Eastern Railway .. .. | 54–55 |
| 282. | बड़ौदा में भारतीय पेट्रो रसायन निगम द्वारा एक प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना | Setting up of a Pilot Plant by the Indian Petrochemicals Corporation in Baroda .. .. | 55 |
| 283. | गुजरात में भड़ौच स्थान पर पेट्रो रसायन संयंत्र की स्थापना | Setting up of a Petro Chemical Plant at Broach in Gujarat .. | 55 |
| 284. | बर्मा ग्रायल कम्पनी द्वारा इक्विटी शेयरों का छोड़ना | Surrender of Equity Shares by Burmah Oil Company .. .. | 56 |
| 285. | राज्य विद्युत मण्डलों के ग्रध्यक्षों का नई दिल्ली में हुग्रा सातवां वार्षिक सम्मेलन | Seventh Annual Conference of Chairmen of State Electricity Boards in New Delhi .. | 56–58 |
| 286. | भारत में तेल की खोज के संबंध में ग्रन्तर्राष्ट्रीय फर्मों से बातचीत | International Firms Approached for Oil Exploration in India | 59 |
| 287. | ट्रैक्टरों को चलाने के लिये मिट्टी के तेल की कमी | Shortage of Kerosene for Operating Tractors .. .. | 59 |
| 288. | रेलवेज में खान पान की व्यवस्था एक सरकारी क्षेत्र के निगम को सौंपना | Entrusting Railway Catering to a Public Sector Corporation .. | 59 |
| 289. | ग्ररब सागर में बम्बई हाई स्ट्रक्चर में पहले कुएं की खुदाई | Spudding of the First Well on the Bombay High Structure in Arabian Sea .. .. | 59–60 |
| 290. | इण्डियन एक्सप्रैस कम्पनी समूह के निदेशकों के विरुद्ध ग्रारोपों की जांच | Investigation into Charges against Directors of Indian Express Group of Companies .. | 60–61 |
| 291. | उर्वरक उद्योग में पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन | Review of Policy with regard to Investment in Fertilizer Industry.. | 61 |
| 292. | ग्रशोधित तेल के मूल्यों में पश्चिमी देशों की तेल कम्पनियों द्वारा स्वीकृत वृद्धि | Increase in price of Crude Oil agreed to by Western Oil Companies .. .. | 61 |
| 293. | ग्रशोधित तेल के ग्रायात के लिये ईराक तथा सऊदी ग्ररब के साथ करार | Agreement with Iran and Saudi Arabia for Import of Crude Oil.. | 61 |
| 294. | एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें ग्रधिनियम में संशोधन | Amendment to MRPT Act | 62 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 295. | कुछ विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा अपनी विदेशी पूंजी में कमी करना | Reduction of Foreign Capital by some Foreign Drug Companies.. | 62 |
| 296. | उत्तरी क्षेत्र से खाद्यान्नों को लाने के लिये मैसूर सरकार को वैगनों का आवंटन | Allotment of Wagons to Mysore Government for Movement of Grains from North | 62–63 |
| 297. | हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार | Expansion of Haldia Refinery | 63 |
| 298. | मंगलौर कैमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव | Proposal for Expansion of the Mangalore Chemicals and Fertilizers .. .. | 63 |
| 299. | दामोदर घाटी निगम तथा कांशावली परियोजना में बनाये गये जलाशय | Reservoirs built in DVC and Kanshabali Project .. .. | 63–64 |
| 300. | ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान विद्युत टैरिफ | Uniform Power Tariff in Rural Areas .. .. | 64 |
| 301. | निर्धन व्यक्तियों के उपयोग में आने वाले पैट्रोलियम उत्पादनों के मूल्यों में कमी करना | Reduction in price of Petroleum Products which affect poor people .. .. | 64 |
| 302. | वैगन शार्टेज हिट्स कोल डिलीवरी शीर्षक के अन्तर्गत समाचार | News Report Captioned Wagon Shortage Hits Coal Delivery | 64–65 |
| 303. | एससो को सरकारी नियंत्रण में लेना | Taking over of Esso | 65 |
| 304. | मई, 1973 में लोको कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रेलवे को हानि | Loss to Railways due to strike of loco Staff in May, 1973. | 65 |
| 305. | कानून के शिक्षा सम्बन्धी समान पाठ्यक्रम और विधि के छात्रों का हिन्दी माध्यम से अध्यापन | Common Syllabi in Law and Teaching Law students in Hindi Medium | 65–66 |
| 306. | विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण | Nationalisation of Foreign Oil Companies .. .. | 66 |
| 307. | लीलुआ रेलवे वर्कशाप (पश्चिम बंगाल) के श्रमिकों को मजूरी की अदायगी न करना | Non payment of wages to workmen of Lilooah Railway workshop (West Bengal) .. .. | 66 |
| 308. | कच्चे तेल के आयात के लिये ईरान के साथ बातचीत | Negotiations with Iran for Import of Crude Oil .. .. | 67 |
| 309. | रेल डिब्बों की छतों पर बैठकर यात्रा करने वाले यात्री | Passengers travelling on Roofs of Trains .. .. | 67 |
| 310. | नये तेल भंडारों का पता लगाने के लिये विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेना | Seeking help of Foreign Exports to Locate New Oil Reserves .. | 67–68 |
| 311. | बिजली की कमी पूरी करने के लिये बिहार के बिजली मंत्री का धन के लिये अनुरोध | Requests for Funds by Power Minister of Bihar to meet Power Shortage.. .. .. | 68 |
| 312. | रेलवे सुरक्षा बल की शिकायतों की जांच के लिये समिति | Committee to look into grievances of RPF. | 68 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|
| 313. पोंग बांध के विस्थापितों का पुनर्वास | Rehabilitation of Pong Dam Oustees .. .. .. | 69 |
| 314. भाखड़ा बांध में गाद जम जाना | Silting in Bhakra Dam | 69 |
| 315. मीटर गेज रेलवे लाईनों को ब्राड गेज लाईनों में बदलना | Conversion of Metre Gauge Lines into Broad Gauge Lines | 69–70 |
| 316. भाखड़ा बांध परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा गोविन्द सागर झील के किनारों को सुन्दर बनाना | Beautification of Banks of Gobind Sagar Lake by Bhakra Dam Project Authorities .. | 70 |
| 317. ग्रायल इण्डिया लि० के पुनर्गठन के बारे में बर्मा ग्रायल कम्पनी के साथ समझौता | Agreement with Burmah Oil Company to reorganise Oil India Ltd. | 70 |
| 318. भाखड़ा बिजली घर में लगे टर्बाइन यूनिटों के ब्लेडों में ग्राई दरारों के कारणों की जांच | Enquiry into the causes of Cracks in Blades of Turbine Units installed at Bhakra Power Plant .. | 70–71 |
| 319. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड का विस्तार करने हेतु भारत ग्रौर रूस के बीच समझौता | Indo Soviet Agreement on Expansion of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited .. | 71 |
| 320. 1972–73 तथा 1973–74 में बिहार में नई रेलवे लाइनें | New Railway Lines in Bihar during 1972-73 and 1973-74 .. | 71 |
| 321. कूचगांव में स्थापित की जाने वाली वारना सिंचाई परियोजना के स्थापना स्थल में परिवर्तन | Change of Site of Warana Irrigation project from Kuchgaon | 71 |
| 322. जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र में क्यामवाडी बांध परियोजना के स्थापना स्थल में परिवर्तन | Changes in Site of Kayamwadi Dam Project in Kolhapur Distt. Maharashtra .. | 72 |
| 323. ईराक में हाल ही में प्राप्त तेल रियायत के कार्य के लिये संगठन की व्यवस्था | Machinery to handle newly acquired Oil Concessions in Iraq | 72 |
| 324. मीठापुर उर्वरक परियोजना के लिये टाटा बन्धुग्रों द्वारा वित्तीय छूट का ग्रनुरोध | Fiscal Concession asked for by Tatas for Mithapur Fertilizer Project .. .. | 72 |
| 325. पूर्वी कोसी नहर के तल में गाद का जमा हो जाना | Silt Deposits on the Bed of Eastern Kosi Canal .. .. | 73 |
| 326. बैचल्स कारपोरेशन ग्राफ यू०एस०ए० के सब एजेन्टों को मथुरा शोधनशाला का पाईप लाइन कार्य सौंपना | Entrusting the pipeline job of Mathura Refinery to Sub-Agent of the Bachtles Corporation of USA .. .. | 73 |
| 327. उत्तर प्रदेश के उद्योगों को वैगनों की कमी का संकट | Industries in U.P. facing Wagon Shortage. .. | 73–74 |
| 328. मुरादाबाद डिवीजन में सिसोना रेलवे स्टेशन का लूटा जाना | Looting of the Sisouna Railway Station in Moradabad Division.. | 74 |
| 329. 28-ग्रप वाराणसी एक्सप्रेस के 15 यात्रियों की मृत्यु | Death of 15 passengers of 28-Up Varanasi Express .. | 74 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 330. | गुजरात में और अधिक बिजली संयंत्रों की स्थापना | Setting up of more power plants in Gujarat .. .. .. | 74–75 |
| 331. | उर्वरकों की आवश्यकता | Requirements of Fertilizers | 75 |
| 332. | दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के समक्ष कोयले की कमी का संकट | Coal Shortage faced by DESU | 75–76 |
| 333. | तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन | Reorganisation of the Oil and Natural Gas Commission | 76 |
| 334. | पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारि | Recommendations of the Expert Committee on prices of Petroleum Products | 76 |
| 335. | उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत | Per Capita Availability and Consumption of Electricity in North Bihar | 76–77 |
| 336. | कमला नदी पर बांध का निर्माण और प्रस्तावित पश्चिमी कोसी नहर को कमला नदी के साथ मिलाना | Construction of Dam over River Kamala and connecting the proposed Western Kosi Canal with Kamala .. | 7 |
| 337. | कोसी नदी के ऊपरी क्षेत्र में पन बिजली परियोजना का निर्माण | Construction of Hydel Project in upper reaches of River Kosi | 78 |
| 338. | आसाम के बोंगाईगांव के पैट्रोकैमिकल समूह के लिये पृथक कम्पनी की स्थापना | Setting up of a Separate Company for Petro Chemical Complex at Bongaigaon in Assam .. | 78 |
| 339. | समुद्र तट से दूर तेल की खोज के लिये विदेशी फर्मों द्वारा सहयोग देने की पेशकश | Offers of Collaboration from Foreign Firms for Off shore Oil Exploration | 78 |
| 340. | सऊदी अरब के सहयोग से तेल शोधनशाला की स्थापना | Setting up of a Refinery in Collaboration with Saudi Arabia | 78 |
| 341. | गंगा और कावेरी को मिलाने वाले जल ग्रिड के बारे में राज्य सरकारों के विचार | State Governments comments on water grid linking Ganges with Cauvery | 79 |
| 342 | बिजली संयंत्रों के लिए उपकरणों का आयात | Import of Power Equipment for Power Plants .. .. | 79 |
| 343. | उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि की सिंचाई | Irrigation of Land in U.P. and Maharashtra .. | 79 |
| 344. | हड़तालों आदि के कारण 1 जनवरी, 1973 से 30 जून, 1973 तक रेलवे को श्रम घंटों तथा धन की हुई हानि | Loss of Man Hours and Monetary Loss to Railways from 1st January to 30th June, 1973 due to Strikes etc. | 80 |
| 345. | रेल कर्मचारियों में हड़ताल करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए टी०ए० यूनिटों को दक्ष बनाना | Streamlining of TA Units in view of growing tendency among railway employees to resort to strike .. | 80 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Page |
|---|---|---|---|
| 346. | बाराबंकी मुजफ्फरपुर मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना | Conversion of Barabanki-Muzaffarpur Metre Gauge Line into Broad Gauge .. .. | 80 |
| 347. | रेल कर्मचारियों के कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिए अपनाये जाने वाले सिद्धान्त | Principles observed in recognising Trade Unions of Railway Staff.. | 80–81 |
| 348. | पांचवीं योजना में सिंचाई के लिए व्यवस्था | Provision for Irrigation during Fifth Plan .. .. | 81 |
| 349. | रेंगाली परियोजना का केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदन | Clearance of Rengali Project by CW&PC and Planning Commission .. .. .. | 81–82 |
| 350. | उड़ीसा में भीमकुन्ड बांध के लिए स्थानों का केन्द्रीय दल द्वारा दौरा | Visit of Central Team to Sites of Bhimkund Dam in Orissa .. | 82 |
| 351. | कटक-पारादीप रेलवे पर माल यातायात | Movement of Goods Traffic on Cuttack-Paradip Rail Link .. | 82 |
| 352. | पांचवीं योजना के दौरान नई रेलवे लाइनें बिछाने सम्बन्धी प्रस्ताव | Proposals for New Railway Line during Fifth Plan .. .. | 82 |
| 353. | दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड द्वारा उत्पादित दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को बिजली की सप्लाई | Supply of Power generated by Durga pur projects Ltd., to Durgapur Steel Plant .. | 82–83 |
| 354. | डीजल रेल इंजनों के उत्पादन में कमी | Shortfall in Production of Diesel Locomotives .. .. | 83 |
| 355. | ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए चौथी योजना का लक्ष्य | Fourth Plan Target for Rural Electrification .. .. | 83 |
| 356. | केरल में नया रेलवे वैगन कारखाना | New Railway Wagon Factory in Kerala .. .. .. | 84 |
| 357. | ड्रग मैगनेट्स आउट टू मेलाइन स्माल फर्म्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार | News regarding Drug Magnates out to Malign Small Firms .. | 84 |
| 358. | देशी संयंत्र और उपकरणों के सम्बन्ध में विद्युत मंत्रियों को समिति का प्रतिवेदन | Report of Committee of Power Ministers on Indigenous Plant and Equipment .. .. | 84–86 |
| 359. | रेल आफिसर्स रेस्टिव संबंधी समाचार | News Item Rail Officers Restive | 87 |
| 360. | सिंचाई क्षमता के कम उपयोग के बारे में वसन्त राव पाटिल समिति का प्रतिवेदन | Report of Vasant Rao Patil Committee on Under Utilisation of Irrigation Potential .. .. | 87 |
| 362. | पांचवीं योजना के दौरान डीजल इंजनों का आयात | Import of Diesel Locomotives during Fifth Plan Period. | 87–88 |
| 363. | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के महामंत्री तथा अन्य नेताओं की गिरफतारी | Arrest of General Secretary, All India Loco running Staff Association and other Leaders on North East Frontier Railway .. | 88 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 364. | रेलों में अपराधों को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन | Re-organisation of RPF to check crime on Railways .. . | 88 |
| 365. | फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर में औद्योगिक सुरक्षा दल की नियुक्ति के कारण सुरक्षा गार्डों का बेरोजगार होना | Security Gaurds rendered jobless due to posting on Industrial Security Force in the Fertilsers and Chemicals Ltd., Travancore | 88–89 |
| 366. | देश में बिजली संकट के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति | Appointment of a Committee to inquire into causes of break-down of Power in the country | 89 |
| 367. | केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पुनर्गठन के लिए भगवन्तम समिति की सिफारिशें | Bhagvantum Committee's Recommendation for reorganisation of C.W.&P.C. .. | 89 |
| 368. | एफ०ए०सी०टी० के कोचीन डिवीजन को चालू करने में विलम्ब | Delay in Commissioning of the Cochin Division of FACT | 89–90 |
| 369. | ईरान और पश्चिमी देशों के तेल संघ के बीच हुए करार का भारत-ईरान अशोधित तेल संधि पर प्रभाव | Impact of the agreement signed between Iran and Western Oil Consortium on Indo Iran Crude Oil Treaty .. .. | 90 |
| 370. | क्रय विभाग के सहायक स्टोर अधिकारी को दिल्ली में रहने की समय सीमा | Time Limit for Stay of Assistant stores Officer of Purchase Department of Delhi. .. .. | 90 |
| 371. | उत्तर रेलवे में उप स्टोर-नियंत्रक क एक स्टेशन पर नियुक्त रहने की समय सीमा | Tenure for serving at one station by Deputy Controller of Stores (Northern Railway) .. .. | 90 |
| 372. | समुद्री ज्वार के प्रभाव के कारण गुजरात तेल शोधक कारखाने और गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी में संकट | Crisis in Gujarat Refinery and Gujarat State Fertilizer Company due to Tidal Effect. .. | 91 |
| 373. | पनचेत विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए तेनू घाट बांध से पानी का रोका जाना | Water withheld from Tenughat Dam for Panchet Generating Station. .. .. | 91 |
| 374. | नीड फार क्वालिटी ड्रग कन्टनर्स स्ट्रैस्ड शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार | News item captioned need for quality drug containers stressed.. | 91–92 |
| 375. | बोम्बे हाई में गहरे समुद्र में तट दूर खुदाई. | Off shore Drilling in Bombay High | 92 |
| 376. | कोचीन के निकट पैट्रो रसायन उद्योग समूह स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण के लिए केरल सरकार से अनुरोध | Request from Government of Kerala for Survey to set up a Petro Chemical Complex around Cochin .. .. | 92 |
| 377. | थन्नीरमुक्कम बांध का निर्माण कार्य | Construction work on Thannirmukkam Bund .. .. | 92–93 |
| 378. | पांचवीं योजना के दौरान कोचीन में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना | Setting up of a Fertilizer Unit in Cochin during Fifth Plan .. | 93 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 379. | क्विलोन स्टेशन से माल के लाने ले जाने के लिए वैगनों का आवंटन | Allotment of Wagons for Movement of Goods from Quilon Station .. | 93 |
| 380. | प्रत्येक जोनल रेलवे के लिए पृथक रेलवे सेवा आयोग | Separate Railway Service Commission for Each Zonal Railway | 93–94 |
| 381. | हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा सोडियम ट्रिपोली फासफेट का बनाया जाना | Manufacture of Sodium Triopoly Phosphate by Hindustan Lever Limited .. .. | 94 |
| 382. | सिगनल व्यवस्था के कारण बम्बई नगर में 31 मई और 4 जून, 1973 को रेल गाड़ियों की दुर्घटनाएं | Railway Train Accidents in Bombay City on 31st May and 4th June, 1973 due to Signalling System.. | 94 |
| 383. | नेपाल के सीमा क्षेत्र में राप्ती नदी पर जलकुन्दु विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में सम्भाव्यता प्रतिवेदन | Feasibility Report of Jalkundu Power project over River Rapti in Nepal Territory .. | 94–95 |
| 384. | नेपाल की करनाली परियोजना में उत्पादित बिजली की खरीद | Purchase of Electricity produced in Karnali Project in Nepal .. | 95 |
| 385. | उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति | Appointment of Judges of High Courts and Supreme Court .. | 95 |
| 386. | जून, 1973 में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में प्रादेशिक सेना के यूनिटों द्वारा रेलगाड़ियां चलाया जाना | Train Services run by T.A. Units in North-east Frontier Railway in June, 1973. .. .. | 95–96 |
| 387. | नई दिल्ली के वर्तमान कोयला यार्ड का स्थानान्तरण | Shifting of the present Coal Yard at New Delhi .. .. | 96 |
| 388. | शाहदरा में रेलवे लाइन के किनारे गंदी बस्तियां | Slum along Railway Track in Shahdara .. .. | 96 |
| 389. | दिल्ली में सीमेंट के लिए नई साइडिंग की व्यवस्था करना | Setting up of New Sidings for Cement in Delhi .. .. | 96–97 |
| 390. | दिल्ली में इस्पात के लिए नई साइडिंग की व्यवस्था | Setting up of New Sideings for Steel in Delhi .. .. | 97 |
| 391. | दिल्ली में कोयले के लिये नई साइडिंग की व्यवस्था करना | Setting up of New Sidings for Coal in Delhi .. .. | 97 |
| 392. | सरकार द्वारा आयल इण्डिया को अधिकार में लेना | Take over of the Oil India by Government .. .. | 97 |
| 393. | बिहार में रेलवे के संचालन में कुशलता | Operational efficiency of Railways in Bihar .. .. | 98 |
| 394. | लोको कर्मचारियों की हड़ताल तथा कोयले के भंडार को बचाये रखने के कारण रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना | Trains cancelled due to Loco Staff Strike and Conserving Stocks of Coal .. .. | 98 |
| 395. | पांचवीं योजना में अतिरिक्त विद्युत की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य | Target of additional generating capacity in Fifth Plan .. | 98 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 396. | केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन योजनाओं को स्वीकृति देना | Clearance of Power generating schemes by Central Water and Power Commission .. | 99 |
| 397. | कतिपय औषधियों और भेषजों के लिये लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाना | Liberalisation of licensing policy in respect of certain Drugs and Pharmaceutical items .. | 99 |
| 398. | तारापुर के निकट स्विचयार्ड तथा नवसारी (गुजरात) स्थित बिजली प्राप्त करने वाले केन्द्र का निरीक्षण करने के लिये केन्द्रीय दल | Central team to inspect Switchyard near Tarapur and the power receiving station at Navasari (Gujarat) .. | 99–100 |
| 399. | गुजरात में केप्रोलेक्टम संयंत्र द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करन में देरी | Delay in Starting production at Capro lactum Plant in Gujarat.. | 100 |
| 400. | रेलवे में हड़तालों पर रोक | Ban on Strikes in Railways | 100 101 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance.. | 101 |
| देश के विभिन्न भागों में व्याप्त अकाल और सूखे की स्थिति<br>श्री ज्योतिर्मय बसु<br>श्री एल० एन० मिश्रा | | Famine and drought conditions in various parts of the country<br>Shri Jyotirmay Basu<br>Sri L.N. Mishra | 101–106 |
| राजस्थान राज्य के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में | | Re : Rajasthan State Employees Strike .. | 107 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | | Papers laid on the Table | 107–108 |
| राज्य सभा से संदेश | | Message from Rajya Sabha | 108 |
| विधेयकों पर अनुमति | | Assent to Bills | 109 |
| 22-अप नई दिल्ली–हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस और 39-अप जनता एक्सप्रेस की दुर्घटनाओं के बारे में 4 दिसम्बर, 1972 को दी गई जानकारी को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य<br>श्री एल० एन० मिश्र | | Statement correcting information given on the 4th December, 1972 regarding accidents to 22–Up New Delhi-Hyderabad Dakshin Express and 39–Up Janta Express .. .. <br>Shri L.N. Mishra | 109 |
| अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना<br>.. | | Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provision Bill Extension of time for presentation of Report of Joint Committee .. .. | |
| रिजर्व बैंक आफ इंडिया (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित | | Reserve Bank of India (Amendment) Bill—**Introduced** .. | 110 |
| वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामले | | Re Pay Commission's Report .. | 110 |
| | | Matter under Rule 377 | 110 |

| विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|
| सूत के मूल्य निर्धारण तथा वितरण में तथाकथित अनियमितताय | Alleged irregularities in fixing price and distribution of yarn .. | 110–111 |
| सभा के अवमान के लिए दी गई सजा में कमी करने के बारे में प्रस्ताव—वापस लिया गया | Motion re : Reduction of sentence awarded for contempt of House —**Withdrawn** .. .. | 111–112 |
| अनुदानों की मांगें (मनीपुर) 1973-74 | Demands for Grants (Manipur), 1973-74 .. .. .. | 112–116 |
| श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव | Shri G.P. Yadav | 113 |
| श्री पाओकाई हाओकिप | Shri Paokai Haokip | 113 |
| श्री मधु लिमाये | Shri Madhu Limaye | 113–114 |
| श्री के० आर० गणेश | Shri K.R. Ganesh | 114–116 |
| मनीपुर विनियोग विधेयक, 1973— | Manipur Appropriation Bill, 1973— **Introduced and Passed** | 116–117 |
| **पुरःस्थापित तथा पारित** | | |
| अनुदानों की मांगें (आंध्र प्रदेश), 1973-74 | Demands for Grants (Andhra Pradesh), 1973-74 | 117–124 |
| श्री बी० एन० रेड्डी | Shri B.N. Reddy | 118 |
| श्री पी० वेंकटासूब्बया | Shri P. Venkatasubbaiah | 118–120 |
| श्रीमती गायत्री देवी | Shrimati Gayatri Devi | 120 |
| श्री के० सूर्यनारायण | Shri K. Suryanarayana .. | 120–121 |
| श्री इसहाक सम्भली | Shri Ishaque Sambhali | 121–122 |
| श्री के० रामकृष्ण रेड्डी | Shri K. Ramakrishna Reddy | 122 |
| श्री जगन्नाथ राव जोशी | Shri Jagannathrao Joshi | 122–123 |
| श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा | Shrimati T. Lakshmikanthamma | 123 |
| श्री मधु लिमाये | Shri Madhu Limaye | 123–124 |
| श्री पी० वी० जी० राजू | Shri P.V.G. Raju .. | 124 |
| श्री एम० रामगोपाल रेड्डी | Shri M. Ram Gopal Reddy | 124 |
| श्री एस० डी० सोमसुन्दरम | Shri S.D. Somasundaram | 124 |
| कार्य मन्त्रणा समिति 30वां प्रतिवेदन | Business Advisory Committee Thirtieth Report | 124 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

**मंगलवार, 24 जुलाई, 1973/2 श्रावण, 1895 (शक)**
*Tuesday, July 24, 1973/Sravana 2, 1895 (Saka)*

**लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker** *in the Chair* ]

**सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण**
**Member sworn**

**श्री के० माया थेवर (डिंडिगुल)**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### बरौनी से दिल्ली तक एक एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

*21. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस-बाराबंकी मार्ग पर भारी यातायात को देखते हुए, बनारस-जौनपुर-फैजाबाद-बाराबंकी के रास्ते बरौनी से दिल्ली तक एक एक्सप्रैस रेल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

**रेल मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री आर० के० सिन्हा :** हमारे प्रगतिशील मन्त्री ने सबसे पहले प्रश्न का उत्तर ही बड़े निराशाजनक ढंग से दिया है। उनका यह कथन कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल है कि पिछड़े क्षेत्रों को अधिक सुविधा दी जायेगी। उत्तर प्रदेश में कानपुर इलाहाबाद और बनारस होते हुए एक शाही मार्ग है जिससे होकर अनेक एक्सप्रैस गाड़ियां गुजरती हैं। उनके मन्त्रालय को इस आशय के हजारों अभ्यावेदन भेजे गए हैं कि बनारस-जौनपुर-फैजाबाद-बाराबंकी होते हुए एक एक्सप्रैस ट्रेन चलाई जाए, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ पहुंच सके। क्या मन्त्री महोदय इनमें से किसी सम्भावना की जांच करेंगे और 83 अप अथवा 29 अप गाड़ी को आगे बढ़ायेंगे ?

**श्री एल० एन० मिश्र :** मैंने उक्त सुझाव का बड़ी सावधानी से अध्ययन किया है। मैं माननीय सदस्य की इच्छाओं की पूर्ति करने का बहुत इच्छुक हूं, परन्तु मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे कुछ समय तक प्रतीक्षा करें। इस लाइन की बात हमारे दिमाग में है। इस समय डीजल इंजन उपलब्ध नहीं हैं। तेज गति से चलने वाली गाड़ियों को चालू किया जायेगा, परन्तु इस समय क्षेत्र की लाइन तेज गति से चलने वाली गाड़ियों के उपयुक्त नहीं, है। मेरे 'नहीं' कहने का यही मुख्य कारण है।

**श्री आर० के० सिन्हा:** क्या माननीय मन्त्री महोदय भावी योजना में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ?

**श्री एल० एन० मिश्र :** मैंने भी यही कहा है। जैसे ही लाइन की स्थिति ठीक हो जायेगी, हम तेज गति से चलने वाली गाड़ी चलायेंगे।

**Shri Ishaque Sambhali:** In view of the shortage of trains on Faizabad-Banaras and Barabanki route and since demands have been made to introduce two fast trains on this route, because many people of this area live either in Bombay or in Barauni in the East so that they could travel easily to Bombay and to Barauni in the East, I would like to know from the hon'ble Minister whether he has received such representations and if so, whether Govt. has made up its mind over them?

**Shri L.N. Mishra:** It is a fact that the people have made a demand to introduce a direct train to Bombay via Barauni, Samastipur and Faizabad. We have not been able to do so. The people from Samastipur and Barauni get a direct train from Mughal Sarai and bogies from Patna are also attached in Bombay and people from Faizabad get such bogies from Lucknow. We are making efforts to provide more bogies and coaches, but it is not possible at present to introduce a direct train.

**Shri Ramavatar Shastri:** It has appeared in the papers that a fast train is being introduced on the broad gauze line from Samastipur to Delhi with effect from 1st November ? If that is not so, I would like to know whether it is a fact that a train is being introduced on the broad gauze line from Samastipur to Delhi via Patna.

**Mr. Speaker:** Mr. Shastriji, How does this question arise from it ? Banaras and Barabanki are mentioned in the question. Samastipur is far away.

**Shri Ramavatar Shastri:** The train would come to this side from both the lines. So there is such a news report.

**Shri L.N. Mishra:** The Hon'ble Member has not perhaps seen it carefully. I had assured the Parliament that a Jayanti Janta Train would be introduced from Barauni to Delhi with effect from 1st of November and it must be introduced by that date.

## कृष्णा और गोदावरी न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट दिए जाने तक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

***22. श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री कृष्णा और गोदावरी न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट दिये जाने तक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी के सम्बन्ध में 27 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4755 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त उत्तर में उल्लिखित प्रत्येक अनुमोदित परियोजना के अन्तर्गत कितने टी०एम०सी० (थाउजेन्ड मिलियन क्यूबिक फीट) में पानी का उपयोग होता है; और

(ख) प्रत्येक ऐसी परियोजना से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री के० एल० राव):** (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

कृष्णा और गोदावरी न्यायाधिकरण के न्यायनिर्णय प्राप्त होने से पहले महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बृहद् सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति के संबंध में 24-7-1973 को लोक सभा में उत्तार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 22 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

### विवरण

(क) और (ख): अप्रैल, 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन के उपरान्त आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर की विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए कृष्णा के जल के समुपयोजन से किसी परियोजना को स्वीकृत नहीं किया गया है।

गोदावरी बेसिन में, अप्रैल, 1969 में, गोदावरी जलविवाद न्यायाधिकरण के गठन के उपरान्त आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर की विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए गोदावरी के जल के और समुपयोजन से कोई सिंचाई स्कीम स्वीकृत नहीं की गई है।

मध्य प्रदेश में, 6040 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के उद्देश्य से 0.4 टी०एम०सी० जल लेने वाली बारगुर नाला परियोजना अगस्त, 1969 में स्वीकृत की गई थी। उड़ीसा में, पूर्वी क्षेत्र से अन्य शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 30.8 टी०एम०सी० जल लेने और 270,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के उद्देश्य से, अन्य राज्यों के नोटिस में लाने के पश्चात् तथा आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र सरकारों की सहमति से फरवरी, 1973 में स्वीकृत की गई थी।

1963 और 1969 के बीच स्वीकृत की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना का विवरण संलग्न है।

**उपाबंध**

मार्च, 1963 और अप्रैल, 1969 के बीच कृष्णा और गोदावरी बेसिनों में स्वीकृत परियोजनाओं से जल लेने (टी०एम०सी० में) और वार्षिक सिंचाई को दिखाने वाला विवरण।

| परियोजना का नाम | लिया गया जल (टी०एम०सी में) | वार्षिक सिंचाई (लाख एकड़ों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **कृष्णा बेसिन** | | |
| **आंन्ध्र प्रदेश,** | | |
| **बृहत** | | |
| 1. तुंगभद्रा उच्चस्तर नहर चरण-दो | 12.58 | 1.37 |
| **मध्यम,** | | |
| 1. कोट्टिपातिलवागु | 1.70 | 0.09 |
| 2. लंकासागर | 0.77 | 0.05 |
| 3. गजरौडलाइन परियोजना | 2.50 | 0.12 |
| 4. गुन्टूर चैनल | 4.72 | 0.23 |
| **महाराष्ट्र** | | |
| **बृहद** | | |
| 1. भीमा | 70.00 | 4.22 |
| 2. कृष्णा | 32.93 | 2.63 |
| 3. कुकाड़ी चरण-1 | 18.00 | 1.46 |
| 4. वार्ना | 40.60 | 2.45 |
| **मध्यम** | | |
| 1. तुलसी | 2.31 | 0.07 |
| 2. पड़वलकरवाड़ी | 0.08 | 0.01 |
| **मैसूर** | | |
| **बृहद** | | |
| 1. मालाप्रभा | 31.12 | 3.00 |
| 2. अपर कृष्णा चरण-एक | 98.00 | 6.00 |
| 3. तुंगभद्रा उच्चस्तर नहर चरण-दो | 8.64 | 1.00 |
| **मध्यम** | | |
| 1. हरिनाला | 0.63 | 0.11 |
| गोदावरी बेसिन | | |
| **आंध्रप्रदेश** | | |
| 1. पोचमपाद | 66.00 | 5.70 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **मध्यम** | | |
| 1. नालेवेगू | 0.97 | 0.06 |
| **महाराष्ट्र** | | |
| **बृहद** | | |
| 1. बाघ | 7.58 | 0.83 |
| 2. इतिदोह | 11.40 | 0.99 |
| 3. पुस | 3.29 | 0.29 |
| 4. जयकबाड़ी चरण-एक | 36.86 | 3.5 |
| 5. अपर गोदावरी | 14.14 | 1.09 |
| **मध्यम** | | |
| 1. दीना | 2.24 | 0.31 |
| 2. अधाला | 1.26 | 0.13 |
| 3. कनहोली | 0.78 | 0.09 |
| 4. कुंडाला | 0.18 | 0.01 |
| 5. मलखेद | 0.28 | 0.04 |
| 6. मनार चरण-दो | 3.74 | 0.41 |
| 7. सईखादा | 1.08 | 0.09 |
| **मध्य प्रदेश** | | |
| **बृहद** | | |
| 1. बाघ दक्षिण तट नहर | 2.50 | 0.27 |

**श्री अण्णासाहिब गोर्टाखिडे :** सबसे पहले मैं डा० के० एल० राव को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश और सरकार की मन्त्री के रूप में सेवा करते हुए एक दशक पूरा कर लिया है . . . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** आप का पूरक प्रश्न क्या है ?

**श्री अण्णासाहिब गोर्टाखिडे :** मूल उत्तर में यह कहा गया था कि वर्ष 1969 में कृष्णा और गोदावरी जल न्यायाधिकरण का गठन करने के पश्चात् जहां तक कृष्णा और गोदावरी के जल के प्रति वायदों का सम्बन्ध है, यथास्थिति बनाये रखी जा रही है और किसी नयी परियोजना को मंजूरी देने हेतु विचार नहीं किया गया। उसी प्रकार का उत्तर आज भी दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1964 में प्रस्तुत की गई दूधगांम, अपर वर्धा और अपर पैनगंगा परियोजनाओं को सरकार नई परियोजनायें मानती है और इनको मंजूरी देने के लिए विचार क्यों नहीं किया गया ?

मेरे अनुपूरक प्रश्न का दूसरा भाग इस प्रकार है कि मूल उत्तर में यह कहा गया था कि गोदावरी बराज परियोजना को योजना आयोग ने दिसम्बर, 1971 में स्वीकार किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी थी और क्या यह सच है कि इस परियोजना के जल-उपयोग के कारण जल उपयोग के लिए दिये गए वचनों की यथास्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।

**डा० के० एल० राव :** मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं।

पहले प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायाधिकरणों के गठन के पश्चात् इन नदियों के बारे में हमने कोई परियोजना स्वीकार नहीं की है, परन्तु अभी हाल में, महाराष्ट्र में लगातार सूखे की स्थिति रहने के कारण, मैंने सम्बद्ध विभिन्न राज्यों की अब इस आशय के पत्र लिखे हैं कि क्या हम इन बेसिनों में कुछ मध्यम स्तर की परियोजनाओं को मंजूरी

दे सकते हैं और मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री को विचारार्थ कुछ परियोजनाओं का सुझाव दिया है। अगर वे इसके लिए अपनी मंजूरी दे देते हैं तो हमें, न्यायाधिकरणों के बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। कुछ परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के बारे में मैंने राज्य सरकारों से यह कहा है कि जिन परियोजनाओं को सूखे की स्थिति के कारण प्रारम्भ किया जाना है, उनकी एक सूची दे दें। दूसरे प्रश्न के बारे में मुझे यह कहना है कि यह निश्चित रूप से एक आपात उपाय है, क्योंकि सारा ढांचा बुरी तरह से खराब हो चुका है, जैसा कि तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया है और रख-रखाव सम्बन्धी कार्य किया जाना है। अत्याधिक खराब स्थिति में जो ढांचा है, उसका प्रतिस्थापन करने सम्बन्धी यह कार्य है। यह गोदावरी नदी के भण्डारा बांध की मरम्मत करने जैसा काम है। यह वर्तमान ढांचे का प्रतिस्थापन करने सम्बन्धी कार्य है। मेरे विचार में अब तक इस पर तीन-चार करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।

**श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे:** न्यायाधिकरण ने यह निश्चय किया है कि गोदावरी विवाद के बारे में तब सुनवाई प्रारम्भ होगी, जब कृष्णा विवाद के बारे में निर्णय हो जाता है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि न्यायाधिकरण का निर्णय कब तक दिये जाने की सम्भावना है? मैं यह जानना चाहता हूं कि न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के बाहर आपसी विचार विमर्श से गोदावरी विवाद को हल करने के लिए कोई प्रयास किये गए हैं?

**डा० के० एल० राव :** ऐसी उम्मीद है कि कृष्णा विवाद पर निर्णय अगले दो या तीन महीने के अन्दर प्राप्त हो जाएगा। गोदावरी विवाद के बारे में हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के बाहर आपसी विचार विमर्श से इसका समाधान हो जाए।

**श्री एम० रामगोपालरेड्डी:** मन्त्री महोदय ने यह कहा कि मध्यम स्तर की कुछ सिंचाई परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने गोदावरी, कृष्णा और महाराष्ट्र क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं का उल्लेख किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं से कितनी मात्रा में जल प्राप्त होगा?

**डा० के० एल० राव० :** बीस परियोजनायें हैं। इनके लिए 14 टी०एम० सी० जल की जरूरत होगी और 1 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी।

**श्री के० मालन्ना:** देश के अन्तर्राज्यीय जल विवादों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि इससे देश में सिंचाई और कृषि की प्रगति और उसके विकास को बाधा पहुंचती है, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय जल नीति में कोई परिवर्तन करने का सरकार का विचार है।

**डा० क० एल० राव :** न्यायाधिकरण काफी समय लगा रहा है और हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि क्या कोई अन्य प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हम जल को एक राष्ट्रीय संसाधन घोषित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और उसके बाद वर्तमान अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम को संशोधित करने के लिए समुचित विधान पेश करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

**श्री एस० बी० गिरि:** मैं यह जानना चाहता हूं कि तेलंगाना की पोचमपाद परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी। निजाम की मूल योजना के अनुसार तेलंगाना के सभी जिलों को पोचमपाद परियोजना से कब तक जल सप्लाई किया जायेगा। दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि मन्त्री महोदय ने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था, निजाम सागर बांध का स्तर कब तक ऊंचा किया जायेगा, इस बारे में अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि काम कब प्रारम्भ होगा और उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? तेलंगाना के करीमनगर जिले की मानेर परियोजना के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि काम कब तक पूरा हो जायेगा? कुछ काम पहले ही शुरू हो चुका है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि काम शुरू होने के बाद क्यों बन्द कर दिया गया?

**डा० के० एल० राव :** परियोजना पर भारत सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार कार्य किया जाएगा इससे 5.7 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। लागत-व्यय काफी अधिक हो चुका है और इसमें से सात वर्ष तक का समय और लग सकता है। निजामसागर में काफी मात्रा में कीचड़ जमी हुई है और इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि कीचड़ जमी होने के कारण किसानों को हो रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिये जल-भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिये काम शुरू किया जाए। मैंने बांध स्थल का निरीक्षण किया है और कुछ सुझाव दिए हैं, जो क्रियान्वयन के विभिन्न

चरणों में हैं। मानेर परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है, मानेर परियोजना नाम की कोई अलग परियोजना नहीं है। उत्तरी वारंगल से आगे पोचमपाद नहर के लिये यहां क्रासिंग बनाने का विचार है और नहर के बनने में अभी कुछ समय और लगेगा।

**श्री एम० एम० गोपालरेड्डी** : यह पहले ही शुरू हो चुकी है।

**श्री एस० बी० गिरि** : इसे पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और काम शुरू हो चुका है।

**डा० के० एल० राव** : मेरा यह निवेदन है कि अभी इसे मंजूरी नहीं दी गई है। जैसा कि मैं पहले ही पूरी तरह स्पष्ट कर चुका हूं यह पोचमपाद परियोजना का एक भाग है। पोचमपाद नहर वहां उसे पार करेगी और आन्ध्र प्रदेश के तत्कालीन मन्त्री के अनुरोध पर वहां काम की शुरूआत की गई थी और ऐसी आशा थी कि नहर बहुत जल्दी ही वहां तक आ जायेंगी। परन्तु वह काफी पीछे है। परन्तु इस समय हम वारंगल को जल की सप्लाई करने के लिये मानेर बांध का आंशिक ऊंचाई तक निर्माण करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

**श्री बनमाली पटनायक** : क्या यह सच है कि मन्त्री महोदय ने उड़ीसा सरकार को कृष्णा-गोदावरी न्यायाधिकरण से अलग होने के लिये सलाह दी है, ताकि इन्द्रावती परियोजना को मंजूरी दी जा सके ?

**डा० के० एल० राव** : माननीय सदस्य ने जिस परियोजना का उल्लेख किया, वह बड़ी परियोजना है। हम इस समय अभावग्रस्त क्षेत्रों की मध्यम स्तर की परियोजनाओं पर विचार कर रहे हैं और केवल उन्हीं परियोजनाओं को मंजूरी देने का प्रयास कर रहे हैं।

## त्रिपुरा के बारामूरा में तेल की खोज

***23. श्री बीरेन दत्त**+

**श्री एम० एस० संजीवीराव** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में बारामूरा में तेल पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां तेजी से कार्य करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री : (श्री देवकान्त बरूआ)** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री बीरेन दत्त** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समाचारपत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था कि त्रिपुरा के बारामूला स्थान पर तेल का पता चला है और क्या यह समाचार सच है ?

**श्री देवकान्त बरूआ** : तेल की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये, बारामूला कुयें में अभी भी खुदाई चल रही है। खुदाई 1788 मीटर की गहराई तक हो चुकी है और 1575.5 मीटर की गहराई पर गैस का पता चला था, परन्तु अभी तक कुयें में तेल का पता नहीं चल सका है।

**श्री बीरेन दत्त** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या त्रिपुरा में अथवा किसी अन्य स्थान पर कुछ नये रिंग लगाये जा रहे हैं ?

**श्री देवकान्त बरूवा** : त्रिपुरा में एक अन्य स्थान पर खुदाई करने की योजना है और इसके लिये रिगों और अन्य उपकरणों का पहले ही प्रबन्ध किया जा चुका है और उनका आयात किया जा चुका है

**श्री दशरथ देव** : उस स्थान का नाम क्या है ?

**श्री देवकान्त बरूवा** : स्थान चार हैं। टिचना, गोजोलिया, रोखिया और बाचिया। और इनमें से किसी एक स्थान का चुनाव किया जाएगा।

**श्री बीरेन दत्त** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या काम में कोई बाधा डाली गई.....

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य पहले ही दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं और अब उन्हें और अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

**श्री बीरेन दत्त :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को कोई शिकायत प्राप्त हुई है . . . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** वह अब तीसरा सवाल नहीं पूछ सकते ।

**श्री बीरेन दत्त**** : क्या परियोजना को बरबाद करने के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के परियोजना प्रबंधक के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

**अध्यक्ष महोदय :** अब यह प्रश्न मंत्री महोदय और माननीय सदस्य के बीच ही चल रहा है ।

**श्री देवकान्त बरूवा :** इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

**Shri Mohammad Ismail :** The Hon'ble Minister has said that there was fire at one place. That will not do now. I would like to know as to how long would it take to start the drilling work.

**Shri D.K. Borooah :** The drilling work in the first well is going on. Preparations are going on for the other well and the drilling would start by the end of the year 1974.

**श्री एस० आर० दामाणी :** तेल की मांग बढ़ती जा रही है किन्तु मांग अनुपात में तेल के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है । इस बात को देखते हुए, गत वर्ष कितने स्थानों पर नए कुयें खोदे गये तथा क्या तेल की और अधिक खोज की जायेगी ?

**अध्यक्ष महोदय :** मूल प्रश्न केवल बारामूला के एक कुयें के बारे में है ।

**श्री एस० आर० दामाणी :** इसलिये मैं यह सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं कि कितने स्थानों में नये कुयें खोदे गये ।

**श्री देवकान्त बरूवा :** इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय :** इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**Shri Panna Lal Bampal:** I want to put a question relating to Rajasthan. Perhaps I may deviate from the main question. Considerable time and money have been spent on exploration for oil in the district of Jaisalmer. But Government have not divulged the results of this programme.

**श्री दशरथ देव :** क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि त्रिपुरा से लेकर नागालैंड तक जिसमें मिजो क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा बंगलादेश के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, व्यापक क्षेत्र में तेल पाए जान की संभावनायें हैं, और यदि हां, तो इन संसाधनों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** इसी प्रश्न की मैंने पहले अनुमति नहीं दी थी क्योंकि मूल प्रश्न का संबंध विशिष्ट रूप से त्रिपुरा स्थित बारामूरा से है ।

**श्री दशरथ देव :** यह क्षेत्र त्रिपुरा में है । यह क्षेत्र नागालैण्ड तथा बंगलादेश के कुछ भागों और आसाम तक फैला हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की जा रही है . . . . . ।

**श्री देवकान्त बरूवा :** त्रिपुरा, उत्तरी पश्चिमी त्रिपुरा तथा बंगलादेश में आसपास के क्षेत्रों के सर्वेक्षण से सिलहट, चटक, रशीदपुर, हक्जा और कैलाशटिला में कुछ स्ट्रक्चरों का पता लगा है जिनका छिद्रण किया गया है और उनमें गैस होने का पता लगा है । बड़ेपुर क्षेत्र में भी तेल का पता लगाया गया है । इस क्षेत्र में पर्याप्त तेल होने की संभावनायें हैं । भूभौतकीय और भूगर्भीय गहन सर्वेक्षण किये जा रहे हैं तथा इसके आधार पर हमने त्रिपुरा में चार स्थान चुने हैं जिनका मैं उल्लेख कर चुका हूं ।

---

**सदन में बंगाली में बोले गए शब्दों के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

Hindi version based on English translation of Eengali words spoken in the House.

**श्री ए०के०एम० इसहाक** : मंत्री महोदय ने बताया है कि बारामूरा के अतिरिक्त अन्य चार स्थान भी हैं जिनका छिद्रण किया जाना चाहिये तथा उन्होंने यह भी बताया है कि वह छिद्रण के लिये केवल एक ही स्थान को चुनेंगे । क्या वह सभा को यह आश्वासन दिलायेंगे कि चारों स्थानों पर छिद्रण काम किया जाएगा जिससे सारी संभावनाओं का पता लगाया जा सके ।

दूसरे, अभी तक उन्हें बारामूरा में तेल प्राप्त नहीं हुआ । बोधरा नामक एक अन्य स्थान भी है जिसका पहला अक्षर बी० है तथा अन्त में रा० आता है । वहां तेल मिलने की बहुत अधिक संभावनायें हैं किन्तु सरकार ने वहां छिद्रण करना बन्द कर दिया है । क्या मंत्री महोदय वहां पुनः छिद्रण कार्य आरम्भ करायेंगे ?

**श्री देवकान्त बरूवा** : इस कुयें की लक्षित गहराई 4500 मीटर है तथा अभी तक वहां 1688 मीटर तक छिद्रण हुआ है । अतः अभी बहुत खुदाई करनी है ।

जहां तक अन्य स्थानों का संबंध है हमने उनका चयन कर लिया है । पहले एक स्थान पर छिद्रण कार्य आरम्भ किया जाएगा तथा इसके पूरा होने के बाद हम अन्य स्थानों पर भी अवश्य कार्य आरम्भ करेंगे ।

बोधरा त्रिपुरा में नहीं, पश्चिम बंगाल में है । दोनों के नाम में समानता हो सकती है । वहां पर सर्वेक्षण तथा छिद्रण संबंधी बहुत कार्य किया गया है किन्तु वहां पर कोई विशेष संभावनायें प्रतीत नहीं होती ।

## रेलवे की नौकरियों में अल्प संख्यकों तथा हरिजनों का उचित प्रतिनिधित्व

***24. श्री नवलकिशोर सिंह**+

**श्री सतपाल कपूर** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1973 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में देश के रेल सेवा आयोगों की एक बैठक हुई थी;

(ख) बैठक में किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई और क्या रेलवे की नौकरियों में अल्पसंख्यकों तथा हरिजनों के भाग के प्रश्न पर भी विचार किया गया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) रेलवे की नौकरियों में अल्प संख्यकों तथा हरिजनों के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित कोटे को भरने के प्रश्न पर तथा अन्य वर्गों की जिनमें अल्पसंख्यक वर्ग भी शामिल है, स्थिति के संबंध में विचार किया गया था । एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें विचार विमर्श तथा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा दिया गया है ।

### विवरण

4-6-1973 को रेलवे बोर्ड के साथ रेल सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की एक बैठक हुई थी । रेल मंत्री तथा उप मंत्री महोदय ने भी बैठक में भाषण किया था और कुछ समय तक बैठक की कार्यवाही में भाग लिया था ।

इस बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित पदों का पूरा कोटा सुनिश्चित रूप से भरे जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था । इसे सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया था ।

इस बैठक में इस बात पर भी बल दिया गया था कि यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये जायें कि उन वर्गों को जिन्हें रेल सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, अपना उचित हिस्सा मिल जाये । यह पाया गया है कि कुछ क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों आदि से विज्ञापन के उत्तर में अपर्याप्त आवेदन प्राप्त होते हैं । रेल सेवा आयोगों को निदेश दिया गया है कि वे इसके कारणों का पता लगायें और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठायें जिसमें व्यापक प्रचार भी शामिल है, कि ऐसे वर्गों से अधिक संख्या में आवेदन पत्र आयें ताकि उन्हें नियुक्तियों में अच्छा भाग मिल सके ।

रेलों द्वारा भेजी गयी मांगों को पूरा करने की दिशा में प्रगति तथा भर्ती प्रणाली को सरल और सुप्रवाही बनाने के उपायों पर भी विचार किया गया था । वर्तमान रेल सेवा आयोगों के कार्यभार तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विस्तार कार्यक्रमों के कारण उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार की भी समीक्षा की गयी थी ।

**श्री नवल किशोर सिंह** : बेरोजगारी संबंधी भगवती समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को औद्योगिक कम्पनियों पर यह दबाव डालना चाहिये कि वे हरिजनों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्तियों को नौकरी दिये जाने की दर में वृद्धि करें। समिति को यह भी ज्ञात हुआ है कि कम्पनियां उनको अकुशल और बुरे श्रमिक कहकर अलग रखती है तथा उन्हें अस्थायी रखती है। इन तथ्यों को देखते हुए क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत पांच वर्षों में रेलवे में विभिन्न वेतनमानों में अनुसूचित जातियों के कितने प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी** : रेलवे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या निम्न-लिखित है :

| | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
|---|---|---|
| | % | % |
| श्रेणी एक | 3.8 | 0.52 |
| श्रेणी दो | 3.5 | 0.46 |
| श्रेणी तीन | 8.71 | 1.09 |
| श्रेणी चार | 21.88 | 3.99 |

**श्री नवल किशोर सिंह** : इसी अवधि में इन्हीं सेवाओं में मुस्लिम और ईसाई सहित अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता क्या है ? साथ ही अनुसूचित जाति और अल्प संख्यकों के नियुक्तियों तथा प्रतिशतता के मामले में सुधार करने के लिये मंत्री महोदय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**रेल मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र)**: जहां तक अल्प संख्यकों, मुसलमानों और ईसाइयों का सम्बन्ध है, उनके लिये कोई आरक्षण नहीं है। कुछ सप्ताह पूर्व हमने आंकड़ों का अध्ययन किया तथा हमें उनसे संतोष नहीं हुआ। इसी कारण से मैंने लोक सेवा आयोगों के चेयरमैनों का सम्मेलन बुलाया। हमने उन्हें स्पष्ट निदेश दिये हैं कि अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुस्लिम और ईसाइयों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यद्यपि मुसलमानों अथवा अन्य अल्पसंख्यकों के लिये अभी तक कोई आरक्षण नहीं है, तथा किसी ने इसकी मांग भी नहीं की है, क्या मंत्री महोदय को पता है कि इन अल्पसंख्यकों में, विशेषकर मुसलमानों में इस बात पर व्यापक असंतोष है कि उनके लिये कोई आरक्षण न होने पर भी रेलवे के विभिन्न पदों पर नियुक्त मुसलसान कर्मचारियों की संख्या उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है ? मेरा आशय यह नहीं है कि उनकी संख्या और उनकी जनसंख्या का अनुपात हिसाब के अनुसार होना चाहिये। मेरा आशय है कि इसमें भारी अन्तर है। अतः क्या मंत्री महोदय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बारे में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों की भांति इनसे संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकते हैं ? क्या वह विभिन्न श्रेणियों के कुल रेलवे कर्मचारियों में से मुसलमान कर्मचारियों की प्रतिशतता बता सकते हैं ?

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : ब्राह्मण, कायस्थ, आदि आदि।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : उन्होंने इस बारे में क्या निदेश दिये हैं जैसा कि उन्होंने अभी बताया था ? क्या उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि भर्ती करने वाले बहुत से अधिकारी मुसलमानों के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाते हैं ?

**श्री एल० एन० मिश्र** : जहां तक किसी विशेष भेदभाव का संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में आयोग के एक या दो चेयरमैन मुसलमान हैं। अतः भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। किन्तु इस बारे में मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से सहमत हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। इसी कारण हमने यह सम्मेलन आयोजित किया किन्तु इस अवसर पर हमें वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों को, उचित प्रतिनिधित्व दिलाने का उत्तरदायित्व चेयरमैन पर है।

**श्री पीलू मोदी** : मंत्री महोदय के पास आंकड़े हैं किन्तु उन्होंने बताया नहीं है ।

**श्री एल० एन० मिश्र** : नहीं ।

**श्री पीलू मोदी** : आप कृपया श्री कुरेशी से सलाह कर लीजिये । उनके पास आंकड़े हैं । मेरे विचार से मंत्री महोदय को इस प्रकार जानकारी छुपाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह आपको फाइल दे रहें हैं । आप इसे देख सकते हैं ।

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : मंत्री महोदय कहते हैं कि मेरे पास मुसलमानों के बारे में आंकड़े नहीं हैं । मैं भाग (ग) के संबंध में यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल भवन में, जहां उनका कार्यालय है, लिफ्टमैन, चपरासी, मैसेंजर से लेकर अधिकारियों तक कोई मुसलमान नहीं है और यदि मुसलमान कर्मचारी है भी तो उनकी प्रतिशतता 0.05 से अधिक नहीं है ।

**कुछ माननीय सदस्य**: लज्जा की बात है ।

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : क्या वह तथा श्री वाजपेयी भी यह कहना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमान चपरासी बनने के काबिल भी नहीं हैं । क्या वह तथा उनका मंत्रालय ऐसी स्थिति में भारत को धर्मनिरपेक्ष कहने में लज्जा का अनुभव नहीं करते ? **(व्यवधान)**

**श्री राम गोपाल रेड्डी** : वह मंत्रिमंडल में थे । वह अब इस बात को उठा रहे हैं ।

**श्री एल० एन० मिश्र** : ज्ञात नहीं साधारण सी बात पर इतनी उत्तेजना क्यों प्रदर्शित की जा रही है ?

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : आपको यह प्रश्न करने का क्या अधिकार है ? यह आप अध्यक्ष महोदय से कह सकते हैं । आप हमें सदा चुप नहीं रख सकते ।

**श्री राम गोपाल रेड्डी** : जब वह मंत्री थे तब कोई ऐसी बात नहीं थी ।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये ।

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : मैं प्रधान मंत्री को रिपोर्ट ही दे सकता था । **(व्यवधान)** मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर दें ।

**श्री एल० एन० मिश्र** : इस मामले में उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिये । मैंने स्वीकार किया है कि मैं वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हूं तथा इस स्थिति में सुधार करने के लिये हमने रेलवे लोक सेवा आयोगों के चेयरमैन और अधिकारियों का विशेष सम्मेलन आयोजित किया तथा उन्हें यह निदेश दिये गये हैं कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जाए । किन्तु यह कहना न्यायोचित नहीं है कि वहां भेदभाव बरता जाता है । दो रेलवे सेवा आयोगों के चेयरमैन मुसलमान हैं तथा उनमें से एक इलाहाबाद में है । ऐसा कोई भेदभाव नहीं है । उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो सका किन्तु मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि अल्पसंख्यकों को इन सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जा सके ।

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : क्या रेलवे लोक सेवा आयोग के चैयरमैन चपरासी, लिफ्टमैन और क्लर्कों को भर्ती करते हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : उत्तेजित नहीं ।

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : यह उत्तेजित होने का प्रश्न नहीं है । यह सभा को धोखा देने का सवाल है । यदि एक व्यक्ति को लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है तो क्या वह यह कहकर बचाना चाहते हैं कि दो मुसलमानों को चेयर मैन नियुक्त कर दिया गया है अत: वे रैचिड चेयरमैन बहुत से व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते थे । यह सभा को धोखा देना है क्योंकि लोक सेवा आयोग लिफ्टमैन, चपरासी और क्लर्कों की भर्ती नहीं करता । इनकी नियुक्ति अधिकारी करते हैं । यह आरोप निश्चित ही वैध है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है ।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : भूतपूर्व मंत्री महोदय ने सरकारी सेवा में नियुक्त मुसलमानों को 'रेचिड' कहा है । क्या इसका यह अर्थ है कि जो मुसलमान सरकारी सेवा में नहीं हैं वह 'रेचिड' नहीं हैं और माननीय सदस्य भी 'रेचिड' नहीं है क्योंकि अब वह मंत्रिमंडल में नहीं है । **(व्यवधान)**

**श्री ए०पी० शर्मा :** सभा को उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि रेलवे सेवा में अल्पसंख्यकों का, विशेष कर मुसलमानों और ईसाइयों का उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है । इस कमी को दूर करने के लिये रेल मंत्रालय ने सेवा आयोगों को क्या विशिष्ठ निदेश और प्रस्ताव दिये हैं ?

**श्री एल० एन० मिश्र :** मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है । हम बैठक कर रहे हैं तथा इस समस्या पर विचार विमर्श कर रहे हैं । चर्चा से यह बात सामने आई है कि अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला । चेयरमैन से यह अनुरोध किया गया है कि अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए । सामान्य नीति निदेश जारी किये जाने के बाद मैं दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता ।

**श्री ए० पी० शर्मा :** यह तथ्य है कि रेलवे सेवा आयोग का चेयरमैन भर्ती सम्बन्धी नियम नहीं बनाता । उनका निर्धारण रेलवे बोर्ड करता है । रेलवे सेवा आयोग को इस कमी को दूर करने के लिये क्या विशेष निदेश जारी किया गया है क्योंकि वह नियम निर्धारक प्राधिकरण नहीं है ?

**श्री पीलू मोदी :** वह इस जानकारी को नहीं छिपा सकते ।

**श्री एल० एन० मिश्र :** मैं कोई जानकारी नहीं छिपा रहा हूं । मैंने नीति निदेश जारी कर दिये हैं । जहां तक विस्तृत ब्यौरे का संबंध है उसका निर्धारण सेवा आयोग तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा । इस समय वह जानकारी मेरे पास नहीं है । **(व्यवधान)**

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** Mr Speaker, there is reservation of seats for scheduled castes and scheduled Tribes in the Legislative Assembly and Parliament and vacancies are also reserved for these categories under the orders of the Government. I would like to know whether Government propose to make reservations for the minorities also as the same is being demanded ? The hon'ble Minister has stated that minorities will get their due share. What is meant by 'due'? Will they be provided jobs on the basis of their number? Will qualifications or religion would weigh while making recruitments? If there is question of minorities then I would like to know whether sikhs are not in minority and Hindus in Jammu and Kashmir are not in minority? What is meant by minorities? May I know the number of seats being demanded by the minorities and whether hon'ble Minister would keep in view the fact that these questions are being put in view of the coming elections in Uttar Pradesh?

**The Minister of Railways (Shri L.N. Mishra):** We shall keep an eye on the elections to be held in Uttar Pradesh but not at the moment. However I would like to point out that I am not going to open any new reservation nor am I going to do anything in violation of the constitution. I have stated that it has been observed in working that some minorities have not been given proper representation. I have given an example only. I have not said that sikhs are not in minority. I have said that there are Muslims or Christians who get lesser number of seats. Then I said that they should also be given due representation according to over administrative policy. We are not going to amend the Constitution. But can't be make any working arrangement ? Can't the Minister or the Government take that much liberty that neglected class could be given proper place? This is my effort.

**श्री प्रबोध चन्द्र:** अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों आदि के लिये सीटों का आरक्षण करके पृथकतावादी प्रवृत्तियों को स्थान देने क बजाय क्या धर्म या जन्म क आधार पर सीटें निर्धारित न करके लोगों की आर्थिक स्थिति के आधार पर सीटें निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

**श्री एल० एन० मिश्र :** अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**श्री सेज़ियान :** मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व न दिये जाने के कारण उन्होन रेलवे सवा आयोग के अध्यक्ष से कहा है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये । यह बहुत ही अस्पष्ट बात है । मैं पूछना चाहता हूं कि 'उचित प्रतिनिधित्व' का क्या अर्थ है ? क्या जनसंख्या के आधार पर ऐसा किया जायेगा ? अनुसूचित जातियों के लिये, जो कुल जनसंख्या के 21 प्रतिशत हैं मंत्री महोदय के अनुसार 3.4 प्रतिशत या 4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है । मैं पूछना चाहता हूं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सेवाओं की क्या स्थिति है । स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष

बाद भी प्रतिनिधित्व के आंकड़े 22 प्रतिशत के निकट भी नहीं हैं। वह इस संबंध में क्या कार्यवाही करेंगे ? जब तक प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में यह प्रतिशत 22 तक नहीं पहुंच जाता क्या उस समय तक अन्य सभी प्रकार के प्रतिनिधित्व को रोक लिया जायेगा ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: प्रथम श्रेणी के पदों के लिये संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती है। द्वितीय श्रेणी के पद तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरे जाते हैं। रेलवे सेवा आयोग केवल तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती करता है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी क्षेत्रीय या जोनल रेलवे के माध्यम से भर्ती किये जाते हैं। माननीय सदस्य ने गत 25 वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व का रुख देखा है। यह देखा गया है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिये जन-जातियों के लोग उपलब्ध नहीं होते क्योंकि उन पदों के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक अर्हताओं की आवश्यकता होती है **(व्यवधान)** जैसा कि मैंने पहले बताया है कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रथम श्रेणी के पदों के लिये भर्ती की जाती है और इसमें रेलवे को कुछ नहीं करना होता। संघ लोक सेवा आयोग प्रथम श्रेणी के सभी अधिकारी चुनकर रेलवे को भेजता है और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है। रेलवे सेवा आयोग केवल तृतीय श्रेणी के पद भरता है।

मैंने गत 25 वर्ष के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व के आंकड़े बताये हैं। **(व्यवधान)**

**एक माननीय सदस्य** : उनका प्रतिशत क्या है ?

**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी** : प्रथम श्रेणी में कुल संख्या 3252 है जिसमें अनुसूचित जाति के 126 हैं और उनका प्रतिशत 3.8 बैठता है और अनुसूचित जनजाति के 17 हैं और उनका प्रतिशत 0.52 प्रतिशत बैठता है। द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या 4.964 है जिसमें से अनुसूचित जातियों के 174 हैं और प्रतिशत 3.5 है और जनजातियों के 23 हैं और प्रतिशत 0.46 है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 5,91,106 है जिसमें से अनुसूचित जाति के 51,472 हैं— इसमें 8.71 प्रतिशत है परन्तु अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत केवल 1.09 है। चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 21.88 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजातियों का 3.99 प्रतिशत है। **(व्यवधान)**

**श्री सेज़ियान** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। अल्पसंख्यकों तथा अन्य वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व की परिभाषा के बारे में क्या विशिष्ट निदेश दिये गये हैं और अल्पसंख्यकों को कितना प्रतिनिधित्व देने का विचार है ? उन्होंने केवल भर्ती के बारे में उत्तर दिया है। उसमें भी प्रतिशत 8 प्रतिशत से अधिक नहीं पहुंचा है। इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कुछ रियायतें दी गई हैं ताकि वे रेल सेवा में अधिक संख्या में आ सकें **(व्यवधान)** मैं यह बताने वाला था कि उन्हें क्या रियायतें और सुविधायें दी गई हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मामले में अधिकतम आयु-सीमा में 5 वर्ष की रियायत दी गई है। इस आशय के भी आदेश जारी किये गये हैं कि मौखिक परीक्षा में उनके साथ उदारता बर्ती जाए। रेलवे सेवा आयोग से यह भी कहा गया है कि यथासंभव अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिये अलग परीक्षा की व्यवस्था की जाये। जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है वहां आरक्षित समुदाय के उम्मीदवारों के उत्तर-पत्रों का अलग मूल्यांकन किया जाये। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिये भी अलग व्यवस्था की जाती है—

**अध्यक्ष महोदय** : इसे सभा-पटल पर रख देना चाहिये था।

**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी** : मैं सभा-पटल पर रख दूंगा। ये कुछ सिफारिशें हैं।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : संविधान में स्थिति स्पष्ट है। ईसाइयों या मुसलमानों के लिये कोई आरक्षण नहीं है। परन्तु श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न का यह आशय नहीं था। उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा है कि आरक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यदि इस अन्याय से, जो इतना गम्भीर है, सरकार की आत्मा वास्तव में जागी है तो क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करने के लिये तैयार है जो इन नियुक्तियों की जांच करे और यह देखे कि क्या सभी संबंधित लोगों के साथ न्याय किया गया है।

**श्री एल० एन० मिश्र** : किसी समिति को नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैंने स्वयं इस मामले की जांच की है ।

**श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : जहां तक इस देश में मुसलमानों तथा अय अल्पसंख्यकों का संबंध है, वे इस देश के अंग हैं और इसलिये उन्हें सरकार के प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । परन्तु तथ्य यह है कि मुसलमान अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बहुत कम ही नहीं अपितु उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है । क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि वह सभी आयोगों को निदेश देंगे कि वे मुसलमानों को सभी जोनल रेलवों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दें ?

क्या वह सभी जोनल रेलवों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सेवाओं में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे ? तीसरे हाल ही में कालीकट में, जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र हैं, रेलवे स्टेशन पर कुछ कुली नियुक्त किये गये थे । 21 मुसलमानों ने कुली की नौकरी के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे । 7 गैर-मुस्लिम आवेदक थे । 6 गैर मुस्लिम कुलियों के रूप में नियुक्त कर लिया गया था । एक भी मुसलमान को नियुक्त नहीं किया गया था । प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सेवाओं को छोड़ कुली की नौकरी देने में भी भेदभाव किया जाता है ।

**श्री एल० एन० मिश्र** : मैंने इस के बारे में पहले ही बता दिया है । जहां तक कालीकट का संबंध है, मैं इस मामले की जांच करूंगा ।

**Shri B.T. Maurya:** The hon'ble Minister has stated that the percentage of scheduled castes and Scheduled Tribes in class I services is less than 3.7 and 1 % respectively. May I know whether he considers this percentage adequate. In case it is inadequate, it has been provided in the constitution that if the representation of scheduled castes and scheduled tribes is inadequate in any Department or Ministry, Government can make special recruitement. I would like to know whether Government propose to make special recruitment in order to complete the quota fixed for them ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** Railway administration is not satisfied whith this number. Every possible effort is being made to make up this deficiency. I have already stated some of the steps which are being taken in this direction. So that the number of scheduled Castes and Scheduled Tribes is increased and their quota completed. We shall consider the suggestion made by the hon'ble Member. I think, it is a good suggestion.

**श्री एस० एम० बनर्जी** : रेलवे लोक सेवा आयोग के 2 चेयरमैन मुसलमान हैं, केवल इस तथ्य से मुसलमान संतुष्ट नहीं हो सकते । मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि जब मुसलमान तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं के लिये पास हो जाते हैं तब राजपत्रित अधिकारियों/संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों से दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद भी नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र का सत्यापन करवाया जाता है जबकि अन्य उम्मीदवारों के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों/संसद सदस्यों/विधान सभा के सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले 2 प्रमाण-पत्र ही उन्हें नौकरी देने के लिये पर्याप्त समझे जाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई भेदभाव किया जाता है और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इसको दूर करेंगे ?

**श्री एल० एन० मिश्र** : जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और यदि कोई है तो उसे दूर कर दिया जायेगा ।

**श्री समर गुह** : बात यह है कि क्या संवैधानिक दृष्टि से "अल्प संख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने" की, जैसे मुसलमानों, ईसाइयों आदि को, परिभाषा की जा सकती है ? मेरे विचार में ऐसा संभव नहीं है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वास्तव में क्या कारण है कि मुसलमान पर्याप्त संख्या में नियुक्त नहीं हो पाते ? क्या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ऐसा होता है ? क्या मुसलमानों अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है ? अथवा इसका कारण इन पदों के लिये उनके आवेदन-पत्रों की संख्या पर्याप्त न होना है ? क्या सरकार इन कारणों की जांच करने के लिये एक समिति बनायेगी कि क्या कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है अथवा मुसलमानों आवेदकों के साथ भेदभाव किया जाता है ?

**श्री एल० एन० मिश्र** : किसी प्रकार का जानबूझ कर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है । कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं होता । अतः समिति नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Shri Hukam Chand Kachawai :** It is clear from the figures given in reply to the main question that reservation quota is not completed. Will the hon'ble Minister give an assurance that the remaining quota will be completed within a specified period? May I know the outline of the simple and straight scheme envisaged to achieve this object ?

**Shri L.N. Mishra :** A copy of the said scheme will be laid on the Table. We shall always try to fill the reservation quota by recruitment of scheduled castes and scheduled tribes.

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Will any time limit be set to achieve this object *(Interruption)*:

**श्री पी० एम० सईद :** इस प्रश्न का संतोषजनक ढंग से उत्तर नहीं दिया गया है । इस विषय पर दो घण्टे तक चर्चा करने के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये । क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध कर सकता हूं कि वह चर्चा के लिये मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें ?

**श्री पीलू मोदी :** क्या आप मुझे एक छोटा-सा प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे ?

**श्री ए० पी० शर्मा :** क्या आप चर्चा करने की अनुमति देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने इस प्रश्न के लिये आधे घण्टे का समय दे दिया है । हम 1 घण्टे में केवल 4 प्रश्नों पर चर्चा कर सके हैं ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** आप अध्यक्ष हैं और मंत्री महोदय ने प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया है और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और आप भी इसके लिये जिम्मेदार ठहराये जायेंगे ।

**Mr Speaker :** I may tell you that if all the hon'ble Members speak at a time and then expect the Chair to listen to their request, it cannot be done. I do not think that it is possible. There is only one person to listen and so many to speak at a time. Tell me, how is it possible?

**श्री पीलू मोदी :** मेरी सहानुभूति अल्पसंख्यकों के साथ है, अध्यक्ष महोदय के साथ नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है । इसका एक ही समाधान है कि चर्चा के लिये कुछ समय निकाला जाये और जो माननीय सदस्य रह गये हैं उन्हें उसमें भाग लेने दिया जाये और जो श्री पीलू मोदी, श्री खुदा बख्श, श्री पन्ना लाल ..... (**व्यवधान**) ।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### "कोर्ट डिले हैल्प्स क्रिमिनल्स" नामक समाचार

***25. श्री माधूयर्ष हाल्दार**
**श्री विक्रम महाजन :**

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जून, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'कोर्ट डिले हैल्प्स क्रिमिनल्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच०एस० गोखले):** (क) जी हां ।

(ख) दंड प्रक्रिया से संबंधित विधि पर विधि आयोग द्वारा सभी पहलुओं से विचार किया गया है । आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 'दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970' शीर्षक से एक विधेयक संसद में पुर:स्थापित किया गया था और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया था । संयुक्त समिति द्वारा यथा निर्दिष्ट विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया और इस पर अब लोक सभा द्वारा विचार किये जाने की प्रतीक्षा है । राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक के उपबन्ध आपराधिक मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिये है ।

## ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी विषयक समिति का प्रतिवेदन

*26. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी के प्रश्न की जांच करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई और सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें कौन-कौन सी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और समिति अपना प्रतिवेदन कब तक पेश कर देगी ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव)** : (क) जी, नहीं । विद्युत सप्लाई के मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों और अन्य उपभोक्ताओं द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों की जांच करने और औपचारिक उपाय सुझाने हेतु नियुक्त समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समिति को, भी कुछ शेष ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करना है और उसकी इस वर्ष के अन्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है ।

## मतदान के लिए आयु सीमा को घटाना

*27. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
**श्री सरजू पाण्डे :**

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदान के लिये आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष करने के संबंध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्णय कब तक किया जाना है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कतिपय ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयों की भी जांच की जानी है जो निर्वाचक-मंडल के विस्तार के कारण उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे और अधिक नामों को जोड़ना आदि जो निर्वाचन संबंधी व्यवस्था के लिये आवश्यक होगी । इन परिस्थितियों में किसी निर्णय पर पहुंचने में कुछ और समय लगने की संभावना है ।

## ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र की क्षमता को दुगुना करने का प्रस्ताव

*28. **श्री राम भगत पासवान**
**श्री वर्के जार्ज :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र की क्षमता को दुगुना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री देवकान्त बरुवा)**: (क) और (ख) ट्राम्बे परियोजना के विस्तार हेतु एक योजना सरकार के विचाराधीन है । इस योजना में प्रति वर्ष 375,000 मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 375,00मी० टन पी2 ओ5, जो कि एन० पी० फर्टिलाइजर्स के रूप में होगा, के अतिरिक्त उत्पादन करने की योजना है । इस योजना में 37.5 करोड़ रुपये का व्यय आने का अनुमान है जिसमें से विदेशी मुद्रा का अंशदान लगभग 13.8 करोड़ रुपये का होगा ।

## मुजफ्फरपुर तथा सीतामढी के बीच सीधे रेल सम्पर्क के सम्बन्ध में ज्ञापन

*29. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने के संबंध में बिहार के विधायकों द्वारा हाल में प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र)**: सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच सीधे रेल सम्पर्क के लिये अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रथम दृष्टि में, यातायात या वित्तीय दृष्टिकोण से इस सीधे रेल सम्पर्क का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। बाराबंकी-समस्तीपुर मीटर लाईन को बड़ी लाईन में बदलने की मिश्रित परियोजना के एक भाग के रूप में, समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर मीटर खंड को पहले ही बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। मुजफ्फरपुर रक्सौल या समस्तीपुर-दरभंग-रक्सौल खंड के आमान परिवर्तन के प्रस्ताव अलग अलग विचाराधीन है। आमान-परिवर्तन परियोजना पर निर्णय हो जाने के बाद ही इस सम्पर्क पर विचार किया जा सकता है।

## दुर्गापुर उर्वरक परियोजना में उत्पादन आरम्भ होने में विलम्ब

*30. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर उर्वरक परियोजना के निर्माण की मूल रूपरेखा को, जिसमें योजना को शीघ्र पूरा करने के लिये आवश्यक आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधायें, तकनीकी सहयोग, ठेके और विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने जैसी बातें सम्मिलित हैं, वर्ष 1966 के अन्त में अन्तिम रूप दे दिया गया था;

(ख) क्या पी० एण्ड डी० डिवीजन ने परियोजना को 1966 तक पूरा करने का कार्यभार संभाला था और क्या वर्ष 1971 के मध्य तक परियोजना को चालू करने का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संयंत्र में गत दो वर्षों के दौरान उर्वरक उत्पादन आरम्भ न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) दुर्गापुर संयंत्र में तुरन्त उर्वरक उत्पादन आरम्भ करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री देवकान्त बरूवा)** : (क) यद्यपि प्रमुख तकनीकी सहयोग और सप्लाईज ठेकों को 1966 के अन्त तक अन्तिम रूप दिया गया था; किन्तु कई आधारभूत-ढांचे संबंधी सुविधाओं को इस समय तक नहीं जुटाया जा सका। कच्चे माल के लिये विदेशी मुद्रा को बाद में मई/जुलाई 1967 में दिया गया था।

(ख) पी० एण्ड डी० डिवीजन और स्थल संस्था का परियोजना को पूर्ण करने का संयुक्त उत्तरदायित्व था। सितम्बर, 1971 में संयंत्र के निर्माण का कार्य पूरा किया गया था किन्तु संयंत्र ने अभी उत्पादन शुरू नहीं किया है।

(ग) कुछ आयातित उपकरणों में यान्त्रिक खराबियों और परीक्षण परिचालनों के प्रारम्भ होने से उत्पन्न हुई अन्य समस्याओं के कारण परियोजना के चालू होने में विलम्ब हुआ है।

(घ) संयंत्र को चालू करने में हो रही प्रगति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है। संयंत्र में कई मरम्मत एवं संशोधन कार्य किये जा रहे हैं। ज्योंही ये कार्य पूरे होंगे त्योंहि संयंत्र उत्पादन प्रारम्भ कर सकेगा।

## बिजली संकट को पुनरावृत्ति रोकने तथा बिजली अधिक पैदा करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव

*31. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली संकट को पुनरावृत्ति रोकने तथा बिजली अधिक पैदा करने के लिये राज्य बिजली बोर्डों को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव)** : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्डों को पुनः बनाने और उनके दक्ष प्रचालन के लिये प्रस्तावों पर राज्य सरकारों के साथ सलाह करके विचार किया जा रहा है। विद्युत की बढ़ती हुईमांग को पूरा करने के लिये विद्युत उत्पादन क्षमता में पर्याप्त आवर्धन की स्कीमों पर तेजी से कार्यवाही की जा रही है।

उम्मीद है कि पांचवीं योजना के अंत तक स्थापित उत्पादन क्षमता, चतुर्थ योजना के अन्त तक की क्षमता से लगभग दुगुनी हो जायेगी। अतः विद्युत संकट को किसी भी पुनरावृत्ति का खतरा नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार पांचवीं और बाद की योजनाओं में विद्युत उत्पादन और पारेषण में राज्यों के प्रयत्नों में सहायता करने और जब भी कभी किसी राज्य अथवा क्षेत्र में बिजली की कमी हो उसे पूरा करने में सक्रिय और अधिकाधिक भाग लेगी।

## मिट्टी के तेल की कमी

*32. **श्री सेझियान**: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों से जनता की मांग पूरी करने के लिये मिट्टी के तेल की कम सप्लाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कमी कितनी है; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री देवकान्त बरूआ)**: (क) जी हां।

(ख) राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में मार्च और अप्रैल के महीनों में 10% , मई तथा जून, 1973 में 10% तक की कटौती की गई थी।

(ग) गेहूं की गहाई के लिये कृषकों की मांग को पूरा करने के लिये अनाज के परिवहन तथा बिजली उत्पन्न करने की मशीनों आदि के लिये तुरंत अपेक्षित हाई स्पीड डीजल आयल का उत्पादन बढ़ाने के लिये ये कटौतियां की गई थी। राज्यों के कोटे में कटौती किये जाने के अतिरिक्त, विमानन ईंधनों के उत्पादन में कमी करने के लिये भी उपाय अपनाये गये थे। मानसून के शुरू होने से कृषि संबंधी कार्यों के लिये डीजल आयल की मांग अब घट गई है और इसलिये राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे जुलाई, 1973 के महीने से पूर्ण रूप से बहाल कर दिये गये हैं।

## Strike by Desu Employees in June, 1973

*33. **Dr. Laxminarain Pandeya**
**Dr. Jagannath Mishra:**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the employees of Delhi Electricity Supply Undertaking went on strike during the last week of June, 1973 and if so their main demands;

(b) the amount of loss suffered by the Electricity Department as a result thereof; and

(c) the steps taken by Government in the matter?

**The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao)**: (a) Yes, Sir. The main demand of the workers is for a proportionate increase in emoluments which amounts to about 66 per cent in the case of categories not covered by the Report of the Sivasankar Committee.

(b) The power-house was shut down on 26th June at 2.00 P.M. due to low voltage supply for auxilaries and was resumed only at 2.00 A.M. on 27th June, 1973. The loss of production was 1.5 million units.

(c) The technical problems of power station have been examined by the Tata Rao Committee and problems of low voltage from B.M.B. were examined by a Study Group set up under the Chairmanship of Shri B.V. Deshmukh (Chairman, B.M.B.). The various Departments/ Organisations concerned have been asked to implement their recommendations urgently.

## पाकिस्तान द्वारा पूंछ नहर को बन्द किया जाना

*34. **श्री हरी सिंह**
**श्री वी० मायावन:**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने पूंछ नहर को बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव):** (क) और (ख) झेलम की एक सहायक नदी, बेतार नाला, 140 मेगावाट उत्पादन के पूंछ विद्युत घर का पोषण करता है । इस शाखा का शीर्ष पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है तथा पाकिस्तान प्राधिकारियों ने 15 जून, 1973 को इस शाखा को अवरुद्ध कर दिया है और इस प्रकार पूंछ विद्युत घर में विद्युत उत्पादन बन्द हो गया । क्योंकि बेतार नाला तथा इसकी शाखायें पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में बहती हैं । इसलिये भारतीय प्राधिकारियों के लिये इसको व्यपर्तन करके इसके जल को पूंछ पोषक चैनल की ओर मोड़ना आसान था । विद्युत घर ने 19 जून, 1973 को उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ।

## पांचवीं योजना में एरणाकुलम को अलैप्पी और कायमकुलम से मिलाने वाली तटीय रेलवे

*35. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**
**श्री वयालार रवि:**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विधान सभा ने सर्व-सम्मति से एक संकल्प पास करके केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि एरणाकुलम को अलेप्पी और कायमकुलम से मिलाने वाली तटीय रेलवे के निर्माण की योजना को पांचवीं योजना में शामिल किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) :** (क) प्रस्ताव मिल गया है ।

(ख) 1970 में किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि यह परियोजना अलाभप्रद है । इस लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत, जैसा कि सर्वेक्षण से पता चला, 10 करोड़ रुपये आयेगा । यह क्षेत्र सड़क और भीतरी जलमार्ग द्वारा भली-भांति सेवित है । वर्तमान कोल्लम-एरणाकुलम मीटर लाइन भी, जिसे बड़ी लाइन में बदला जा रहा है, समुद्र तट से बहुत दूर नहीं है । इसे तथा नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये उपलब्ध सीमित साधनों को देखते हुए इस परियोजना पर निकट भविष्य में विचार करना कठिन है ।

## लोअर दामोदर क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण प्रबंधों का पूरा किया जाना

*36. **श्री दिनेन भट्टाचार्य :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोअर दामोदर क्षेत्र में बाढ़ नियन्त्रण प्रबन्धों का पहला चरण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्य को अति शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव):** (क) से (ग) लोअर दामोदर सुधार स्कीम का प्रथम चरण, जिसकी अनुमानित लागत 6.82 करोड़ रुपये है, अप्रैल, 1971 में योजना आयोग द्वारा क्रियान्वियनार्थ स्वीकार किया गया था । इस स्कीम पर 1971–72 में कार्य आरम्भ किया गया । स्कीम रिपोर्ट में सम्मिलित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार, इस कार्य को चार वर्षों की अवधि में पूर्ण किया जाना है । अतः मार्च, 1975 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

स्कीम का कार्य प्रगति पर है और मार्च, 1973 के अन्त तक इस पर 341.80 लाख रुपये व्यय हुए हैं । 1973–74 के लिये 2 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है । प्रगति को वर्तमान गति से, चरण–एक पर कार्य के लक्ष्य तिथि तक पूर्ण होने की संभावना है ।

## Report of Committee on free Legal Assistance to the poor

*37. **Shri M.S. Purty**
**Shri Shrikrishna Agarwal:**

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Committee on free legal assistance to the poor has submitted its report to Government;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to implement the recommendations made therein?

**The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) :** (a) Yes, Sir.

(b) The salient features of the report are:

(1) Making provision for a comprehensive, legislative scheme of legal aid.

(2) Formation of a Statutory Corporation to stimulate guide and perpetuate organised free legal services which is insulated from official or party pressure.

(3) Organisation of a network of legal aid groups of bar associations, law schools, community organisations, a variety of rural, private and public agencies, organs of local Governments and *ad hoc* panels of private lawyers.

(4) Amendment of the Code of Civil Procedure to provide for (a) concilliation procedures (b) assignment of counsel to indigent persons and other provisions.

(5) Simplification of the Criminal Procedure and liberalising bail provisions.

(6) Constitution of a 'Litigation Fund' for workers in industries.

(7) Creation of special advisory committee for legal aid to Scheduled Caste and Scheduled Tribes and appointment of welfare officers for tribal areas and harijan habitation.

(8) Providing public defence counsels in children courts.

(9) Enlarging the jurisdiction of Nyaya Panchayats.

(10) Making statutory provisions for all lawyers to do a specified minimum of legal aid work, and

(11) Other allied matters.

(c) The report is under consideration of the Government.

## डालखोला, उत्तर बंगाल में तापीय परियोजना की स्थापना

*38. **श्री आर० एल० वर्मन**
**श्री बी० क० दास चौधरी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल में डालखोला में तापीय परियोजना की स्थापना के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) उक्त परियोजना संभवतया किस तारीख तक चालू हो जायेगी; और

(ग) क्या उक्त परियोजना के चालू होने में कुछ विलम्ब हो रहा है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) :** (क) उत्तरी बंगाल में डालखोला में एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिये परियोजना रिपोर्ट, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं की सलाहकार समिति ने स्वीकृत कर ली है । परियोजना स्वीकृति के लिये योजना आयोग के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) धनराशि उपलब्ध होने पर, इस परियोजना को पूर्ण होने के लिये कार्य के, आरम्भ होने के पश्चात् लगभग 5–6 वर्ष लगने की संभावना है ।

## 25 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली औषध निर्माता फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस दिए जाना

*39. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 से 25 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली औषध निर्माता फर्मों को कोई सी०ओ० बी० लाइसस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक लाइसेंस की क्षमता कितनी है; और

(ग) ये लाइसेंस उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 अथवा किसी अन्य कानून के किन उपबन्धों के अंतर्गत दिये गये थे ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री देवकान्त बरूवा) :** (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5155/73]**

(ग) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 13(1) (ग) के अन्तर्गत और कथित अधिनियम की 29 वीं धारा की (1) एवं (2) उप-धाराओं के अनुसरण में सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी किये गये थे ।

## आप्टा से मंगलौर तक पश्चिम तटीय रेलवे का निर्माण

*40. **श्री शंकर राव सामन्त**
**श्री बी० वी० नायक :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आप्टा से मंगलौर तक पश्चिम तटीय रेलवे के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने समूची परियोजना को अथवा केवल उसके एक भाग को स्वीकृति दी है; और

(ग) पुलों और सुरंगों पर कार्य कब आरम्भ होगा ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):** (क) से (ग) इस परियोजना पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है । इसी बीच आप्टा-दासगांव खण्ड (108 कि० मी०) पर सूखे से राहत के रूप में मिट्टी का काम प्रारम्भ कर दिया गया है और उसके लिये अपेक्षित तात्कालिक प्रमाणपत्र पहले ही मंजूर किया जा चुका है । आप्टा-दासगांव फुट खण्ड पर विभिन्न स्थानों पर सूखाराहत के अन्तर्गत लगभग 92841 घन-मिट्टी डाली जा चुकी है । लगभग 800 कि० मी० लम्बाई के दासगांव-मंगलूर खण्ड के शेष भाग के लिये विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण जरूरी होगा । पश्चिमी तट रेल परियोजना सहित विकासात्मक लाइनों के लिये पांचवीं योजना में अतिरिक्त धन के आवंटन के लिये योजना आयोग से अनुरोध किया गया है ।

## विदेशी औषध निर्माता फर्मों द्वारा अनधिकृत उत्पादन

201. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन को रोकने की दृष्टि में रखते हुए कच्चा माल/सामग्री का आयात केवल लाइसस शुदा क्षमता के आधार पर करने की अनुमति देनी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या जहां तक 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाले औषध एककों का प्रश्न है, इनके द्वारा अनधिकृत उत्पादन के सभी मामलों में उक्त निर्णय लागू किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इनमें से किन एककों को अभी भी अनधिकृत उत्पादन के आधार पर कच्चा माल/सामग्री आयातित करने की अनुमति दी जा रही है ; और

(घ) यदि अपवादस्वरूप किसी अधिकार द्वारा ऐसा करने की अनुमति दी गई है तो वह क्या है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) और (ख) जी हां। प्राधिकृत क्षमता के आधार पर प्रमुख औषधियों के उत्पादन के लिये कच्चे माल/मध्यवर्ती पदार्थों के आवंटन पर इस समय प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

## अनधिकृत उत्पादन के लिए औषध निर्माता फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

**202. श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 8 मई, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 1006 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने अनधिकृत रूप से लाइसेंस शुदा क्षमता से बहुत अधिक उत्पादन किया है;

(ख) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि आयातित कच्चा माल/सामग्री का आयात लाइसेंस शुदा/अधिकृत क्षमता के आधार पर करने की अनुमति दी जाये ;

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा उपरोक्त प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के अपने उत्तर में बताये गये पांच फर्मों को कच्चा माल/सामग्री किस आधार पर आयात करने की अनुमति दी जा रही है; और

(घ) क्या इन फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) जी नहीं।

(ख) जी हां ।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित सरकार के निर्णय के अनुसरण में प्रपुन्ज औषधियों के विनिर्माण के लिये कच्चे माल/मध्यवर्ती पदार्थों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं।

(घ) औषधियों की अत्यावश्यक और देश में उनकी आवश्यकताओं एवं उनके वर्तमान आयात तथा देशीय उत्पादन को ध्यान में रखते हुए अनधिकृत उत्पादन पर कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है।

## Survey for oil Reserves in Manipur

**203. Shri Dharaamrao**
**Shri Sharanappa**
**Shri Afzalpurkar:**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there are indications of huge oil reserves in Manipur; and

(b) whether Government have conducted any survey in this regard and if so, the results thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Dalbir Singh)**: (a) and (b) A reconnaissance geological survey of the Manipur Valley and the adjoining hill area had been conducted during the year 1963-64. The data thus gathered had revealed that the exposed roks in those parts are not of interest for exploration for oil/gas.

## Sabotage in Patratu and Barauni Thermal Power Plants

**204. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the suspected acts of sabotage in the Patratu and Barauni Thermal Power Plants during May and June, 1973;

(b) the amount of national property damaged as a result thereof; and

(c) the number of persons against whom Government have taken action in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma):** (a) The Bihar State Electricity Board have intimated that there have been acts of sabotage in the Patratu and Barauni Thermal Power Plants during May and June, 1973. The Police have registered six cases against unknown persons. The Bihar State Govt. have been fully appraised of the acts of sabotage.

(b) The extent of damage to national property is under scrutiny. The actual amount of loss has not yet been assessed.

(c) The acts of sabotage are at present under investigation of the Bihar State Police. The question of taking action against the persons would be conisdered after the result of the Police Investigations are known.

## अखिल भारतीय रेलवे यात्री एसोसिएशन से ज्ञापन

**205. श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मई, 1973 में अखिल भारतीय रेलवे यात्री एसोसियेशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सारांश क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है

**रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) ऐसे किसी संगठन से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल्स लिमिटड त्रावनकोर के कारखाने के चलने में गड़बड़ी उत्पन्न होना

**206. श्री वयालार रवि :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एंण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर के कोचीन डिवीजन में अन्तिम परीक्षण के दौरान फिर से उसके चलने में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा इसमें दोषों का पता लगाने और उपचारात्मक कार्यवाही करने में असफलता के क्या कारण हैं और इसमें वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की अब क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) अनेक समस्याओं को, जिनके कारण संयंत्र को चलाने में विलम्ब हुआ है, मालूम कर लिया गया है तथा उचित सुधार सम्बन्धी कदम उठा लिए गये हैं । हाल ही में संयंत्र को सीमित भार पर चलाया गया था तथा अब इसको मरम्मत करने और इसमें सुधार लाने के लिये बंद कर दिया गया है । इस कार्य के पूर्ण होते ही, इसमें उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

## केरल की वामनपुरम सिंचाई परियोजना को पांचवीं योजना में शामिल किया जाना

**207. श्री वयालार रवि :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सिफारिश की है कि वामनपुरम सिंचाई परियोजना को पांचवीं योजना में शामिल किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा):** (क) केरल सरकार से अभी तक पांचवीं योजना के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## केरल में सिंचाई परियोजनाएं

**208. श्री वयालार रवि :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनसे किसानों को वर्ष 1973–74 के दौरान पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से लाभ होगा; और

(ख) उस राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उनको पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :** (क) राज्य में पहले से पूरी की गई 10 बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें नामश: नय्यर, चालाकुडी, मलमपुरम, वजानी (वडावकलन चेटी), पोची, वलयार, चीरापूंजी, पोथुण्डी, गायत्री और मंगलम हैं जो कि 2.29 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करती हैं । इनके अतिरिक्त राज्य में सात बृहद परियोजनायें नामश: परियार घाटी, कल्लाडा, पम्बा, कुट्टियाडी, चित्तुरपुझा, कन्होरापुझा तथा पझासी इस समय निर्माणाधीन हैं । इनमें से पेरियार घाटी, कुट्टियाडी और चित्तुरपुझा ने लाभ पहुंचाना प्रारंभ कर दिया है, पम्बा परियोजना आंशिक रूप से 1973–74 के दौरान चालू की जानी प्रत्याशित है ।

(ख) केरल सरकार ने बताया है कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों पर प्रगति संतोषप्रद है । केरल सरकार समय-समय पर आग्रह करती रही है कि उनकी सिंचाई परियोजनाओं को गति में तेजी के लिये राज्य को योजना ढांचे के बाहर उन्हें विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाये । देश में चुनी हुई कुछ ऐसी बृहद् सिंचाई परियोजनाओं, केरल की कुछ परियोजनाओं सहित, को ऐसी सहायता देने के प्रश्न को योजना आयोग में जांच की जा रही है, जिनका तेज गति से निर्माण आगामी तीन वर्षों में काफी अतिरिक्त सिंचाई शक्यता के सृजन करने में सहायक हो सकता है ।

## Fire in the Kerosene oil Godown in North Bombay

**209. Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether a huge Kerosene Oil godown situated at a place named Sewri in North Bombay caught fire on the 8th May, 1973;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the estimated loss as a result thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh):** (a) No instance of fire accident in any Kerosene Oil Godown situated at Sewri in North Bombay has been reported by any of the Marketing Oil Companies.

(b) and (c) Do not arise.

## इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, दिल्ली से ईन्धन का चोरी हो जाना

**210. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ बिजली घर (दिल्ली) में 12 जून, 1973 को ईंधन गायब पाया गया, जबकि एक तेल टैंकर में से, जो शकूरबस्ती डिपो से ईंधन लाया था, दो डिब्बे पूरी तरह से खाली पाये गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बंध में कोई जांच की गई है तथा अपराधी पकड़े गए हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा):** (क) जी, नहीं । यह जानबूझ कर एक धोखाधड़ी का मामला था, जिसका निरीक्षण के द्वारा पता चला ।

(ख) मामला पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसने गाड़ी के चालक और संवाहक को टैंकर सहित गिरफ्तार कर लिया है ।

(ग) आई०ओ०सी० द्वारा लौरी टैंकरस के द्वारा सप्लाई किये जाने वाले तेल की रसीद को चैक करने के तरीके को सख्त करने के लिये उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं । वाहनों के आवागमन के निरीक्षण और इस बात को सुनिश्चि करने के लिये कि आवागमन में कोई चोरी न हो यह मामला आई०ओ०सी० के साथ उठाया गया है । इन्द्रप्रस्थ केन्द्र पर सुरक्षात्मक प्रबंध कड़े कर दिये गये हैं ताकि अन्दर आने वाली लारियां माल उतारने से पहले और बाद में निरीक्षण होकर आयें-जायें । आई०ओ०सी० से रेलवे वैगनों के माध्यम से फरनेस तेल प्राप्त करने के लिये कार्रवाई की जा रही है और उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव की संवीक्षा की जा रही है ।

## कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कानपुर और अमृतसर में जालसाजों द्वारा आरक्षित टिकटों का खरीदा जाना

**211. श्री सरोज मुखर्जी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-सीमा समाप्त किये जाने के उपरान्त सितम्बर, 1973 के लिये तृतीय श्रेणी के शयन डिब्बों के अधिकांश आरक्षित टिकट पहले ही बिक गये हैं;

(ख) क्या कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कानपुर और अमृतसर नगरों में जालसाजों और चोर बाजारी करने वालों ने वहां के रेलवे काऊंटरों से लगभग सभी सीटों के लिये आरक्षण करा लिया है और इन आरक्षण टिकटों को वास्तविक रेलवे यात्रियों को ऊंचे मूल्यों पर बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सामान्य रेलवे यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):** (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## फरक्का बांध के द्वारा गंगा नदी का पानी भागीरथी नदी की ओर मोड़ने के लिए बंगलादेश के साथ समझौता

**212. श्री वरके जार्ज :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के अन्त तक गंगा नदी का 40,000 क्यूसेक पानी फरक्का बांध के द्वारा भागीरथी नदी की ओर मोड़ने के लिये कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस संबन्ध में बंगला देश से किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) फरक्का परियोजना और कलकत्ता पत्तन के बारे में 16 अगस्त, 1972 को लोक सभा के पटल पर सिंचाई और विद्युत मंत्री ने एक विवरण रखा था जिसमें फरक्का परियोजना के प्रचालन के लिये पद्धति को बताया गया है। पोषक नहर के, जो गंगा के, जल को भागीरथी में ले जायेगी, अगले वर्ष के आरम्भ तक तैयार होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) 16 और 17 जुलाई, 1973 को नई दिल्ली में बंगला देश के प्रतिनिधि मन्डल जिसका नेतृत्व महामहीम खण्डाकर मुश्ताक अहमद, बाढ़ नियंत्रण जल संसाधन और विद्युत मंत्री तथा भारत के प्रतिनिधि मन्डल जिसका नेतृत्व केन्द्रीय विदेश मंत्रालय के मंत्री ने किया था, के बीच फरक्का बराज परियोजना और इसके भारत तथा बंगला देश पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में विचार-विमर्श हुआ था। यह सहमति हुई थी कि दोनों फिर मिलेंगे और समस्या का हल निकालने के उद्देश्य से विचार-विमर्श जारी रखेंगे। दोनों देश आगे इस बात से भी सहमत हो गये कि फरक्का बराज परियोजना के प्रचालन से पहले पारस्परिक स्वीकार्य हल निकालना होगा।

## Location of fertilizer Factories and their Production

213. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the locations of Fertilizers factories in various States of India and the names of proprietors of each of them:

(b) whether the fertilizers, produced in these factories are sold out only after these have been tested in any of the laboratories of Government; and

(c) if not, whether Government propose to set up such type of laboratories?

**The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh)**: (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) and (c): The Fertilizers produced by domestic manufacturers are sold by them generally after testing at their own quality control laboratories. There is no proposal for setting up such type of laboratories by the Government.

STATEMENT

**Locations of Fertilizer factories in operation and their proprietors (excluding superphosphate factories and by-product units).**

| *S.No.* | *Location* | *Name of the proprietor/owner* |
|---|---|---|
| 1. | Nangal (Punjab) | Fertilizer Corporation of India Ltd. |
| 2. | Kota (Rajasthan) | Shri Ram Chemicals Industries Ltd. (DCM). |
| 3. | Kanpur (U.P.) | Indian Explosives Ltd. |
| 4. | Gorakhpur (U.P.) | Fertilizer Corporation of India Ltd. |
| 5. | Varanasi (This is mainly a Chemical plant) (U.P.) | Sahu Jain. |
| 6. | Baroda (Gujarat) | Gujarat State Fertilizer Company Ltd. |
| 7. | Trombay (Maharashtra) | Fertilizer Corporation of India Ltd. |
| 8. | Goa | Zuari Agro-Chemicals Ltd. |
| 9. | Namrup (Assam) | Fertilizer Corporation of India Ltd. |
| 10. | Sindri (Bihar) | Fertilizer Corporation of India Ltd. |
| 11. | Rourkela (Orissa) | Hindustan Steel Ltd. |
| 12. | Vizag (Andhra Pradesh) | Coromanda Fertilizer Ltd. |
| 13. | Udyogamandal (Kerala) | Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. |
| 14. | Madras (Tamil Nadu) | Madras Fertilizers Ltd. |
| 15. | Ennore (Tamil Nadu) | E.I.D. Parry Ltd. |
| 16. | Neyveli (Tamil Nadu) | Neyveli Lignite Corporation Ltd. |

## भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धकों का चयन

**214. श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने कहा है कि सरकारी पैनल द्वारा प्रबन्धकों का चयन किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)**: निगम से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पैनल बनाने वाले बोर्ड द्वारा उसके (निगम के) अधिकारियों को उपक्रम में उच्चस्तरीय पदों के लिये पेनल में लाने के लिए वर्तमान कार्यविधि से विमोचन के लिये अनुरोध किया गया है। निगम से यह कहा गया है कि वर्तमान कार्यविधि का पालन करें ।

## फैजाबाद में देहरादून एक्सप्रैस के साथ तीन बोगियों का जोड़ा जाना

**216. श्री आर० के० सिन्हा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को कुछ सुविधायें देने के लिये सरकार फैजाबाद में देहरादून एक्सप्रेस के साथ तीन बोगियां जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिनको अन्ततः 83 अप गाड़ी के साथ जोड़ा जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## सरजू एक्सप्रैस की रफ्तार को बढ़ाना

**217. श्री आर० के० सिन्हा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरजू एक्सप्रेस गाड़ी को एक तेज रफ्तार गाड़ी बनाने तथा पटरी को भी मजबूत बनाने का कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## मथुरा के तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य में प्रगति

**218. श्री आर० के० सिन्हा**

**श्री नवल किशोर सिन्हा** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) और (ख) मथुरा शोधनशाला के लिये स्थल का चयन किया गया है। स्थल का सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण, पानी की सप्लाई की योजना और प्रवाही प्रणाली आदि पर काम हो रहा है।

भारत सरकार और सोवियत संघ सरकार के बीच 20 जुलाई, 1973 को एक सलेख पर हस्ताक्षर किये गये हैं। सलेख में मथुरा शोधनशाला के निर्माण के लिये दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यवस्था है। भारतीय तेल निगम द्वारा तैयार संशोधित सम्भाव्य रिपोर्ट के अनुसार शोधनशाला का निर्माण प्रायोजना की स्वीकृति की तिथि से 60 महीनों के अन्दर सम्पन्न होने की आशा है। सरकार द्वारा प्रायोजना के लिये शीघ्र ही स्वीकृति दिये जाने की आशा है और शोधन शाला के 1975 तक चालू हो जाने की आशा है।

## शारदा सहायक परियोजना

**219. श्री आर० के० सिन्हा:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री सरजू योजना के बारे में दिनांक 24 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7930 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारदा सहायक परियोजना के संबंध में अब तक आगे क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना से फैजाबाद डिवीजन/जिले में कितनी भूमि की सिंचाई होगी; और

(ग) इस परियोजना के समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा):** (क) शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत कार्यों पर प्रगति होना जारी है। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।

**खिरजा बराज**——35 में से 9 खाड़ियां पूरी की जा चुकी हैं। शेष 26 खाड़ियों को जून, 1975 तक पूर्ण करना सम्मिलित हैं।

**निम्न शारदा बराज**——शारदा बराज पर कार्य जिसमें 18 मीटर लंबी 20 खाड़ियां शामिल हैं और जिसे सितम्बर/अक्तूबर, 1972 में प्रारम्भ किया गया था, इस समय तक पूर्ण हो चुकी है। इस बराज के फाटकों आदि के निर्माण तथा इरेक्टन का कार्य जून, 1974 तक पूरा होना प्रत्याशित है।

**सम्पर्क चैनल और पोषक चैनल**——सम्पर्क चैनल तथा पोषक चैनल में मुख्यतया 105 कि०मी० तक जहां यह ढरियाबाद शाखा से मिलती है, पूरे जोर पर है तथा कार्य का 60 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। पोषक चैनल पर 105 कि०मी० तक शेष कार्य जन, 1974 तक पूरा होना अनुसूचित है।

**वितरण प्रणाली**——कार्य प्रगति पर है।

(ख) गंगा-घाघरा दोआबा में पड़ने वाला फैजाबाद प्रखंड के विभिन्न जिलों में सिंचित किये जाने के लिये संभावित क्षेत्र निम्नलिखित है :

| | |
|---|---|
| 1. बाराबंकी | 4.75 लाख हैक्टेयर |
| 2. फैजाबाद | 1.23 लाख हैक्टेयर |
| 3. प्रताप गढ़ | 2.27 लाख हैक्टेयर |
| 4. सुलतानपुर | 3.30 लाख हैक्टेयर |

(ग) 1972–73 के दौरान इस परियोजना के लिये 6.3 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गयी थी। 1973–74 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता देने का प्रश्न योजना आयोग में विचाराधीन है।

परियोजना के विभिन्न कार्यों के लिये इस्पात की कमी को पूरा करने के लिये, भारत सरकार ने इस्पात के आयात का अनुमोदन कर दिया है। राज्य सरकार ने सीमेंट देने के संबंध में इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता दे दी है। वर्तमान योजना के अनुसार, कुछ परिष्करण कार्यों को छोड़ कर जो कि 1980 तक पूर्ण होने सम्भावित हैं, शारदा सहायक परियोजना के 1978 तक पूर्ण होने की संभावना है।

## तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा त्रिपुरा में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

**220. श्री बीरेन दत्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण हेतु त्रिपुरा में भूमि खरीदनी है ;

(ख) कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों तथा केन्द्रीय कार्यालय के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि समस्त उपनगर के लिये लगभग 131 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। निर्माण कार्य कई चरणों में किया जायेगा। निर्माण कार्यक्रम के प्रथम चरण के लिये 38.14 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(ग) निर्माण कार्य के प्रथम चरण के शीघ्र ही शुरू होने की आशा है।

## धर्मनगर से कुमारघाट तक रेलवे लाइन का निर्माण

**221. श्री वीरेन दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मनगर से कुमारघाट तक रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य नवम्बर, 1973 में आरम्भ हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना में स्थानीय मजदूरों को कार्य दिया जायेगा ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) धर्मनगर से कुमारघाट तक रेलवे लाइन बनाने के संबंध में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना

**222. श्री सतपाल कपूर**
**श्री एम० एम० जोजफ :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को जून, 1973 के अंतिम सप्ताह में बिजली के बन्द होने की अभूतपूर्व घटना का सामना करना पड़ा है ;

(ख) उसके मुख्य कारण क्या थे और क्या ऐसा तोड़-फोड़ के कारण हुआ था; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि यह अत्यावश्यक सेवा उचित तथा ठीक ढंग से चले तथा इस सेवा में कार्य करने वालों की सेवा की शर्तों में सुधार हों, क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)** : (क) और (ख) जी, हां। इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र के बन्द हो जाने के कारण 26-6-1973 को दिल्ली में बिजली बन्द हो गई थी। यह प्रणाली भार स्थितियों के कारण भार पड़ा सप्लाई के अत्याधिक निम्न वोल्टता के साथ संयोजित कतिपय उत्पादन यूनिटों के बाध्य आउटेज, भारी प्रणाली भार के द्वारा हुआ। कुछ कर्मचारियों के द्वारा की गई हड़ताल के कारण विद्युत उत्पादन को बनाये रखने तथा पुनः आरम्भ करने में कठिनाईयां हुईं।

तोड़फोड़ की कार्यवाही की आशंका नहीं है।

(ग) विद्युत केन्द्र की तकनीकी समस्याओं की जांच टाटा राव समिति द्वारा की गई है और भाखड़ा प्रबंध बोर्ड से निम्न वोल्टता की समस्याओं की जांच श्री वी०वी० देशमुख (अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबंध बोर्ड) की अध्यक्षता में स्थापित एक अध्ययन दल द्वारा की गई थी। संबंधित विभिन्न विभागों/संगठनों को उनकी सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कहा गया है।

शिवाशंकर समिति जिसका गठन दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अभियंताओं तथा तकनीकी पर्यवेक्षण कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के उद्देश्य से किया गया था, की अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वयन की जा रही है । कर्मचारियों की मजदूरी में अनुपातिक वृद्धि से संबंधित प्रश्न, जो कि शिवाशंकर समिति की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आया, पर भी विचार किया जा रहा है ।

## कानपुर-आगरा रेलवे सैक्शन पर इस्तेमाल किए गए टिकटों की पुनः बिक्री करने वाला गिरोह

**223. श्री सतपाल कपूर**

**श्री नवल किशोर सिन्हा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कानपुर-आगरा रेलवे की सैक्शन पर रेलवे की इस्तेमाल की हुई टिकटों को पुनः बिक्री करने वाले गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो दोषियों को दंड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसे गिरोहों की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) इस मंत्रालय में मिली सूचना के अनुसार, मूलगंज, कानपुर नगर बुकिंग एजेंसी से आगरा फोर्ट के लिये जारी किये गये टिकट वापस कानपुर लाये जा रहे थे और बुकिंग एजेंसी द्वारा फिर से बेचे जा रहे थे या ऐसा दिखाया जा रहा था कि उनका मूल्य वापस कर दिया गया है । यह सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दे दी गयी थी जिसने जांच के लिये मामला दर्ज कर लिया था । कानपुर और आगरा फोर्ट पर कड़ी निगाह रखने और गुप्त जांच करने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो 19-5-73 को मूलगंज नगर बुकिंग एजेंसी पर इस्तेमाल शुदा टिकटों की बिक्री का एक मामला पकड़ने में सफल हो गया । केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा नगर बुकिंग एजेंसी की तलाशी लिये जाने पर 15 इस्तेमाल शुदा टिकट और बरामद हुए । इस के बाद उस आदमी के घर की तलाशी भी ली गयी जिसे आगरा फोर्ट से इस्तेमाल शुदा टिकट वापस लाते हुए देखा गया था । इसके फलस्वरूप कुछ ऐसे कागजात पकड़े गये जिनसे जालसाजों के एक गिरोह के होने के संकेत मिले । केन्द्रीय जांच ब्यूरो अभी और जांच कर रहा है ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

(ग) इस प्रकार की जालसाजी की रोकथाम के लिये जो कदम उठाये गये हैं वे संलग्न विवरण में बताये गये हैं ।

### विवरण

यदि कोई व्यक्ति रेल प्रशासन को धोखा देने के विचार से किसी ऐसे टिकट को इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल करने का प्रयास करता है जो इससे पहले वाली यात्रा में इस्तेमाल किया जा चुका है, तो उसे भारतीय रेल अधिनियम की धारा 112 के अधीन दण्ड दिया जा सकता है ।

रेल प्रशासनों को ये अनुदेश दिये हुए हैं कि सभी यात्रियों के टिकटों को प्रवेश द्वारों पर और गाड़ियों में थोड़ा सा कतर दिया जाये और गंतव्य स्टेशनों पर एकत्र करने के बाद रद्द कर दिया जाये ।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि यात्री समुचित टिकट लेकर यात्रा करें, टिकट जांच करने वाले कर्मचारी रेलों पर नियमित रूप से जांच करते रहते हैं ।

## उर्वरक निगम द्वारा लेखाबाह्य धन एकत्र करने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

**224. श्री सतपाल कपूर**

**श्री नवल किशोर सिन्हा :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उर्वरक निगम द्वारा आंध्र और मैसूर के व्यापारियों से तथाकथित लेखावाह्य धन एकत्र करने के मामले के बारे में कोई अन्तिम अथवा अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) आन्ध्र और मैसूर में बकाया राशि आदि के अनुचित रूप से एकत्र किये जाने के लिये जिम्मेदार पाये गये उर्वरक निगम के मैनेजरों (बिक्री) के नाम क्या हैं और इस दोष के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख) जांच की जा रही है। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच मुकम्मल किये जाने के पश्चात् ही स्पष्ट स्थिति का पता चलेगा।

## विदेशी व्यापारिक कम्पनियों के विरूद्ध उर्वरक निगम के द्वारा लगाए गये आरोपों के बारे में समाचार

**225. श्री सतपाल कपूर**

**श्री नवल किशोर सिन्हा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी व्यापारिक कम्पनियों के विरुद्ध उर्वरक निगम के आरोपों के बारे में 11 अप्रैल, 1973 के "पेट्रियट" में प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस बारे में उर्वरक निगम द्वारा पेश किये गये ज्ञापन की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उर्वरक डिजाइन कर्त्ता और परामर्शदाता संगठन का पुनर्गठन करने के लिये सरकार के समक्ष विचाराधीन प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) संदर्भित रिपोर्ट एक ज्ञापन से संबंधित है जिसे भारतीय उर्वरक निगम द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया बताया गया है। ऐसा कोई ज्ञापन प्रधान मंत्री को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## पश्चिम बंगाल में (एविएशन) ईंधन में मिलावट के कारण मिट्टी के तेल की कमी

**226. श्री माधुर्य हालदार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों के तेल (एविएशन फ्यूल) में मिलावट के कारण मिट्टी के तेल की कमी हो गई है ;

(ख) क्या इस मामले में अब तक कोई जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(घ) इस प्रकार का कदाचार करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

## विखरौली स्टेशन (मध्य रेलवे) पर गाड़ियों की टक्कर

**227. श्री माधुर्य हालदार**

**श्री के० लकप्पा :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के विखरौली स्टेशन पर 4 जून, 1973 को दो गाड़ियों में टक्कर हो गई थी;

(ख) इसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी; और

(ग) दुर्घटना के कारण क्या थे और दुर्घटना में हताहतों को क्या मुआवजा दिया गया ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्म शफ़ी कुरेशी)** : (क) जी हां ।

(ख) इस दुर्घटना में कोई नहीं मारा गया । लेकिन 11 व्यक्तियों को चोटें आयी जिनमें से एक को गम्भीर चोट आयी ।

(ग) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल, बम्बई ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी जिनकी अन-न्तिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी ।

दुर्घटनाग्रस्त किसी व्यक्ति को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है । केवल एक आवेदन-पत्र मिला है जिसमें मुआवजे की मांग की गयी है और उसपर पदेन दावा आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जा रही है । फिर भी, 11 घायल व्यक्तियों में से 8 घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के रूप में प्रति व्यक्ति 250 रुपये का भुगतान किया गया है ।

## भारत रक्षा नियमों के अधीन रेलवे को "अत्यावश्यक सेवा" घोषित करना

**228. श्री बनमाली पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षा नियमों के अधीन रेलवे को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) और (ख) भारत रक्षा कानून के नियम 119 के अन्तर्गत रेल सेवा एक "अनिवार्य सेवा" है। अतएव, रेलवे सेवा को "अनिवार्य सेवा" घोषित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

## कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रेलगाड़ी सेवा में गड़बड़ी से हुई हानि

**229. श्री बनमाली पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की हड़ताल के कारण उत्तर रेलवे की रेलगाड़ी सेवा में गड़बड़ी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कितनी हानि हुई; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि रेलगाड़ियां ठीक ढंग से तथा समय पर चलें, रेल कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 35 लाख रुपये ।

(ग) दो ऐसे महत्वपूर्ण मंच हैं जिनके जरिये कर्मचारियों की मांगें उठायी जा सकती हैं । इनमें से एक स्थायी वार्ता तंत्र है जो तीन विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहा है और दूसरा विभागीय परिषद् का संयुक्त परामर्श तंत्र है जो रेलवे बोर्ड के स्तर पर कार्य कर रहा है । इसके अलावा, किसी भी स्रोत से प्राप्त अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और व्यावहारिक कार्रवाई की जाती है । जब शिकायत करने और उन्हें दूर कराने के लिये इतने अवसर उपलब्ध हैं तो गैर-कानूनी हड़तालों के इस तरह के आकस्मिक विस्फोटों अथवा 'नियमानुसार कार्य' 'सुरक्षानुसार कार्य' आदि जैसे आन्दो-लनों के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये ।

प्रशासन के समक्ष जो भी मांगें प्रस्तुत की जाती हैं उन पर अत्यन्त सहानुभूतिपूर्वक यथोचित विचार किया जाता है । कर्मचारियों को यह महसूस करना चाहिये कि चूंकि कुछ मांगें कर दी गयी हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें तत्काल मान ही लिया जाना चाहिये । सरकार को इन मांगों पर वित्तीय साधनों, नियमों एवं विनयिमों की परिधि, मांगों को स्वीकार करने के औचित्य और उन्हें मान लेने के प्रभावों आदि जैसे पहलुओं को ध्यान में रख कर विचार करना होता है ।

## पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि और उपभोक्ताओं पर उसका प्रभाव

**230. श्री एस० एम० बनर्जी**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में पुन: वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) 1-3-73 से एविएशन गैसोलीन एवं मोटर-स्प्रीरट के विक्रय मूल्य उत्पादन शुल्क दर में वृद्धि होने के कारण बढ़ गये । 11-6-73 को समस्त प्रपुंज शोधित पैट्रोलियम उत्पादों की (मिट्टी के तेल को छोड़कर) उच्चतम विक्रय मूल्य बढ़ा दिये गये ताकि आयातित कच्चे तेल में भारी वृद्धि को देखते हुए शोधनशालाओं की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति की जा सके । 11-6-73 को 28 मई, 1971 में निश्चित किये गये उत्पादों के मूल्यों पर 16 प्रतिशत वृद्धि स्वीकार की गई । उसी समय के दौरान अशोधित तेल के मूल्यों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई । ईंधन गैस के 15 किलोग्राम के सिलैण्डर पर लगभग 70 पैसे की वृद्धि की गई है । अन्य उत्पादों के मूल्य 2 से 5 पैसे प्रतिलीटर बढ़ गये हैं । नेफ्था के मूल्य जो कि मुख्य रूप से उर्वरक तथा पैट्रो-रसायन यूनिटों द्वारा प्रयोग किया जाता है, में 40 रुपये प्रति टन की वृद्धि की गई ताकि आयातित और देशीय नेफ्था के मूल्यों में बीच की दूरी को कम किया जा सके ।

## वेतन आयोग द्वारा रेलवे कर्मचारियों को बोनस भुगतान के प्रश्न पर विचार

**231. श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग ने रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार अब अपने कर्मचारियों को 8.33% निम्नतम बोनस देने का निर्णय लेने की है जैसा कि सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) आयोग ने इस मामले में कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ख) और (ग) सरकार के पहले के विनिश्चय के अनुसार रेलवे आदि जैसी विभागीय स्थापनाओं के कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के क्षेत्र से बाहर रखे गये हैं ।

## राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना

**232. श्री एस० एम० बनर्जी**
**श्री पी० वेंकटासुब्बया:**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बिजली की कमी को दूर करने के लिये देश में राष्ट्रीय बिजली ग्रिड बनाने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)**: (क) और (ख) एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के अंतिम उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिये राज्य विद्युत प्रणालियों के अन्तःसम्पर्क की विचारधारा पहले ही मान ली जा चुकी है और विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिये बहुत सी राज्य विद्युत प्रणालियों को आपस में जोड़ दिया गया है । उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर जहां तक संभव हो सकता है विद्युत विनिमय भी बहुत सी विद्युत

प्रणालियों में किया जा रहा है । ग्रिड प्रणालियों का विकास एक संतत प्रक्रिया है और प्रणालियों के बीच विद्युत विनिमय के लिये आवंधित लाइन क्षमता की व्यवस्था के लिए और अधिक अन्तर्राज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय लाइनें निर्मित की जा रही हैं । अब तक किये गये उपाय नीचे दिये जाते हैं ।

**1. उत्तरी क्षेत्र** : पंजाब और हरियाणा प्रणालियां आपस में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत 220 के०वी० पारेषण लाइनों से जुड़ी हुई हैं । दिल्ली विद्युत प्रणाली 220 के०वी० गंगवाल-रोहतक रोड लाइन के जरिये भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड प्रणाली से 85 मेगावाट बिजली ले रहा है । हिसार-बल्लभगढ़-दिल्ली 220 के०वी० लाइन के पूर्ण होने पर दिल्ली अब भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड प्रणाली के बराबर चल रही है । राजस्थान, हिसार से खेतड़ी तक 220 के०वी एस/सी लाइन और हिसार से राजगढ़ तक 132 के०वी०एस०/सी० लाइन के जरिये भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड प्रणाली से जुड़ा हुआ है, इन लाइनों से क्रमशः इस समय 50 मेगावाट और 20–40 मेगावाट बिजली ली जा रही है । मुरादनगर से दिल्ली तक एक 220 के० वी० लाइन जनवरी, 1970 में चालू की गई थी और उत्तर प्रदेश इस लाइन से दिल्ली प्रणाली से लगभग 35 मेगावाट बिजली ले रहा था ।

**2. पश्चिम क्षेत्र** : गुजरात और पश्चिमी महाराष्ट्र विद्युत प्रणालियां आपस में तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र के रास्ते 220 के० वी० लाइन के जरिये जुड़ी हुई हैं और महाराष्ट्र तथा गुजरात दोनों तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र से इस लाइन पर बिजली ले रहे हैं । चांदनी (मध्य प्रदेश) और भूसावल (महाराष्ट्र) को जोड़ने वाली डी०/सी० खम्भों पर 132 के०वी० एस०/सी० लाइन 1969 में चालू की गई थी । दूसरा सर्किट फरवरी, 1972 में चालू किया गया था । सतपुड़ा (मध्य प्रदेश) और अम्बाझरी (महाराष्ट्र) के बीच डी०/सी० खम्भों पर 220 के० वी० एस०/सी० लाइन हाल ही ही में पूरी की गई है ।

**3. दक्षिण क्षेत्र**: दक्षिणी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में उनकी अपनी अपनी प्रणालियों में एकीकृत ग्रिड पहले से ही विद्यमान हैं । मैसूर और तमिलनाडु विद्युत प्रणालियों को जोड़ने वाली बंगलौर से सिंगारपेट तक 220 के० वी० एस०/सी० लाइन नवम्बर, 1965 में चालू की गई थी और तमिलनाडु प्रणाली को मैसूर प्रणाली से, जब भी संभव होता है, 150 मेगावाट बिजली दी जा रही है । पम्बा (केरल) और मदुराय (तमिलनाडु) के बीच 220 के०वी० सम्पर्क 1969–70 में चालू किया गया था और तमिलनाडु इस लाइन पर केरल से 100 मेगावाट बिजली ले रहा है । मंगलौर (मैसूर) से कसारगोडे (केरल) तक एक 110 के०वी० एस०/सी० लाइन अक्तूबर, 1966 में चालू की गई थी और तब से केरल राज्य कसारगोडे-कन्नानोर क्षेत्र में विद्युत की मांगों को पूरा करने के लिये मैसूर से बिजली ले रहा है । मुनीराबाद से हाम्पी तक 220 के०वी० एस०/सी० लाइन 1970 में पूरी की गई थी और आंध्र प्रदेश प्रणाली इस लाइन पर 70-110 मेगावाट बिजली ले रही है । चित्तूर (आंध्र प्रदेश) से कटपडंडा (तमिलनाडु) तक 220 के० वी० एस०/सी० लाइन पूरी हो गई है ।

**4. पूर्वी क्षेत्र**: पूर्वी क्षेत्र में विविध विद्युत प्रणालियां पहले ही 132 के०वी० लाइनों द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं । बिहार, चादिल (दामोदर घाटी निगम) से राजखरसावन (बिहार) तक 132 के०वी० एस०/सी० लाइन के जरिये दामोदर घाटी निगम से 50 मेगावाट बिजली ले रहा है । दामोदर घाटी निगम, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) से दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम) तक 132 के०वी० डी०/सी० पर पश्चिम बंगाल के साथ विद्युत सप्लाई विनिमय कर रहा है । बिहार, केदपोसी (बिहार) से जोडा (उड़ीसा) तक 132 के० वी० एस०/सी० लाइन पर उड़ीसा से 20 से 40 मेगावाट तक और रुरकेला-गोयलकेरा 132 के०वी० एस०/सी० लाइन पर लगभग 10 मेगावाट विद्युत प्राप्त कर रहा है ।

**5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र**: असम, गोलाघाट और दीमापुर को जोड़ती हुई 66 के०वी० लाइन द्वारा नागालैंड को विद्युत सप्लाई कर रहा है । बदरपुर से अग्रतला (त्रिपुरा) तक 132 के०वी० एस०/सी० को बदरपुर-धर्मनगर सैक्शन पूर्ण हो गया है और 33 के०वी० पर चार्ज हो गया है ।

**अंतर्क्षेत्रीय सम्पर्क** : रिहन्द (उत्तर प्रदेश) और बिहार/दामोदर घाटी निगम प्रणालियां, रिहन्द (उत्तर प्रदेश) से बारूण (बिहार) तक एक 132 के०वी० डबल-सर्किट लाइन द्वारा आपस में जुड़ी हुई है । उत्तर प्रदेश प्रणाली आगे मुगलसराय से करमनासा तक 132 के०वी० डी०/सी० लाइन द्वारा बिहार/दामोदर घाटी निगम प्रणाली के साथ आपस में जुड़ी हुई है । दक्षिणी क्षेत्र में मैसूर और पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र बेलगाम से कोल्हापुर तक एक 220 के०वी० लाइन के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं । पश्चिमी क्षेत्र में गोआ, दक्षिणी क्षेत्र में मैसूर के साथ पोंड और डंडेली के बीच 110

के०वी० डबल सर्किट लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है जिसके जरिये गोआ लगभग 20 मेगावाट बिजली मैसूर से ले रहा है । उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश से बिजली मोर्वा (मध्य प्रदेश) से रिहन्द (उत्तर प्रदेश) तक 132 के० वी० लाइन से ले रहा है । उत्तरी क्षेत्र नीमच से उदयपुर तक 132 के०वी० लाइन द्वारा पश्चिमी क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है । राजस्थान प्रणाली इस सम्पर्क पर मध्य प्रदेश से लगभग 25 मेगावाट बिजली ले रही है ।

यहां यह उल्लेख कर दिया जाता है कि तारापुर और नासिक विद्युत केन्द्रों के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र और गुजरात ग्रिडों में हाल ही के बिजली संकटों के दौरान, बेलगाम-कोल्हापुर 220 के० वी० लाइन और चांदी-भूसावल 132 के०वी० लाइन ने क्रमशः मैसूर और मध्य प्रदेश से बिजली लेकर कुछ हद तक महाराष्ट्र की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ा लाभदायक काम किया । इस प्रकार उपलब्ध बिजली का एक भाग काल्बा-तारापुर-नवसारी 220 के०वी० सम्पर्क द्वारा महाराष्ट्र से गुजरात ग्रिड को प्रेषित कर दिया गया ।

अधिक क्षमता की ओर अन्तर्राज्यीय लाइनों के निर्माण में सहायता करने के लिये, केन्द्रीय सरकार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य योजना के बाहर चतुर्थ योजना के दौरान अंतर्राज्यीय/अंतर्क्षेत्रीय पारेषण लाइनों के निर्माण के लिये राज्यों को ऋण सहायता देती है । प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत प्रणालियों को समेकित प्रचालन कर सकने के लिये क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र भी स्थापित किये जा रहे हैं ।

## राजनगर, गाजियाबाद में सड़कों पर बिजली के खम्भों तथा घरों में बिजली के स्थायी कनेक्शनों को लगाया जाना

**233. श्री एस०एम० बनर्जी**
**श्री राम भगत पसपा :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनगर, गाजियाबाद के ब्लाक 6 के नये बने मकानों के कुछ मालिकों ने 12 फरवरी, 1973 को सड़कों पर बिजली के खम्भे लगाने तथा घरों में बिजली के स्थायी कनेक्शन लगाने के लिये आवेदन पत्र दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो चार महीने से अधिक समय गुजर जाने के बाद इन घरों में बिजली के स्थायी कनेक्शन न दिये जाने के कारण हैं ; और

(ग) इन घरों को स्थायी कनेक्शन लगभग किस समय तक दे दिये जायेंगे ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)**: (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि फरवरी, 1973 के महीने में गाजियाबाद की राजनगर कालोनी के ब्लाक 6 में बिजली कनेक्शन के लिये केवल एक व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र दिया था और जून, 1973 के महीने में बिजली कनेक्शन के लिए एक और व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र दिया है।

(ख) इस कालोनी में वितरण मेनों को अभी नहीं डाला गया है, अतः स्थायी कनेक्शन नहीं दिया गया है । वितरण मेनों को डालने के लिये गाजियाबाद सुधार मंडल के साथ समन्वय करके कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) लगभग 2 से 3 महीनों में वितरण मेनों के डाले जाने के पश्चात् स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जायेगा ।

## सरकारी उपक्रमों के लिए पृथक कम्पनी कानून

**234. श्री राम भगत पासवान** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के लिये एक पृथक समवाय कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बेदव्रत बरूआ)** : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

## बिहार में बागमती नदी परियोजना की क्रियान्विति

**235. श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में बागमती नदी परियोजना की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) :** बागमती सिंचाई परियोजना निर्माण के प्रारंभिक चरण में है । सीतामढ़ी से शीर्ष कार्य स्थल तक पहुंच सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । सीतामढ़ी में मंडलीय कालोनी और रोगा एवं पारसोनी उपमंडलीय कालोनियां पूरी हो गई हैं और शेष भवनों का निर्माण पूर्ण होने वाला है । बराज के चढ़ाऊ बांध पर 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है । सीतामढ़ी सड़क के नीचे नहर पर मिट्टी का कार्य तीन मील तक की पहुंच तक हाथ में ले लिया है और प्रगति कर रहा है ।

## रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं

**236. श्री हरि किशोर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय रेलों में निःशुल्क यात्रा सुविधाओं का लाभ उठाने वाले रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी सुविधाओं के दिये जाने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या ऐसी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने की कोई व्यवस्था है; और

(घ) गत तीन वर्षों में ऐसी सुविधाओं के कारण राजस्व में कुल कितनी हानि हुई ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) :** (क) सूचना उपलब्ध नहीं है और इसे संकलित करने में काफी अधिक श्रम तथा समय लगेगा ।

(ख) सारी दुनिया के परिवहन संगठन अपने कर्मचारियों को कुछ यात्रा सुविधायें देते हैं । रेल कर्मचारी इस सुविधा का उपयोग कई दशाब्दों से कर रहे हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) इसमें राजस्व की हानि की कोई बात नहीं है ।

## भूतपूर्व कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधायें

**237. श्री हरि किशोर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों को रेलों में निःशुल्क यात्रा की सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में इस कारण राजस्व में कितनी हानि हुई ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) :** (क) जी हां ।

(ख) यह सेवा-निवृत्ति के उपरान्त दी जाने वाली एक सुविधा है जो पिछले कई दशकों से उन सेवा-निवत्त रेल कर्मचारियों को दी जाती रही है जिन्होंने न्यूनतम निर्धारित वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो ।

(ग) इसमें राजस्व की हानि जैसी कोई बात नहीं है ।

## देश में बिजली संकट

**238. श्री समर गुह**
**श्री ज्योतिर्मय बसु:**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में देश भर में बिजली का संकट और गम्भीर हो गया है;

(ख) देश में बिजली की मांग और पूर्ति के बारे में राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) वर्तमान बिजली संकट को दूर करने के लिये अल्पावधि योजना क्या है तथा देश में बिजली की बढ़ती हुई समस्या का समाधान करने के लिये दीर्घावधि परियोजनायें क्या हैं; और

(घ) सरकार देश में वर्तमान बिजली संकट को संभवत: कब तक दूर कर देगी ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)** : (क) देश में विद्युत संकट अप्रैल, और मई तथा जून 1973 के प्रारम्भ में गंभीर हो गया था। बहरहाल, जून, 1973 के उत्तरार्ध के दौरान मानसून आरंभ हो जाने से, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त सारे देश में विद्युत आपूर्ति स्थिति में पर्याप्त रूप में सुधार हुआ है।

(ख) जुलाई, 1973 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत की मांग और पूर्ति के संबंध में प्रत्याशित स्थिति का विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5156/73]**

(ग) और (घ) लघु कालीन उपाय के रूप में वे परियोजनायें जो वर्तमान वर्ष के दौरान चालू की जा सकती हैं, को अभिज्ञात किया गया है और उनको शीघ्र चालू किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में देश में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता पांचवीं योजना अवधि के अंत में 38 से 40 मिलियन किलोवाट तक बढ़ाने के लिये एक प्रारूप विद्युत विकास कार्यक्रम विचाराधीन है। इसके कार्यान्वयन से पांचवीं योजना अवधि के अंत में विद्युत मांग को पूरा किया जाना प्रत्याशित है।

## चौथी और पांचवीं योजनाओं में पूरी होने वाली उर्वरक परियोजनाएं

**239. श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के अन्त तक तथा पांचवीं योजना के दौरान पूरी होने वाली उर्वरक योजनाओं के नाम क्या हैं तथा इनके लिए कितना पूंजी परिव्यय आवंटित किया गया है ;

(ख) क्या दुर्गापुर, बरौनी और नाम रूप उर्वरक परियोजनायें 1974 तक पूरी हो जाएगी ;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय-सूची से पीछे है; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं के चालू होने से एक वर्ष के अन्दर 50 से 75 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचेगी; और यदि हां तो इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(क) से (घ) जी हां। जब यह तीन कारखाने पूरा उत्पादन आरम्भ करेंगे तो वर्तमान मूल्यों पर देश को लगभग 68 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के बचत होने की संभावना है। इन कारखानों में खराबियों का पता लगाया गया है और इन को शीघ्र ही चालू करने के विचार से इन खराबियों को हटाने के उपाय किये जा रहे हैं।

### विवरण

| क्रम संख्या | प्रायोजना का नाम | अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ रुपयों में) | सम्पन्न होने की अनुमानित तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **सरकारी क्षेत्र** | | | |
| 1. | दुर्गापुर | 59.88 | निर्माण सम्पन्न है और चालू होने वाला है। |
| 2. | कोचीन (चरण-1) | 63.00 | —वही— |
| 3. | बरौनी | 59.27 | अक्तूबर, 1973 |
| 4. | नामरूप (विस्तार) | 55.40 | जनवरी, 1974 |
| 5. | तालचर | 115.00 | जुलाई, 1975 |
| 6. | रामागुन्डम | 115.00 | जुलाई, 1975 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | हल्दिया | 125.00 | मार्च, 1976 |
| 8. | सिन्दरी यौक्तिकरण | 37.16 | जुलाई, 1974 |
| 9. | नंगल (विस्तार) | 73.63 | जनवरी, 1976 |
| 10. | गोरखपुर (विस्तारवे) | 12.23 | मार्च, 1975 |
| 11. | कोचीन (चरण–II) | 45.00 | जनवरी, 1975 |
| 12. | कोरवा | 119.74 | 1977–78 (लगभग) |
| 13. | सिन्द्री आधुनिकीकरण | 93.36 | 1976 के अन्त तक (लगभग) |
| 14. | ट्राम्बे (विस्तार) | 37.50 | ---वही--- |
| 15. | खेत्री | 16.21 | जुलाई, 1974 |
| **गैरसरकारी (निजी) क्षेत्र** | | | |
| 16. | गोआ | 56.55 | मई, 1973 में चालू किया गया |
| 17. | तूतीकोरिन | 73.59 (संशोधित) | जुलाई, 1974 |
| 18. | मंगलोर | 57.50 | अक्टूबर, 1974 |
| 19. | कोटा (विस्तार) | 8.70 | अप्रैल, 1974 |
| 20. | विजेज (विस्तार) | 6.61 | मई, 1974 |
| 21. | कलोल/कान्डला | 91.00 | जुलाई, 1974 |

उपरोक्त की अतिरिक्त पांचवीं योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में 5 नये उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनकी स्थापना, भटिन्डा, करनाल/पानीपत, मथुरा, परादीप और ट्राम्बे में करने का प्रस्ताव है। इन प्रायोजनाओं की समय सारणी पूंजी लागत अनुमान आदि अभी निश्चित नहीं हुए हैं।

## पूजा की छुट्टियों में यात्रा के लिए रेलवे में स्थानों का अग्रिम आरक्षण

**240. श्री समर गुह**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल अधिकारियों का ध्यान विशेषकर पश्चिम बंगाल के समाचारपत्रों में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पूजा की छुट्टियों के लिये रेलवे में स्थानों आदि के लिये अग्रिम बुकिंग का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अग्रिम बुकिंग से पूजा की छुट्टियों के दौरान मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के रेल यात्रियों को बहुत असुविधा होने की संभावना है;

(ग) क्या इस प्रक्रिया से रेल टिकटों में चोर बाजारी तथा जालसाजी के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है; और यदि हां, तो पूजा की छुट्टियों के दौरान रेल यात्रा के लिये आरक्षित स्थानों की अग्रिम बुकिंग के बारे में वास्तविक तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या इस बारे में कोई उपयुक्त कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिससे पूजा की छुट्टियों के दौरान आम यात्री आरक्षण की सुविधाओं से वंचित न रहे ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)**: (क) यद्यपि पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों में इस तरह की कुछ रिपोर्टें छपी हैं, परन्तु यह सत्य नहीं है कि पूजा की छुट्टियों के लिये सभी गाड़ियों में स्थान की अग्रिम बुकिंग पूरी हो चुकी है क्योंकि गाड़ियों में, सभी द मेंजों, स्थान अब भी उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं । गाड़ियों में, बिना समय-सीमा के, आरक्षण स्वीकार करने की पद्धति इस व्यवस्था के प्रति जनता की प्रतिक्रिया जानने के उद्देश्य से केवल प्रयोग के रूप में अपनायी गयी थी । दक्षिण-पूर्व रेलवे के सिवाय, सभी रेलों पर यह व्यवस्था अब समाप्त कर दी गयी है ।

(घ) पूजा की भीड़ वाली अवधि के दौरान नियमित गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाने तथा विशेष गाड़ियां चलाने के लिये समुचित प्रबन्ध किये जायेंगे ।

## आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन की मांगें

**241. श्री एम० कल्याण सुन्दरम**

**श्री सेझियान :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन की मांगों पर विचार किया है, और यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ख) रेलों में औद्योगिक शान्ति के खतरे को टालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)**: (क) और (ख) लोको रनिंग कर्मचारी संघ की प्रमुख मांग मान्यता देने की रही है । कुछेक केन्द्रीय स्थलों पर यह गैर-कानूनी छुट पुट हड़ताल इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, दबाव डालकर प्रशासन से बातचीत चलाने के उद्देश्य से ही की गयी है । तदनुसार, कुछ स्थानों पर गैर-कानूनी हड़ताल करने के काम में समर्थन प्राप्त करने के लिये, जो कारण दिये गये हैं वे अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न हैं ।

लोको रनिंग कर्मचारियों सहित, सभी कोटि के कर्मचारियों की तर्क संगत मांगें सामुहिक समझौता तंत्र—स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र—जो बहुत लम्बे समय से संवैधानिक रूप से एवं सोद्देश्य काम कर रहे हैं, के विभिन्न स्तरों के माध्यम से निरन्तर उठायी जाती हैं और उन पर विचार किया जाता है और वे हल की जाती हैं । जो व्यक्तिगत अभ्यावेदन मिलते हैं उन पर भी प्रशासन द्वारा विचार किया जाता है और उनका निबटारा किया जाता है ।

शिकायतों को दूर करने और विवादों के निबटारे के लिये उपलब्ध संगठन और सरणियां अन्तिम विश्लेषण में रेलों पर औद्योगिक शान्ति बनाये रखने में उचित रूप से सफल रही हैं ।

## सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में वैगन निर्माण उद्योग की क्षमता

**242. श्री एम० कल्याण सुन्दरम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के वैगन निर्माण उद्योग की वर्तमान क्षमता क्या है;

(ख) क्या रेलवे वर्कशाप में वैगनों के निर्माण में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) (1) **निजी क्षेत्र** : निजी क्षेत्र में जिन 16 यूनिटों को माल डिब्बों के निर्माण का लाइसेंस मिला हुआ है, उनकी कुल लाइसेंस -क्षमता चौपहियों के हिसाब से 40869 माल डिब्बों की है । इन में वे तीन यूनिट भी शामिल हैं जो राज्य/केन्द्रीय सरकारों के प्रबन्ध नियंत्रण में काम करते हैं । इन तीन युनिटों की लाइसेंस-क्षमता चौपहियों के हिसाब से प्रति वर्ष 8279 माल डिब्बे है ।

(ii) **रेल कारखाने** : रेलवे के तीन कारखानों में माल डिब्बे बनाये जाते हैं । इन तीन यूनिटों में 1973–74 में चौपहियों के हिसाब से कुल 4000 माल डिब्बे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) और (ग) 1972–73 में तीन रेलवे कारखानों का वास्तविक उत्पादन चौपहियों के हिसाब से 1847 माल डिब्बे रहा है । माल डिब्बों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को देखते हुए 1973–74 में लक्ष्य को बढ़ाकर चौपहियों के हिसाब से 4000 माल डिब्बे करने का प्रस्ताव हैं ।

## मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के लिए महानगरीय रेलवे योजना में प्रगति

**243. श्री एम० कल्याण**

**श्री मोहम्मद इस्माइल :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और बम्बई नगरों के लिए महानगरीय रेलवे योजना की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) कलकत्ता में ट्यूब रेलवे के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):** (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

### विवरण

रेलवे के महानगर परिवहन परियोजना संगठन ने अप्रैल, 1973 में व्यापक परिवहन रेल सुविधाओं पर प्रारंभिक रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को दी थी । महानगर परिवहन संगठन अब अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिस पर निर्णय लिया जायेगा।

**कलकत्ता**

दमदम से टालीगंज तक ट्यूब रेलवे के प्रथम खण्ड के लिये मैसर्स नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कारपोरेशन को ठेका दे दिया गया है और काम शुरू हो गया है । दो और खंडों के लिये टेंडर मंगाने के लिये कार्रवाई की जा रही है । आशा है कि 1979 तक समूची परियोजना पूरी हो जायेगी ।

**बम्बई**

रेलवे के महानगर परिवहन परियोजना संगठन, बम्बई ने बम्बई में लम्बी दूरी वाले यातायात की स्थिति से निपटने के लिये फोर्ट मौंट अबू मार्केट लाइन (छठा गलियारा) और भूमिगत प्रणाली (सातवां गलियारा) की योजनायें तैयार की हैं छठे गलियारे की तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड ने विचार किया है, जबकि 7वें गलियारे से संबंधित अध्ययन, 1973 में इंग्लैंड की सरकार से आगे और परामर्श करने के बाद पूरा किया जायेगा।

## दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे में वैगनों की कमी को दूर करने के लिए की गई कार्यवाही

**244. श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेष रूप से दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे में वैगनों की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** दक्षिण रेलवे और दक्षिण-मध्य रेलवे पर माल डिब्बों की कमी नहीं है ।

## चौथी योजना के लिए विद्युत उत्पादन के लक्ष्य

**245. श्री सेझियान**

**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत उत्पादन के लिये चौथी पंजवर्षीय योजना में क्या वित्तीय और भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये ;

(ख) उपलब्धि में यदि कोई कमी हुई तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :** (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगभग 9.2 मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता परिकल्पित की गई है । चतुर्थ योजना में विद्युत के लिए सरकारी क्षेत्र में कुल परिव्यय 2447.57 करोड़ रुपये है

(ख) वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार चतुर्थ योजना में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को चालू करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में 3 से 3.4 मिलियन किलोवाट की कमी हो सकती है। इस कमी के मुख्य कारण उपस्कर की डिलीवरी में देरी और सिविल कार्यों के पूर्ण होने में देरी है।

(ग) पांचवीं योजना अवधि के दौरान 18 मिलियन मैगवाट द्वारा प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये स्कीमों का पता लगा लिया है और 12 मिलियन किलोवाट के हेतु उपस्कर के आदेश पहले ही दे दिये है। पांचवीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कुछ मामलों में उत्पादन संयंत्रों को आयात करने की छूट भी दे दी है। पांचवीं योजना की परियोजनाओं पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिये वर्तमान वर्ष के दौरान धनराशि आवंटन करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

## तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए बिजली पैदा करने संबंधी प्रस्ताव

**246. श्री सेझियान** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू सरकार द्वारा भेजे गए बिजली पैदा करने संबंधी प्रस्तावों की केन्द्र द्वारा अभी तक अनुमति नहीं दी गई है ;

(ख) प्रत्येक विचाराधीन प्रस्ताव पर कितना विलम्ब हुआ है; और

(ग) बिजली संबंधी तमिलनाडु की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्या अन्तरिम तथा दूरगामी कदम उठाये गये है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा)**: (क) और (ख) ; तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई विद्युत उत्पादन स्कीमों तथा उनके जांच की वर्तमान स्थिति का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 5157/37]**

(ग) विद्युत कमी को समाप्त करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) केरल से फालतू बिजल तमिलनाडु को दी जा रही है।

(2) नवेली में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये इस समय खोदे जा रहे भूरे कोयले (लिग्नाइट) को विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग किया जा रहा है।

(3) भूरे कोयले को पूरा करने के लिए बायलरों में से दो बायलरों तेल फायरिंग के लिये परिवर्तित किया जा रहा है।

(4) एक 'सक्शन ड्रेजर' क उपयोग से विद्युत उत्पादन में सुधार के परिणामस्वरूप एन्नौर विद्युत केन्द्र के लिये शीतल जल की सप्लाई की उपलब्धता में वृद्धि हो गई है।

(5) एन्नौर में 110 मैगावाट (चौथी यूनिट) के चालू होने के कार्य में शीघ्रता लाई गई और जून, 1973 में कमान भार पर इस यूनिट को सज्जित किया गया था।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में संलग्न विवरण में दी गई स्कीमों का इस प्रकार कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव है जिससे कि इनसे पांचवीं योजना अवधि के दौरान लाभों को उठाया जा सके।

## Demand for Wagons for Transportation of Goods

**247. Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of Railways be pleased to State:

(a) the extent of demand for wagons for the transport of goods during the last three years, year-wise; and

(b) the number of cases in which supply of wagons was made within ten days of the demand?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi)**: (a) and (b) Considering the amount of time and labour involved in compiling the information sought, every effort will be made to furnish the details for the period of last one year.

## Supply of wagons at Agra Against Trader's Demand at Mathura

**248. Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether traders asking for wagons at Mathura Junction are ordinarily supplied wagons at Agra; and

(b) if so, the reasons therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) No.

(b) Does not arise.

## मिट्टी के तेल का आयात

**249. श्री हरी सिंह**

**श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में भारी मात्रा में मिट्टी के तेल का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितना मिट्टी का तेल आयात किया जायेगा और कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और वह किन देशों से आयात किया जायेगा ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम मुख्यत: रूस और के०एन०पी०सी० (कुवैत) से मिट्टी का तेल आयात कर रहा है । वर्ष, 1973 के लिये भारतीय तेल निगम द्वारा अब तक व्यवस्थित की गई मात्रा 9,40,000 मीटरी टन है जिसमें से 4,86,000 मीटरी टन जनवरी-जून 1973 की अवधि के दौरान आयात किया जा चुका है । इस पर लगभग 32 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का खर्च होना है ।

## बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में रेल पटरियों की सफाई करने पर व्यय

**250. श्री हरी सिंह**

**श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेतीले तूफान के कारण बीकानेर डिवीजन में रेल पटरी रेत के टीलों के नीचे दब गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सफाई करने पर कितना व्यय हुआ ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी )** (क) : जी हां ।

(ख) लगभग 2.80 लाख रुपये ।

## "थी गवर्नमेंट यूनिट एनगेज्ड इन पार्सिंग दबक शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

**251. श्री हरी सिंह**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जून, 1973 के हिन्दुस्तान टाईम्स में "3 गवर्नमेंट यूनिट्स एनगेजड इन पार्सिंग द बक" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय में सरकार का दृष्टिकोण जो 10-7-1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है संलग्न विवरण में उद्धृत किया गया है ।

**विवरण**

हिन्दुस्तान टाइम्स

नई दिल्ली 10 जुलाई, 1973

**रेलों द्वारा माल का लदान**

श्रीमन्, हिन्दुस्तान टाइम्स जून 13, में प्रकाशित 'अनाज कोयला घोटाला--तीन सरकारी यूनिट एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में व्यस्त' शीर्षक रिपोर्ट में कोयले और अनाज की ढुलाई के काम में लगे रेल कर्मचारियों के विरूद्ध कुछ टिप्पणी की गयी है जिसका स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है ।

रेलों में कोयले और अनाज के लदान को सर्वोच्च अग्रता दी है । इस वर्ष 30 जनवरी को निजी कोयला खानों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने के बाद शुरू शुरू में कुछ कठिनाई हुई थी क्योंकि कोयला-खानों और उपभोक्ताओं को कोयले के आवंटन, भुगतान और प्रेषण के नये स्वरूप के अनुसार अपने को ढालना था । फिर भी, रेलें इस परिवर्तन काल में कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये अधिकतम सहयोग देती रहीं ।

आपके संवाददाता ने आरोप लगाया है कि 'रेल कर्मचारियों को कोयले की ढुलाई में कोई रुचि नहीं रही' यह एक अतिरंजित सामान्यीकरण है और वस्तुत: सही नहीं है । कोयले का काम सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने के बाद कुल लदान सन्तोषजनक रहा है । अप्रैल, 1972 और जनवरी, 1973 के बीच औसत दैनिक लदान 8,004 माल डिब्बे था जबकि फरवरी, मार्च और अप्रैल में औसत दैनिक लदान क्रमश: 8078, 8088 और 9018 माल डिब्बे रहा है । केवल मई में लदान घटकर 7617 माल डिब्बे प्रतिदिन रह गया । इसका कारण यह था कि बिजली की बहुत कमी रही जिसका न केवल ढुलाई कारखानों में विशेषतया कोयले के उत्पादन पर बल्कि बिजलीकृत मार्गों पर यातायात के संचलन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा । कई रेलों में अनेक मण्डलों पर लोको कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण भी कोयले की ढुलाई पर बुरा प्रभाव पड़ा ।

सरकार द्वारा गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लेने के बाद जहां तक भारतीय खाद्य निगम के लिये अनाज की ढुलाई का सम्बन्ध है, रेलों के वास्तविक कार्य को देखते हुए आपके संवाददाता का कथन झूठा पड़ जाता है ।

रबी की पिछली फसल के बाद मई के दूसरे सप्ताह से अनाज की प्राप्ति और प्रेषण का काम पूरे जोर-शोर से होने लगा । इस महीने में पंजाब, हरयाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रतिदिन बड़ी और मीटर लाइन के 1,287 माल डिब्बों का लदान किया गया जिससे पिछले सारे रिकार्ड टूट गये । इसकी तुलना में पिछले वर्ष मई में केवल 1036 माल डिब्बों का लदान हुआ था । यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष मई में रेलों के कार्य संचालन को देखते समय उत्तर रलवे में लोको कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण रेल यातायात में गम्भीर अस्त व्यवस्तता को ध्यान में रखना होगा । जून के पहले 17 दिनों में रेलों ने लदान का उच्च स्तर बनाये रखा और हर रोज 1,286 माल डिब्बों का लदान हुआ जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 788 माल डिब्बों का लदान हुआ था ।

आपके संवाददाता के इस दावे में निश्चय ही कोई सच्चाई नहीं है कि "रेलों में हाल में अशान्ति और आकस्मिक हड़ताल की घटनायें उन क्षुब्ध अधिकारियों और कर्मचारियों के भड़काने के कारण हुई हैं जिनकी ऊपरी आमदनी मारी गयी है ।" इस झूठ का पता इसी तथ्य से लग जाता है कि हाल की लोको हड़ताल से प्रभावित पश्चिम, उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे का कोई भी मण्डल कोयला-लदान क्षेत्र में स्थित नहीं है ।

आपका,
ए०के० सेन गुप्त
सूचना अधिकारी (रेलवे)
प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार
नई दिल्ली-1
जून, 20

## बोनस के भुगतान के लिये रेलवे कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

**252. श्री दीनेन भट्टाचार्य**
**श्री राजदेव सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस के भुगतान और अन्य वित्तीय लाभों के लिये सम्पूर्ण देश में रेलवे कर्मचारी गत तीन महीनों से आन्दोलन कर रहे हैं तथा कुछ स्थानों पर कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल करने के बारे में मतदान लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्रालय में उपमत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) कोई बड़ा आन्दोलन नहीं हुआ है। यह पता चला है कि कई यूनियनों ने बोनस की मांग पर सामान्य हड़ताल करने के लिये गुप्त मतदान लिया है।

(ख) सरकार के पूर्व निर्णय के अनुसार, रेलवे आदि जैसी विभागीय स्थापनाओं के कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के क्षेत्र से बाहर ही रहेंगे।

## पूर्व रेलवे में रेलगाड़ियों में डकैती

**253. श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में विशेषकर उपनगरीय (सबर्बन) सैक्शन में गत तीन महीनों में रेलगाड़ी में डकैती की घटनाओं में बहुत वृद्धि हो गई है; और

(ख) उक्त अवधि में ऐसी कितनी घटनायें हुई और इस मामले में क्या निरोधक कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी )** : (क) जी नहीं।

(ख) अप्रैल-जून, 1973 की अवधि में डकैती के केवल चार मामले हुए, जबकि जनवरी-मार्च, 1973 की इतनी ही अवधि में 9 मामले हुए थे।

निम्नलिखित निवारक उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) उपनगरीय खंड में, खास तौर से अन्धेरे के समय, गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(2) ऐसे अपराधियों के सम्बन्ध में आसूचना इकट्ठी करने का काम तेज कर दिया गया है और संदिग्ध व्यक्ति आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में रखे जा रहे हैं।

(3) पुलिस दल की सहायता करने और यात्री जनता तथा रेल कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिये ऐसी वारदातों के स्थानों पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी भेजे जाते हैं।

(4) ऐसी सभी घटनायें राज्य सरकार के नोटिस में लायी जा रही हैं ताकि उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये कारगर कदम उठाये जायें।

## अशोधित तेल की कमी को दूर करने के लिए की गई कार्यवाही

**254. श्री दीनेन भट्टाचार्य**
**श्री धन शाह प्रधान :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल में अशोधित तेल और हल्के अशोधित तेल की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : चालू वर्ष के दौरान देश की कच्चे तेल की आवश्यकता पूर्ण रूप से पूरी की जा रही है। आगामी पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल की प्रमुख आवश्यकतायें पूरी करने के प्रबन्ध भी

किए गये हैं। शेष मात्राओं के बारे में बचनबद्धताओं के शीघ्र ही किये जाने की आशा है। दीर्घ-कालिक उपाय के तौर पर, कच्चे तेल के देशीय उत्पादन को अधिकतम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

## पूर्वोत्तर रेलवे के लिये बिहार में रेल सेवा आयोग

255. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बिहार में एक नया रेल सेवा आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसे कहां पर स्थापित किया जायेगा ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी )** : (क) और (ख) पूर्वोत्तर रेलवे में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिये मुजफ्फरपुर, बिहार में एक पृथक रेल सेवा आयोग स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। इसे संगठित करने की व्यवस्था की जा रही है।

## रेलवे के लिये "रेलवे एस्टैब्लिशमेंट सर्विस" की स्थापना

256. **श्री आर० एन० बर्मन**

**श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड "रेलवे एस्टेब्लिशमेंट सर्विस" नाम की एक नई सेवा आरम्भ करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों की यूनियनों के साथ इस विषय पर बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें सम्पन्न हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी)** : (क) और (ख) सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि भारतीय रेलों के वर्तमान स्थापना विभाग में श्रेणी के पदों का गठन एक स्थापित सेवा के रूप में किया जाए जिसे 'भारतीय रेल कार्मिक सेवा' कहा जाए। प्राथमिक गठन के पश्चात इस सेवा में श्रेणी I के पद होंगे जो अंशतः सीधी भर्ती द्वारा, कुछ पद रेलों पर वर्तमान स्थापित सेवाओं के अधिकारियों द्वारा तथा कुछ पद श्रेणी II के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। इस सेवा के अधिकारियों को अलग पदोन्नति तथा जीविका उन्नति की सारणियों की व्यवस्था करने का विचार है। नयी सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों, सेवा शर्तों आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी परिवर्तन होगा वह इस सम्बंध में सरकार द्वारा तीसरे वेतन आयोग की सिफारशें स्वीकार किये जाने की सीमा तक ही होगा।

(ग) और (घ) इस मामले पर श्रम संगठनों से विचार-विमर्श नहीं किया गया था क्योंकि इस योजना में श्रेणी I की सेवाओं का केवल पुर्नगठन ही किया जाना है और इससे आम रेल कर्मचारियों की सेवा शर्तों अथवा पदोन्नति अवसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अनौपचारिक रूप से तथा अन्य तरीकों से फेडरेशनों ने स्वयं ही इस योजना के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये हैं।

## विदेशी इक्विटी पूंजी वाली फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस देना

257. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 से 26 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी पूंजी वाली विदेशी नियंत्रण वाली फर्मों को सी०ओ०बी० लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) क्या उन मामलों में उत्पादन का कुछ प्रतिशत भाग देश से बाहर भेजने और विदेशी इक्विटी पूंजी में कमी करने जैसी असामान्य शर्तें लागू की गयी थीं;

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्यवाही किन परिस्थितियों के कारण नहीं की गई थी;

(घ) क्या ये शर्तें लागू न करने से भारतीय फर्मों का अहित हुआ है जबकि विदेशी नियंत्रण वाली फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचा है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सी०ओ०बी० लाइसेंस पूर्व से ही स्थापित उत्पादन क्षमता के विनियमन हेतु या इस बारे में पहले से ही उठा लिये गये प्रभावशाली कदम के लिये दिये गए थे। इन लाइसेंसों को उन मामलों मे दिया गया था जिनके लिये पुरानी लाइसेंस नीति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं थी लेकिन संशोधित लाइसेंसिंग नीति के अनुसार ऐसा करना आवश्यक हो गया था। इन परिस्थितियों में बाध्य आयात की शर्तों को लागू करना तथा विदेशी मास्य पूंजी का अवमिश्रण आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि ये विस्तार के लिये लाइसेंस देने के मामले नहीं थे।

(घ) जी, नहीं ।

## औषध निर्माता कारखानों से सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करनें हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति

**258. श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार सी०ओ०बी० लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र अक्तूबर, 1970 तक भेजे जाने थे;

(ख) क्या कुछ औषध निर्माता कारखानों ने निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र भेजे थे और ऐसे आवेदन पत्रों को स्वीकार कर लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन पत्र इस प्रकार स्वीकार किये गये थे और किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया था ?

**पैट्रोलियम और रसायन मत्रालय में उप मत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 18 अक्तूबर 1970 के बाद निम्नलिखित फर्मों ने सी०ओ०बी० लाइसेंसों के लिये अपने आवेदन-पत्र भेजे थे;

1. इंडियन प्रोसेस रिसर्च लेबोरेटरी लि०
2. वोहिरिंगर नौल लि०
3. मर्क शार्प एण्ड डोहमें आफ इंडिया लि०
4. ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लि०
5. कैमिकल, इंडस्ट्रीयल एण्ड फार्मास्युटिकल लेबोरेटरीज लि०
6. रेपटेकोस ब्रैट्ट एण्ड कं०
7. सरले इंडिया लि०
8. ईस्ट इंडिया फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि०
9. अतुल प्राडक्टस लि०
10. लेबोरेटोरीज ग्रिमाल्ट प्राइवेट लि०
11. इन्डो फार्मा फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि०
12. बेयर इंडिया लि०
13. लेविनो कपूर लि०
14. जर्मन रेमिडीज़ लि०

इस तथ्य कि सी०ओ०बी० संबंधी मामले उनके बारे में हैं जिन में क्षमता स्थापित की जा चुकी थी अथवा प्रभावी कदम समय पर उठाये गये थे, को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर इन आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है/किया गया था।

## बिजली घरों में बिजली का बन्द किया जाना

**259. श्री शंकरराव सवन्त** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पानी, डीजल अथवा परमाणुशक्ति से चलाये जाने वाले बिजली घरों में 1 अप्रैल, 1973 से कितनी बार बिजली बन्द की गई ;

(ख) क्या इस वर्ष बिजली बन्द होने की बहुत अधिक घटनायें हुई हैं ;

(ग) बिजली बन्द किये जाने के कारण क्या थे; और

(घ) ऐसे क्या उपाय करने का विचार है जिससे भविष्य में बिजली बन्द न हो ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे परमाणु विद्युत केन्द्रों से अप्रैल, 1973 के उपरांत 77 ट्रिपिंग हुई थी । केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता को विद्युत सप्लाई करने के लिये चलाये जा रहे विद्युत केन्द्र परम्परागत हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ट्रिपिंग पारेषण लाइनों पर बारम्बार होने वाले दोषों के कारण हुए थे ।

(घ) इन कारणों का पता लगाने के लिये, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने एक तदर्थ समिति का गठन किया था । इस समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

## केरल उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति

**260. श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को इसलिये सेवा-निवृत्त होने को कहा गया है कि उनके उस जन्म-तिथि में कुछ गलती पाई गई जो उन्होंने बताई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) तथा (ख) केरल उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति की आयु का प्रश्न सार्वजनिक रूप से उठाये जाने पर राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अधीन निर्णय लेना पड़ा । उच्च न्यायालय में अपनी नियुक्ति के समय भूनपूर्व मुख्य न्यायाधिपति ने अपनी जन्म की तारीख 5 जून, 1915 घोषित की थी । जन्म की यह तारीख उस, ग्राम के जिसमें वह पैदा हुए थे जन्म-रजिस्टर की प्रविष्टि के साथ मेल नहीं खाती थी ।

उनके द्वारा किये गये निवेदन पर विचार करते हुए और इस प्रश्न से संबंधित सभी तात्विक विशिष्टियों और भारत के मुख्य न्यायाधिपति की सलाह को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने निश्चय किया कि केरल के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति की आयु इस आधार पर निर्धारित की जाये कि उनका जन्म 21 मई, 1911 को हुआ था । तदनुसार, वह 21 मई, 1973 को अर्थात् उस तारीख को , जब उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा यथानिर्धारित जन्म की तारीख के अनुसार 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, अपने पद से निवृत्त हो गये ।

## 'शा वेलेस मिस्ट्री डीपन्स' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

**261. श्री सी० के० चन्द्राप्पन** : क्या : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1973 के "ब्लिट्ज" में "शा वेलेस मिस्ट्री डीपन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कम्पनी की वार्षिक महा सभा की बैठक 29–6–1973 को सम्पन्न हुई थी। श्री के० के० बसु के पक्ष में कथित वार्षिक महा सभा के लिये विदेशी अंशधारियों की तरफ से कोई प्रतिपत्रियां कम्पनी के पास पूंजी नहीं की गई थीं। कम्पनी को श्री के० के० बसु के प्रतिनिधि की कोई जानकारी नहीं है। बैठक में दो सेवा-निवृत्त होने वाले निदेशक श्री एच० पी० पोद्दार और श्री पी० सेन गुप्ता विधिवत पुनः निर्वाचित हुए थे।

सरकार ने अधिनियम की धारा 408 के अंतर्गत 28 मई, 1973 से तीन वर्ष की अवधि के लिये कम्पनी के निदेशकों के रूप में दो व्यक्तियों को नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया था। इसके परिणाम स्वरूप जब तक सरकारी निदेशक पदासीन हैं, तब तक निदेशक मंडल में केन्द्रीय सरकार की पुष्टि के बगैर कोई परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा। इससे पूर्व सरकार ने अधिनियम की धारा 250(4) के अन्तर्गत मैसर्स शा वेलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड में 18–12–1972 से तीन वर्ष की अवधि के लिये, आर०जी० शा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, शा डर्बी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, शा स्काट एण्ड कम्पनी लिमिटेड और थामस राइस मिलिंग कम्पनी लिमिटेड, द्वारा धारित अंशों के हस्तांतरण को निषेध करते हुए, एक आदेश पारित किया था।

केन्द्रीय सरकार के पास प्रैस रिपोर्ट पर और टीका करने के लिये कुछ नहीं है।

## केरल के समुद्री तट पर तट से दूर तेल की खुदाई करने संबंधी प्रस्ताव

**262. श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल के समुद्री तट पर तट से दूर पुनः तेल की खुदाई करने की संभावनायें खोज रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) केरल के अपतट कोस्ट में तेल के लिये कोई अपतटीय अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु यह क्षेत्र उन में से एक है जिसको जनरल कन्ट्रैक्टर आधार पर विदेशी सहयोग से अन्वेषण के लिये प्रस्ताव है।

## कन्या कुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण तथा त्रिवेन्द्रम-एर्नाकुलम लाइन का ब्राड गेज में बदला जाना

**263. श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्या कुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण कार्य तथा त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम के बीच मीटर गेज लाइन के ब्राड गेज लाइन में बदले जाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या हाल में केरल सरकार ने केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि तेलिलचेरी से मैसूर तथा एर्नाकुलम मदुरै तक नई रेलवे लाइनों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र ने क्या निर्णय किया है?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) **(1) नागरकोइल तथा कन्याकुमारी के रास्ते तिरुनेलवेली और तिरुवनतापुरम के बीच एक नयी लाइन।**

मार्ग निर्धारण के अधिकांश काम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और भूमि के अधिग्रहण के लिये भी कार्रवाई की जा चुकी है। पुल के गर्डरों तथा रेल पथ के सामान और इस्पात के लिये इंडैंट भी किये जा चुके हैं।

**(2) तिरुनेलवेली–एरणाकुलम खण्ड का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन**

किनारों तथा कटावों में मिट्टी डालने का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। गर्डरों वाले पुलों को मजबूत करने का काम हाथ में है बड़ी लाइन के विद्युतीकरण को निर्बाधता के उद्देश्य से ऊपरी सड़क पुलों को ऊंचा करने का काम भी किया जा रहा है और रेल पथ के सामान के लिये इंडेंट भी दिये जा चुके है।

(ख) इन रेल सम्पर्कों के निर्माण के लिये कुछ अभ्यावेदन आये हैं ।

(ग) सर्वेक्षण से पता चला है कि मैसूर-तेल्लीचेरी रेल सम्पर्क बड़ी अलाभप्रद होगा और इससे रेलवे को भारी हानि होने की सम्भावना है ।

जहां तक एरणाकुलम-मदुरै लाइन का सम्बन्ध है, यह लाइन पश्चिमी घाट से होकर गुजरेगी और इसके निर्माण पर भारी पूंजीगत खर्च आयेगा । इसके अनुरक्षण और परिचालन पर भी बहुत अधिक खर्च होगा । खड़ी चढ़ाइयों और तेज मोड़ों के कारण इस लाइन की क्षमता भी सीमित होगी । चूंकि यह लाइन घने जंगलों वाले पर्वतीय क्षेत्र में से होकर गुजरेगी इसलिये इसे पर्याप्त यातायात नहीं मिलेगा और आर्थिक दृष्टि से यह सक्षम नहीं होगी ।

## सुन्दरबन में रेलवे लाइनें बिछाने के लिये पश्चिम बंगला सरकार के पत्र

**264. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दो पत्र भेजे हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि सुन्दरबन में रेलवे लाइनें बिछाने का काम शीघ्र आरम्भ किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है तो क्या ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी हां ।

(ख) सुन्दरबन क्षेत्र में रेलवे लाइनों के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है। रिपोर्टों के प्राप्त होते ही रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायेगा ।

## विदेशी तेल कम्पनियों की अशोधित तेल का मूल्य बढ़ाने की मांग

**श्री ज्योतिर्मय बसु**
**श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों की अशोधित तेल का मूल्य 1.44 डालर प्रति बैरल से 1.88 डालर प्रति बैरल बढ़ा देने की मांग अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ;

(ग) क्या विदेशी तेल कम्पनियां अशोधित तेल के मूल्य में और वृद्धि करने के लिये जोर देती रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (घ) नवम्बर, 1970 से समस्त विश्वभर में क्रूड आयल के मूल्यों में तेजी से और लगातार वृद्धियां हो चुकी हैं । इस प्रवृत्ति के कुछ आगामी वर्षों तक जारी रहने की आशा है । इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल के मूल्यों में वर्ष 1970 में प्रति बैरल 1.28 डालर के मूल्य से इस समय 2.55 डालर तक उत्तरोत्तर वृद्धि हो चुकी है अर्थात् तीन सालों से कम अवधि में 100 प्रतिशत तक । समस्त विश्व भर में कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धियों के साथ साथ शोधित तेल उत्पादों के मूल्यों में भी तेजी से वृद्धि हुई है । इन वृद्धियों के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :—

(i) फरवरी, 1971 का तेहरान करार जिसमें कच्चे तेल के मूल्यों में स्वतः उतार चढ़ाव की व्यवस्था है;

(ii) फरवरी, 1972 का जनेवा करार तथा रूसी डालर को शामिल करते हुए 11 प्रधान मुद्राओं के सम-मूल्यों के परिवर्तनों से सम्बन्धित संशोधन;

(iii) विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि की दर जो विश्व की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप नहीं है जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की मात्रा में कमी हुई है; और

(iv) कच्चे तेल और शोधित तेल उत्पादों के विक्रय की एक मजबूत मार्किट का बन जाना ।

कच्चे तेल के मूल्य में इन तीव्र एवं निरन्तर वृद्धियों पर काबू पाने के लिये दो अवसरों पर एक्स रिफाइनरी प्रोडक्ट के मूल्यों में वृद्धि द्वारा आंशिक राहत दी गई है अर्थात् मई, 1971 में एक बार और जून, 1973 में दूसरी बार । यह राहत केवल विदेशी तेल कम्पनियों को ही उपलब्ध नहीं हुई है बल्कि कोचीन एवं मद्रास में स्थित सरकारी क्षेत्रीय शोधन शालाओं तथा भारतीय तेल निगम को, जो बरोनी स्थित शोधनशाला में साफ करने के लिये कच्चे तेल का आयात करता है और उस प्रकार के कच्चे तेल को शोधित कराने के लिये विदेशी तेल कम्पनियों की भी शोधनशालाओं को राहत दी गई है । उत्पादों के मूल्यों में अन्तिम वृद्धि के परिणामस्वरूप कच्चे तेल के मूल्य में 1.88 डालर प्रति बैरल की तदनुरूपी वृद्धि हुई है । वर्तमान अन्तराल (गैप), जिसे पूरा नहीं किया जा सका, 67 सैण्ट्स प्रति बैरल का है । विदेशी तेल कम्पनियों की शोधनशालाओं को शामिल करते हुए सभी तेल-शोधन शालायें कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि के संतुलन के लिये जोर डाल रही हैं । सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

## शा वेलेस बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

**266. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 जून, 1973 के "इक्नामिक टाइम्स" बम्बई में शा वेलेस बोर्ड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार के विचार क्या हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) कम्पनी की वार्षिक महासभा की बैठक 29-6-1973 को सम्पन्न हुई थी । श्री के०के० बसु के पक्ष में, कथित वार्षिक महासभा के लिये, विदेशी अंशधारियों की तरफ से कोई प्रतिपत्रियां कम्पनी के पास पंजी नहीं की गई थी । कम्पनी को श्री के०के० बसु के प्रतिनिधि की कोई जानकारी नहीं है । बैठक में दो सेवा-निवृत्त होने वाले निदेशक श्री एच० पी० पोद्दार और श्री पी० सेन गुप्ता विधिवत पुनः निर्वाचित हुए थे ।

सरकार ने अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत 28 मई, 1973 से तीन वर्ष की अवधि के लिये कम्पनी के निदेशकों के रूप में दो व्यक्तियों की नियुक्ति किये जाने का आदेश पारित किया था । इसके परिणामस्वरूप, जब तक सरकारी निदेशक पदसीन हैं तब तक निदेशक मंडल में केन्द्रीय सरकार की पुष्टि के बगैर कोई परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा । इससे पूर्व सरकार ने अधिनियम की धारा 250(4) के अन्तर्गत मैसर्स शा वेलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड में 18-12-1972 से तीन वर्ष की अवधि के लिये, आर० जी० शा एण्ड कम्पनी लिमिटेड में शा डर्बी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, शा स्काट एण्ड कम्पनी लिमिटेड और थामस राइस मिलिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा धारित अंशों के हस्तांतरण को निषेध करते हुए एक आदेश पारित किया था ।

केन्द्रीय सरकार के पास प्रेस रिपोर्ट पर और टीका करने के लिये कुछ नहीं है ।

## Benefits under Indo-Nepal Jojnt River Projects

**267. Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state :

(a) whether Nepal has conveyed her views about the maximum benefits to be received for the development of her backward areas under the Karnali and Mahakali river projects jointly undertaken by India and Nepal;

(b) if so, the reaction of Government there to; and

(c) the ratio in the share of benefits to be derived by the two countries under these river projects?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma):** (a) to (c) Government of India have agreed to purchase bulk of power to be generated from the Karnali project in Nepal. The benefits accruing to India and Nepal will be quantified and negotiated in due course.

Pancheshwar Project on the Kali (Sarda) River is under consideration of the Governments of India and Nepal. Proposals for sharing of benefits etc. will be formulated and negotiated in due course.

## आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के बीच नदी जल विवाद की जांच करने के लिए नियुक्त किये गए ट्रिबुनल द्वारा वांचू समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाना

**268. श्री पी० वेंकट सुब्बया :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के बीच नदी जल विवाद की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये ट्रिबुनल द्वारा रायलसीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को कृष्णा नदी के जल के नियतन के संबंध में वांचू समिति के प्रतिवेदन पर भी विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ट्रिबुनल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) :** (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि माननीय जस्टिस वान्चू की रिपोर्ट रायलसीमा की कृष्णा के जल के आवंटन के बारे में नहीं है । रिपोर्ट में बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा परियोजना के बारे में उल्लेख किया गया है जिसमें आंध्र प्रदेश बहुत रुचि ले रहा है । कृष्णा न्यायाधिकरण तुंगभद्रा उपबेसिन के जल के विभाजन पर महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश के राज्यों को कृष्णा जल आवंटन के रूप में न्यायनिर्णय संबंधी कार्यवाही कर रहा है । तुंगभद्रा जल के विभाजन और तुंगभद्रा परियोजना से लाभों के संबंध में वर्तमान समझौतों को राज्य सरकार द्वारा न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है । न्यायाधिकरण को न्याय निर्णय संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है और उनके पंचाट की इस वर्ष के अंत तक उम्मीद है ।

## आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के बीच नदी विवादों विषयक न्यायाधिकरण के कार्य की प्रगति

**269. श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र राज्य सरकारों के बीच नदी जल विवादों की जांच के लिये नियुक्त न्यायाधिकरण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसके द्वारा अपना निर्णय कब तक दे दिया जायेगा ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) :** (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के राज्यों के बीच कृष्णा और गोदावरी जल के संबंध में विवादों पर न्यायनिर्णयन की कार्रवाई कृष्णा और गोदावरी जल विवाद, न्यायाधिकरण का पंचाट इस वर्ष के अन्त तक उपलब्ध हो जाये । जैसा कि सभी पक्षों ने सहमति दी है, कृष्णा विवाद के संबंध में पंचाट के पश्चात् ही न्यायाधिकरण द्वारा गोदावरी के मामले की सुनवाई आरंभ की जायेगी ।

## इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसियूटिल्स में नई कृत्रिम औषधियों तथा प्रतिजीवाणु औषधियों का उत्पादन

**270. श्री गिरिधर गोमांगो**

**डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसियूटिकल्स की उत्पादन सूची में पन्द्रह नई कृत्रिम औषधियां और आठ नई प्रतिजीवाणु औषधियां और जोड़ी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितनी लागत आयेगी और नई औषधियों के नाम क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) आई०डी०पी०एल० में नई संश्लिस्ट औषधियों और नये एण्टी बायोटिक्स के उत्पादन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## गुजरात में शिल्पकारों को पैट्रो-रसायन और रसायन प्रौद्योगिक में प्रशिक्षण देने हेतु संस्था की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता

**271. श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिल्पकारों को पैट्रो-रसायन और रसायन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए गुजरात में एक संस्था की स्थापना की जायेगी जिससे कि दोनों क्षेत्रों की बढ़ती मांगों की पूर्ति हो सके ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने भारतीय पेट्रो-रसायन निगम और भारतीय तेल निगम से भी इस संस्था की स्थापना में सहयोग देने का अनुरोध किया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह संस्था स्थापित करना स्वीकार कर लिया ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) से (ग) राज्य में पैट्रो-रसायन उद्योग के लिये विशेष रूप से आवश्यक कुशल जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिये उपाय सुझाने के लिये गुजरात सरकार द्वारा सितम्बर, 1972 में नियुक्त की गई समिति ने अन्य बातों के साथ साथ बड़ोदा में एक विशेष प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश की है । ऐसे संस्थान की स्थापना की सिफारिश राज्य सरकार के विचाराधीन है । राज्य सरकार ने प्रायोजना के लिये आवश्यक आर्थिक संसाधन और सहयोग का प्रश्न भारतीय पैट्रो रसायन निगम और भारतीय तेल निगम के साथ उठाया है ।

इस संबंध में निश्चित सहायता के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध नहीं किया है ।

## मैसूर राज्य को मिट्टी के तेल की सप्लाई

**272. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल का राशन होने के पश्चात् मैसूर सरकार ने लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मिट्टी के तेल की सप्लाई का दायित्व लिया था ;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल सप्लाई किया जाये ताकि राज्य में राशन की आवश्यकता पूरी की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जून, 1973 तक पिछले कुछ महीनों में मिट्टी के तेल के राज्य-वार आवंटनों में की गयी कमियों के बारे में राज्य सरकारों को निरन्तर सूचना भजी जाती रही है और उन से उपलब्ध सप्लाई को यथार्थ उपभोक्ताओं में उचित ढंग से वितरण किये जाने का अनुरोध किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) 1 जुलाई, 1973 से लागू करते हुए मिट्टी के तेल क राज्य-वार आवंटन पूर्ण रूप से बहाल कर दिये गये हैं ।

## एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उदार बनाया जाना

**273. श्री सी० जनार्दनन**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सीमेंट कम्पनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नई सीमेंट कम्पनियां स्थापित करने की अनुमति देने हेतु एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम को उदार बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बेदब्रत बरूआ)**: (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## व्यापार गृहों द्वारा उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव

**274. श्री सी० जनार्दनन:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक व्यापार गृहों ने उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र देने वाले व्यापार गृहों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5158/73]**

## कुकिंग गैस के मूल्य में वृद्धि

**275. श्री सी० जनार्दनन:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की है;

(ख) क्या नये घोषित मूल्यों के अनुसार कुकिंग गैस के प्रत्येक सिलैण्डर में 60 से 71 पैसे तक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कुकिंग गैस के मूल्य में इस अत्यधिक वृद्धि का औचित्य क्या है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) 11-6-73 को सरकार द्वारा मिट्टी के तेल को छोड़कर समस्त प्रपुंज शोधित पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की गई ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 28-5-1971 को जब संदर्भित कच्चे तेल अर्थात् लाइट इरानियन के दाम 1.68 डालर प्रति बैरल थे, तब समस्त प्रपुंज शोधित पैट्रोलियम उत्पादों, (ईंधन तेल या एल० पी० जी० को सम्मिलित करते हुए) के मूल्यों में अंतिम बार वृद्धि की गई थी । सरकार द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन हेतु अपनाये गये सूत्र (फारमूलों) के अनुसार संदर्भित कच्चे तेल के मूल्य में प्रत्येक 10 सैन्टस।बैरल की वृद्धि होने पर उत्पाद मूल्यों में साधारण तथा 4% की वृद्धि स्वीकार की जाती है । पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में, मई 1971 के मूल्यों से जो कि कच्चे तेल पर 40 सैन्टस प्रति बैरल की वृद्धि के प्रतीक हैं, 16% की वृद्धि इसलिए स्वीकार की गई कि मई 1971 से जून 1973 तक संदर्भित कच्चे तेल के मूल्यों में 57 सैन्टस प्रति बैरल की वृद्धि हो गई थी । यदि उत्पादों के मूल्य कच्चे तेल के मूल्यों के समरूप नहीं बढ़ाये जाते तो शोधनशालाओं को भारी हानि होगी ।

इसलिये जून, 1973 में मिट्टी के तेल को छोड़कर समस्त पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य, (ईंधन गैस को सम्मिलित करते हुए), बढ़ गये ।

क्योंकि विश्व भर में कच्चे तेल के मूल्यों में बराबर वृद्धि हो रही है, इसलिये उत्पादों के मूल्यों में और अधिक वृद्धि करना आवश्यक हो जायेगा ।

## ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा बिरसा (मध्य प्रदेश) के आस-पास के ग्रामों के लिए दो लघु परियोजनाओं की स्वीकृति

**276. श्री धन शाह प्रधान :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बिरसा (मध्य प्रदेश) के आस-पास के ग्रामों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में सहायता हेतु दो लघु परियोजनाओं को स्वीकृति दी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार पिछड़े (आदिवासी) क्षेत्रों के लिये भी ऐसी और अधिक परियोजनायें स्वीकृत करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)**: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने दो मिनी स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें 10.71 लाख रुपये की ऋण सहायता से 17 गांवों का विद्युतीकरण, 160 पम्पसेटों का ऊर्जन तथा मध्य प्रदेश में सिधी जिले के मझौली ब्लाक में मझौली प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा छिदवाड़ा जिले में बिछवा प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र में 14 लघु तथा कृषि उद्योगों को विद्युत सप्लाई करना परिकल्पित है। निगम मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा भेजी जाने वाली और स्कीमों को स्वीकृत करने पर विचार करेगी बशर्ते कि वे निगम द्वारा निश्चित किये गये मार्ग दर्शनों के अनुसार हों।

## Late running of trains in Bihar

277. **Shri G.P. Yadav**
**Shri Ishwar Chaudhry:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the movement of trains in Bihar has not been regular for sometimes and many trains have been running late by several hours; and

(b) if so, the steps being taken by Government for the regular and punctual running of trains there ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) No. On some occasions, however, the punctuality performance of certain trains has suffered on account of factors like alarm chain pulling, signal failures, loco losses, agitations *etc.*

(b) Punctuality performance of trains is closely watched at all levels by the Zonal Railways and for selected Mail/Express trains at Railway Board's level. Avoidable detention are promptly investigated and suitable remedial or punitive action is taken to improve punctuality. In some trains even alarm chain apparatus has been blanked off to effect an improvements in punctuality.

## Entitlement of Class For Travelling by Railway Employees on Abolition of Second Class Compartments

278. **Shri G.P. Yadav**
**Shri Chandrika Prasad :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Second class compartments have been removed from several trains and, if so, the arrangements made for Railway employees who are entitled to Second Class passes;

(b) whether Government have permitted them to travel by First class; and

(c) if not, the steps taken to maintain standard in travelling by Railways ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :** (a) to (c) Second Class coaches have been withdrawn from several trains. Railway employees entitled to second class passes would travel in third class and not first class by such trains. The entire question of the revision of pay limits for eligibility to the various classes of railway accomodation will be examined after a decision in regard to the pay scales recommended by the Third Pay Commission is taken.

## Electrification of Villages in Bihar

279. **Shri G. P. Yadav**
**Shri Ishwar Chaudhry :**

Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state the names of the villages proposed to be electrified in Bihar, District-wise during 1973-74 ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma) :** As intimated by Bihar State Electricity Board, it is proposed to electrify 2,000 villages in that State during 1973-74. The names of villages proposed to be electrified have not been finalised so far. However, district-wise break of these villages is given below :—

| | |
|---|---|
| Patna | 165 |
| Gaya | 165 |
| Shahabad | 195 |
| Saran | 150 |
| Champaran | 75 |
| Muzaffarpur | 325 |
| Dharbhanga | 225 |
| Monghyr | 270 |
| Bhagalpur | 150 |
| Santhal Pargana | 30 |
| Purnea | 100 |
| Saharsa | 50 |
| Palamau | 40 |
| Hazaribagh | 25 |
| Ranchi | 15 |
| Dhanabad | 10 |
| Singhbhum | 10 |
| Total | 2,000 |

## New Railway Line From Birpur to Bihpur in Bihar

**280. Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the regions in North Bihar where new railway lines are planned to be constructed;

(b) whether Government propose to construct a new railway line from Birpur to Bihpur; and

(c) if so, by when and if not, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Quareshi) :** (a) Construction of an MG line between Saraigarh and Partapganj, which will be part new line and part restoration, has just been sanctioned on the strength of an urgency certificate. Further extension from Partapganj to Forebesganj is under consideration. Construction of Hasanpur-Sakri and Jhanjharpur-Laukahabazar in new M. G. lines in Bihar is also under consideration. Restoration or rail communication facilities in Bagaha-Chitauni areas is also being considered.

(b) No.

(c) Due to paucity of funds and lack of adequate of traffic justification, it will be difficult to consider construction of Birpur-Bihpur new line in the near future.

## Late Running of Trains in North Eastern Railway

**281. Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether all the Passenger and Express trains on the North Eastern Railway have been running late for the last one month;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government have taken any steps for the punctual running of the trains and if so, the nature thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) and (b) No. On some occasions, however, the punctuality performance of certain trains has suffered on

account of factors like agitations, thefts of telecommunication wires, alarm chain pulling, heavy rains, loco losses, signal & Telecommunication failures, etc.

(c) Punctuality performance of trains is closely watched at all levels by the Zonal Railways and for selected Mail/Express trains at Railway Board's level. Avoidable detentions are promptly investigated and suitable remedial or punitive action is taken to improve punctuality. On some trains even alarm chain apparatus has been blanked off to effect an improvement in punctuality.

## बड़ौदा में भारतीय पैट्रो-रसायन निगम द्वारा एक प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना

**282. श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने बड़ौदा में भारतीय पैट्रोल रसायन निगम के अनुसंधान और विकास केन्द्र द्वारा निर्माण के लिए प्रक्रिया तैयार करने हेतु एक बहुप्रयोजनीय अर्ध वाणिज्यिक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका प्रयोजन क्या है, और इस संयंत्र में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा।

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा; और

(घ) उत्पादन कब आरम्भ होगा और क्या इस कार्य में किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) इण्डियन पैट्रोकैमिकल्ज कारपोरेशन लि०, जो कि केन्द्रीय सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है, के द्वारा पालीमर उत्पादन के लिए एक बहु-मुखी-अर्ध वाणिज्यिक पायलट प्लांट की स्थापना की जा रही है।

(ख') यह पायलट प्लांट इस कारपोरेशन के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को निम्नलिखित पालीमरों के विकास में सहायता करेगा:—

(क) एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन (ए० बी० एस०) जिसमें हाइ इम्पैक्ट पालीस्टाइरीन सम्मिलित हैं।

(ख) स्टाइरीन एक्रिलोनाइट्राइल (एस० ए० एन०)

(ग) विभिन्न प्रकार के सिन्थैटिक लेटैक्स

(घ) पालीयुरेथेन पर आधारित एड्हेसिज विभिन्न प्रयोगों के लिए

(च) अंतिम उपयोग के लिए पालीमर इमलशन जैसे—पालिएस्टर साइजिंग, पी वी सी पर आधारित एड्हेसिव्ज, स्टाइरीन, पी० वी० ए० इत्यादि।

इस पाइलट प्लांट का नई पालीमर प्रक्रिया के प्रयोगशाला विकास को बढ़ाने में भी उपयोग किया जायेगा।

(ग) इस संयंत्र पर 25 लाख रुपए का अनुमानित पूंजीगत व्यय होगा।

(घ) यह संयंत्र निर्माणाधीन है तथा इसमें 1974 में परीक्षण उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। इस संयंत्र के लिए विदेशी सहयोग नहीं लिया गया है।

## गुजरात में भड़ौच स्थान पर पैट्रो-रसायन संयंत्र की स्थापना

**283. श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात राज्य में भड़ौच स्थान पर एक पैट्रो-रसायन संयंत्र की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की स्थापना कब तक की जानी है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होगा ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## बर्मा आयल कम्पनी द्वारा ईक्विटी शेयरों का छोड़ना

**284. श्री प्रभुदास पटेल**
**श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा आयल कम्पनी अपने ईक्विटी शेयरों का 10 प्रतिशत छोड़ने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) क्या सरकार और बर्मा आयल कम्पनी के पाईसक्विटी शेयरों का इस समय 50:50 का अनुपात है; और

(ग) यदि हां, तो बर्मा आयल कम्पनी द्वारा केवल 10 प्रतिशत ईक्विटी शेयर छोड़ने पर ही सरकार के सहमत हो जाने के क्या कराण हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, और

(ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## राज्य विद्युत मंडलों के अध्यक्षों का नई दिल्ली में हुआ सातवां वार्षिक सम्मेलन

**285. श्री प्रभुदास पटेल :**
**श्री आर० वी० स्वामीनाथन:**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राज्य विद्युत मंडलों के अध्यक्षों के नई दिल्ली में हुए सातवें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते समय उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि बिजली उत्पादन के चौथी योजना के लक्ष्य को पांचवी योजना में दुगुना नहीं किया गया तो देश को विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है; और

(ख) सम्मेलन में किन विषयों पर विचार हुआ और विचार विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)**: (क) नई दिल्ली में 15 और 16 जून, 1973 को हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सातवें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मन्त्री ने देश में विद्युत संकट के कारणों को स्पष्ट किया तथा वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। मन्त्री महोदय ने कतिपय महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाओं को 1973-74 में समय पर पूरा करने की भी आवश्यकता पर बल दिया ताकि इस वर्ष के दौरान 2.1 मिलियन किलो वाट विद्युत-जनन के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया यह एक चुनौती है और यदि हम 2.1 मिलियन किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता का सृजन नहीं करेंगे तो गम्भीर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि चौथी योजना का लक्ष्य 9 मिलियन किलोवाट है तथा पांचवी योजना के लिए लगभग 18 मिलियन किलोवाट है। हम चौथी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाये हैं और यदि हम पांचवी योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी असफल रह जाते हैं तो देश को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

(ख) सम्मेलन में देश में विद्युत विकास से सम्बंध मामलों पर विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित सिफारिशें की गई।

**1. फालतू पुर्जों का आयात**

सामयिक मरम्मतों तथा उत्पादन संयंत्र की शीघ्र उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, सम्मेलन ने आग्रह किया कि जहां आवश्यक हो राज्य बिजली बोर्डों को पुर्जों को आपाती आधार पर आयात करने में समर्थ बनाया जाए तथा सिफारिश की कि उपस्कर की पूंजीगत लागत 0.1% की सीमा को बढ़ाकर ताप-संयंत्र के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति 100 मेगावाट प्रतिष्ठापन तथा जल-विद्युत संयंत्र के लिए 1.00 लाख रुपये प्रति 100 मेगावाट तक कर दिया जाए।

**2. ईन्धन प्रदाय**

अपर्याप्त उत्पादन कोयले की घटिया किस्म और यातायात सुविधाओं के अभाव के कारण, पांचवी योजना अवधि के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले तथा ईंधन तेल की संभावी कमी के लक्षणों के बारे में गहरी चिन्ता का अनुभव किया

तथा आग्रह किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत-उत्पादन में इस कारण से कोई बाधा न आने पाये, भारत सरकार को संगठित कार्यवाही करनी चाहिए ।

**3. कोयला वाशरी**

सम्मेलन ने सिफारिश की कि कोयला और इस्पात प्राधिकारणों के सभी दो-चरण कोयला वाशरियों को तीन चरण वाशरियों में बदलने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए ताकि विद्युत केन्द्रों को वाशरियों से उपयुक्त गुणों वाले मिडिलिंग मिल सकें ।

**4. कोयले का मूल्य**

सम्मेलन ने चिन्ता के साथ यह नोट किया कि विद्युत केन्द्रों को प्रदाय किए जा रहे कोयले को गुण-योग्यता के संदभ में उसका मूल्य ढांचा अवैज्ञानिक है तथा कोयले की उष्मा मूल्य तथा राख और नमी निहितता के संबंध में बड़ा कुप्र भावकारी है । सम्मेलन सिफारिश करता है कि बिजली बोर्डो को कोकिंग कोयला और और नांन कोकिंग कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण से पूर्व मान्य मूल्य से अधिक मूल्य देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। भविष्य में मूल्य निर्धारण केवल विद्युत सप्लाई उद्योग को सलाह के पश्चात् ही किया जाना चाहिए ।

**5. मरम्मत के लिए संगठन**

सम्मेलन का विचार है कि ताप विद्युतसंयत्रों की उपलब्ध ता में सुधार लाने के उद्देश्य से, यह अनिवार्य है कि विद्युत संयंत्रों की साधारण और भारी मुरम्मत इसी उद्देश्य के लिए विशेष रूप से स्थापित एक विशिष्ट संगठन के द्वारा की जाए । सम्मेलन शिफारिश करता है कि सिचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा ऐसे संगठन को स्थापित करने और इसको उपयुक्त तौर पर सुसज्जित करने के लिए आवश्यक उपाय किऐ जाने चाहिए ।

**6. इस्पात और सीमेंट**

सम्मेलन खेद के साथ नोट करता है कि इस्पात और सीमेंट की अपर्याप्त और विलंबित सप्लाई के परिणामस्वरूप विभिन्न स्कीमों में देरी हुई है और आग्रह करता है कि आबंटन और सप्लाई का मासिक पुनरीक्षण करने और इन सामग्रियों को पर्याप्त एवं समय पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए उपचारी उपाय हाथ में लेने हेतु एक स्थायी समिति स्थापित की जाए जिसमें केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, इस्पात विभाग और औद्योगिक विकास मंत्रालय शामिल हों।

**7. समेकित प्रचालन**

बढ़ती हुई प्रणाली क्षमताओं के साथ और समेकित प्रचालन के लिए बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए सम्मेलन का विचार है कि विद्युत के अन्तर्राज्यों विनिमय में सभी बाधाओं को शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है । इसके लिए, द्रुतगति से अन्तराज्य लाइनों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और भार प्रेषण केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि विद्युत के अन्तर्राज्य विनिमय को उपयुक्त संवैधानिक प्रावधनों द्वारा बढ़ावा दिया जाए । यह मामला सिंचाई और विद्युत राज्य मंत्रियों के अगले सम्मेलन में विचारार्थ रखा जाए ।

**8. हानियां**

सम्मेलन यह स्वीकार करता है कि प्रणाली ऊर्जा हानियों को न्यूनतम करने के लिए संगठित प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है । इस उद्देश्य के लिए यह प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड से आग्रह करता है कि वे अपनी-अपनी प्रणाली के संबंध में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपाय और साधनों की जांच करने के लिए विस्तृत अध्ययन करे और हानियों को कम करने के लिए शीघ्र उपाय करे । ग्राम विद्युतीकरण निगम का प्रणाली सुधार ऋण भी इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध किया जाए ।

**9. प्रशिक्षण**

सम्मेलन का यह विचार है कि प्रत्येक राज्य में द्रुतगति से विकास कर रही विद्युत प्रणालियों के कार्य निष्पादन के उच्च स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण, प्रणाली प्रचालन और भार प्रेषण तथा पारेषण लाइनों और ग्रिड उपकेन्द्रों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त संख्या से प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना आवश्यक है । सम्मेलन का सुझाव है कि प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिक संस्थानों को स्थापित किया जाए और उष्ण लाइन प्रशिक्षण केन्द्रों को पुनः प्रारम्भ किया जाए ।

प्रबंध-प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए भी यथेष्ट कदम उठाए जाएं ।

**10. पांचवीं योजना का लक्ष्य**

विद्युत मांग को वृद्धि दर तथा भार अनुमानों को दृष्टि में रखते हुए सम्मेलन का यह दृढ़ विचार है कि पांचवीं योजना अवधि के लिए विद्युत जनन लक्ष्यों में कम से कम 20 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त क्षमता का प्रावधान होना चाहिए जिसके बिना औद्योगिक तथा कृषि विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उपस्कर की सुपुर्दगी में विलम्ब, श्रमिक द्वारा हड़ताल, सीमेंट तथा इस्पात की कसो कार्य स्थल संबंधी अभियंत्रण कठिनाइयां और कार्य से हटायी जाने के लिए संभावित पुरानी मशीनरी को पूरा करने की आवश्यकता के कारण होने वाली संभाव्य कमियों को दृष्टि में रखकर इस लक्ष्य के अतिरिक्त कम से कम 10% और अधिक उत्पादन क्षमता के लिए प्रावधान होना चाहिए।

**11. परियोजनाओं को स्वीकृति**

सम्मेलन बड़ी चिन्ता पूर्वक यह नोट करता है कि पांचवीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट अनेक विद्युत परियोजनाएं अभी भी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जानी हैं और कृषि तथा औद्योगिक, दोनों क्षेत्रों में विद्युत कमी के कारण आने वाली बाधाओं एवं संकट की चेतावनी देता है। सम्मेलन अनुरोध करता है कि परियोजनाएं 1973 के भीतर स्वीकृत हो जानी चाहिए और उनका कार्यान्वियन शीघ्र शुरू कर देना चाहिए। छठी योजना में लाभार्थ और परियोजनाएं भी स्वीकृत की जानी चाहिए जिससे कि अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की जा सके।

**12. विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रख कर जिससे कि अनुसूची के अनुसार कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सके, सम्मेलन निम्नलिखित सिफारिश करता है**

सम्मेलन यह नोट करता है कि अनेक परियोजनाओं में वास्तविक कठिनाई अपर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की है। अतः सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि विद्युत योजना लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिए, ग्राम विद्युतीकरण जैसे वित्तीय व्यवस्था करने वाले संस्थानों की स्थापना की जाए ताकि बिजली बोर्डों/परियोजना प्राधिकारियों को, जहां भी आवश्यकता हो वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की जा सके।

**13. केन्द्र द्वारा धन देना**

पांचवीं योजना में चालू होने योग्य और भारत सरकार द्वारा नियंत्र किए गए लक्ष्यों के अंतर्गत रज्य क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं के लिए धन की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जहां एक राज्य अपनी योजना के अंतर्गत आवश्यक धन आवंटित नहीं कर सकता केन्द्र को केन्द्र और सम्बन्धित राज्य के मध्य पारस्परिक समझौते पर आधारित शर्तों पर परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था आवश्यक की जानी चाहिए।

**14. सूचना स्रोत**

सम्मेलन दिन-प्रतिदिन विद्युत-जनन और विद्युत कमियों, विवशता पूर्वक आउटज विद्युत केन्द्रों के लिए ईन्धन तेल और अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति और परियोजना कार्यान्वियन में अड़चनों के सम्बन्ध में सूचना के सम्प्रेषण के लिए राज्यों और केन्द्र के मध्य तथा कुछ राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों में पर्याप्त संचार सुविधाओं की कमी को चिन्तापूर्वक नोट करता है। अतः सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि विस्तृत जांच के उपरांत, पर्याप्त संचार-स्रोतों की स्थापना के लिए अपेक्षित सुविधाएं अभिज्ञात की जाएं और एक महीने के भीतर सूचित कर देनी चाहिए तथा उसकी स्थापना के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिएं।

**15. ग्राम विद्युतोकरण**

सम्मेलन चतुर्थ योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण द्वारा निष्पादित कार्य पर संतोष प्रकट करता है तथा इस गति को सतत रखने की आवश्यकता महसूस करता है जिससे कि चौथी योजना में लक्ष्यों की उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सके। सम्मेलन ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों की प्रगति में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा किए गए योगदान की प्रशंसा करता है और समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वियन की आवश्यकता पर बल देता है।

## भारत में तेल की खोज के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों से बातचीत

**286. श्री प्रभुदास पटेल**

**श्री आर० वी० स्वामीनाथन:**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में तेल की खोज के लिए तेल की खोज करनेवाली 30 विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों को पत्र लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी फर्में इसके लिए सहमत हुई हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) कुछ विदेशी कम्पनियों ने अतटीय क्षेत्रों में तेल खोज कार्यों में भाग लेने की इच्छा प्रकट की है तथा इनमें से कुछ कम्पनियों द्वारा ऐसे सहयोग के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों की मुख्य बातें प्रस्तुत की गई हैं। कुछ अतटीय क्षेत्रों में करार के सामान्य ठेकेदार टाइप (जनरल कान्ट्रैक्टर टाइप) के आधार पर सहयोग करने पर विचार करने का प्रस्ताव है। ऐसा समझा गया है कि इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में इस समय ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है।

## ट्रैक्टरों को चलाने के लिए मिट्टी के तेल की कमी

**287. श्री के० लकप्पा:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिट्टी के तेल की कमी के कारण खरीफ की फसल के दौरान सैंकड़ों ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) और (ख) ट्रैक्टर हाई स्पीड डीजल आयल से चलाये जाने के लिए बनाए जाते हैं अत: सैंकड़ों ट्रैक्टरों के मिट्टी के तेल की कमी के कारण बेकार पड़े रहने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर मिट्टी के तेल की गैर-घरेलू इस्तेमाल के लिए सामान्य रूप से इजाजत नहीं ली जाती है।

2. अब हाई स्पीड आयल के पर्याप्त स्टाक उपलब्ध हैं और इस बारे में कोई गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

## रेलवेज में खान-पान की व्यवस्था एक सरकारी क्षेत्र के निगम को सौंपना

**288. श्री के० लकप्पा**

**श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय इस आशय के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि रेलवेज में खान-पान की व्यवस्था एक सरकारी क्षेत्र के निगम को सौंपी जाए;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)**: (क) से (ग) भारतीय रेलों पर खान-पान प्रबन्ध को खान-पान निगम को सौंपा जा सकता है या नहीं, यह सवाल विचाराधीन है।

## अरब सागर में बम्बई हाई स्ट्रक्चर में पहले कुंए की खुदाई

**289. श्री के० लकप्पा**

**श्री श्रीकिशन मोदी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब सागर में बम्बई हाई स्ट्रक्चर में पहला कुंआ खोदने का कार्य भारत के चलते फिरते पहले खुदाई प्लेटफार्म की सहायता से 12 जून, 1973 को शुरू किया गया था ; और

(ख) क्या अरब सागर और खम्भात की खाड़ी में तेल की खुदाई के लिए छः तट दूर स्ट्रकचरों पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कोई स्थान चुन लिए हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां। व्यधन-कार्य के लिए 9 स्थल दिए गए हैं।

## इण्डियन एक्सप्रैस कम्पनी समूह के निदेशको के विरुद्ध आरोपों की जांच

**290. श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने इंडियन एक्सप्रैस कम्पनी समूह के निदेशकों के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी और लेखों एंव स्टाक के हेराफेरी करने संबंधी आरोपों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या कम्पनियों के निदेशकों के विरुद्ध न्यायालय में कोई मामले दायर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बेदव्रत बरूआ):** (क) से (घ) कम्पनी अधिनियम, की धारा 209(4) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड को लेखावहियों के निरीक्षण के परिणाम के स्वरूप, कम्पनी विधि बोर्ड ने 2 अप्रैल 1971 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक परिवाद प्रस्तुत किया, जिन्होंने यह परिवाद भारतीय दंड सहिता की धारा 120ख, 420 व 477-क के अन्तर्गत अपराधों के लिये पंजीकृत किया। जब केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने इस परिवाद पर कार्यवाही प्रारंभ की, तो इन्डियन एक्सप्रैस (मदुराई) प्राइवेट लि० मद्रास व आन्ध्र प्रभा प्राइवट लि०, ने, श्री राम नाथ गोइन्का के साथ, मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष, अन्वेषण अधिपत्र के अभिखंडन के लिए उत्प्रेषण संलेख प्रेषण, तथा कम्पनी विधि बोर्ड को उनके परिवाद को वापिस लेने के निर्देश देते हुए, परमादेश संलेख के प्रेषण के लिए, लिखित याचिकायें दायर कर दी। ये निरस्त कर दी गई। एक प्रभाग बैंच के समक्ष अपीलें की गई थी, वे भी निरस्तर कर दी गई। तथापि उच्चतम न्यायालय में अपील करने की छूट 26 मार्च, 1973 को प्रदान कर दी गई। उच्च न्यायलय ने, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आरोप-पत्र, प्रस्तुत करने से रोकने सम्बन्धी आवेदन निष्द्ध कर दिया, परन्तु यह निदेश दिया कि दो मास, अथवा अपील की याचिकाये प्रस्तुत करने की अवधि, जो भी पहले हों, तक, कोई गिरफतारी नहीं की जाएगी। केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट मद्राम के समक्ष 21 मई 1973 को एक आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था याचिका कर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया, जिसने 22 मई, 1973 को निर्देश दिया कि उन अपराधियों, जिनके विरुद्ध 21 मई, 1973 को-प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट मद्राम के समक्ष आरोप प्रस्तुत किये गये है, के विरुद्ध कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कोई गिरफतारी नहीं की जायेगी। तथापि, उच्चतम न्यायलय ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश, प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियों के यथाक्रम का प्रभावी नहीं करेगा।

प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट मद्राम के समक्ष प्रस्तुत किये गये आरोप-पत्र में निम्मांकित व्यक्तियों के अपराधी होने का उल्लेख है :-

1. श्री राम नाथ गोइन्का
2. श्री भगावन दास गोइन्का, सुपुत्र श्री राम नाथ गोइन्का
3. श्रीमती सरोज गोइन्का, पत्नी श्री वी० डी० गोइन्का
4. श्री बी० कुप्पूस्वामी, मुख्य लेखा अधिकारी, इन्डियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्रा० लि०
5. श्री चुन्नीलाल व्यास, स्टोर कीपर, इन्डियन एक्सप्रेस (मुदुराई) प्रा० लि०
6. श्री पूरन मल शर्मा, क्लर्क/सुपर वाइजर, निर्माण विभाग, एक्सप्रेस न्यूज, पेपर्स प्राइवेट लि०, मद्रास,

इन अपराधियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,467/471, 468/471 व 477/के साथ पठित, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, तथा, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 467/471, 468/471 व 477क के अन्तर्गत मौलिक अपराधों के आरोप लगाय गये हैं। आरोप-पत्र का सारांश है कि मार्च, 1968 के लगभग या उसमें अभियुक्त पंजाब नेशनल बैंक को झूठे स्टाक विवरण-पत्र, जिसमें स्टाक में जो विद्यमान नहीं था उसको भी समिलित

करते हुए उसके पश्चात अभिलेख में गलत खरीद को जिससे बैंक द्वारा निश्चित आदान शक्तियों से अधिक हो सकती थी, अगर बैंक को स्टाक स्थिति की सही जानकारी दी गई होती, को मिथ्या प्रदर्शित करते हुए, अभियुक्त अपराधिक षडयंत्र में शामिल हुए थे।

## उर्वरक उद्योग में पूंजी निदेश सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन

**291. श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक नीति में परिवर्तन करने का है जिससे उर्वरक उद्योग में पूंजी निवेश को अधिकाधिक आकर्षित किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख) सरकार उर्वरक नीति पर निरन्तर पुनरीक्षण करती रहती है और उर्वरक उद्योग में पूंजी निवेश को और आकर्षक बनाने के लिये अपेक्षित कदम उठाये जाने के बारे में अध्ययन किये जा रहे हैं।

## अशोधित तेल के मूल्यों में पशिचमी देशों के तेल कम्पनियों द्वारा स्वीकृत वृद्धि

**292. श्री एन० एम० मुकर्जी**

**श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल का उत्पादन करने वाले मध्यपूर्व के देशों ने जिनका प्रतिनिधित्व ओपैक (ओ०पी०ई०सी०) करता है, तथा पश्चिमी देशों की तेल कम्पनियों ने अशोधित तेल के मूल्य में जनवरी में प्रचलित मूल्यों की तुलना में 11.9 प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तेल का आयात करने वाले देशों विशेषतया भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) जी हां ।

(ख) इसके कारण अशोधित तेल के प्रकाशित मूल्यों में वृद्धि हुई। क्योंकि ओ० पी० ई० सी० सरकारों के तेल राजस्व को प्रकाशित मूल्यों की प्रतिशतता के रूप में वसूल किया जाता है। प्रकाशित मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप ओ० पी० ई० सी० सरकारों द्वारा प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई। भारत जैसे तेल उपभोक्ता देशों को अशोधित तेल के मूल्यों में कम से कम वृद्धि को वहन करना पड़ा जिससे अशोधित तेल के लागत पर देय करों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति की जा सके।

## अशोधित तेल के आयात के लिए ईराक तथा सऊदी अरब के साथ करार

**293. श्री एच० एन० मुकर्जी**

**श्री नरेन्द्र सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल आयात करने के लिए भारत ने ईराक तथा साऊदी अरब के साथ करार किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों से कितने तेल का आयात किया जायेगा तथा उसका मूल्य क्या होगा ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख) भारतीय तेल निगम लि० ने 1.95 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल के लिए ईराक नैशनल आयल कम्पनी के साथ तथा 3.3 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल के लिए साऊदी अरेबिया के पैट्रोमिन के साथ वाणिज्यिक करार किये हैं। दोनों सरकारी कम्पनियां है। कीमतें बताना भारतीय तेल निगम के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

## एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में संशोधन

**294. श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य**मन्त्री एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में संशोधन के बारे में 13 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3022 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के कार्यक्रम का पुनर्विलोकन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या एकाधिकार के विकास को रोकने के लिए इस अधिनियम को और अधिक प्रभावकारी बनाने की दृष्टि से इस अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बेद व्रत बरुआ)** (क) से (ग) मामला अभी परीक्षान्तर्गत है।

## कुछ विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा अपनी विदेशी पूंजी में कमी करना

***295. श्री जी० वाई० कृष्णन**

**श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी औषध कम्पनियों ने यह कहा था कि वे अपनी विदेशी पूंजी कम करने को तैयार हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और वे अपनी विदेशी पूंजी किसी सीमा तक कम करने के लिए सहमत हो गई हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** (क) और (ख) जी हां। मैसर्स अलकली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, मैसर्स फाइजर लि० और मैसर्स जर्मन रेमिडीज अपनी विदेशी साम्य पूंजी में क्रमशः 75.5% से 60% तक, 75% से 60% तक, और 64% से 40% तक कमी करने के लिए सहमत हो गए हैं। अन्य विदेशी फर्मों अर्थात् मैसर्स अब्बोट्ट लेबोरेटोरीज इंडिया लि० मैसर्स ग्रे एण्ड वेकर लि० तथा मैसर्स सरले इंडिया लि० ने अपनी विदेशी पूंजी में कमी करने की स्पष्ट इच्छा व्यक्त की है किन्तु इन प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

## उत्तरी क्षेत्र से खाद्यान्नों को लाने के लिए मैसूर सरकार को वैगनों का आवंटन

**296. श्री जी० वाई० कृष्णन**

**श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार को उत्तरी क्षेत्र से वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण खाद्यान्नों की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो रही है।

(ख) क्या मैसूर के किसी मन्त्री ने उन्हें इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिए गत चार महीनों में राज्य को कितने वैगन आंवटित किये गए हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) इस मन्त्रालय को इसकी जानकारी नहीं है ?

(ख) मैसूर राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के लिए उत्तर प्रदेश से 1600 मीटरिक टन ज्वार और मध्य प्रदेश से 1082 मीटरिक टन बाजरे की ढुलाई के लिए तरजीही तौर पर माल डिब्बे सप्लाई करने के लिए मैसूर के मुख्यमन्त्री से अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ग) उक्त यातायात की तरजीही तौर पर ढुलाई के लिए सम्बद्ध रेल प्रशासनों को तत्काल आदेश जारी कर दिये गए थे।

(घ) बचत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को खाद्यान्न की ढुलाई की व्यवस्था अधिकतर भारत के खद खादय निगम द्वारा की जाती है। मार्च से जून, 1973 तक के चार महीनों में भारत के खाद्य निगम के लिए उत्तर रेलवे के स्टेशनों सेमैसूर राज्य के लिए बड़ी लाइन के 2977 माल डिब्बे खाद्यान्न का लदान हुआ।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित उत्तर प्रदेश से ज्वार की ढुलाई पहले ही पूरी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश से बाजरा भेजने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की जा रही है।

## हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार

**297. श्री जी० वाई० कृष्णनन**

**श्री रानेन सेन :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या परिवर्तन करने का विचार हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख): योजना आयोग द्वारा तेल शोधन पर बनाया गया कार्यकारी दल ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 43 मिलियन मीटरी टन की शोधन क्षमता उपलब्ध करने का प्रस्ताव किया है। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए कार्यकारी दल द्वारा दिये गए अनेक प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव हल्दिया शोधनशाला के विस्तार के बारे में है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट जिसमें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इष्टतम शोधन क्षमता प्राप्त करने का है, विचाराधीन है।

## मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव

**298. श्री जी० वाई० कृष्णन**

**श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स ने सरकार से अनुरोध किया है कि उसे अपनी क्षमता का 1600 मीटरिक टन तक विस्तार करने की अनुमति दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत क्या होगी और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख): मैसर्स मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड से एक प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस समय कंपनी परियोजना की तकनीकी आर्थिक संभाव्य रिपोर्ट बना रही है, इसलिए अंतिम प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

## दामोदर घाटी निगम तथा का शांवली परियोजना में बनाए गए जलाशय

**299. श्री जगदीश भट्टाचार्य:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम तथा काशांवाली परियोजना के अंतर्गत मूलत: कितने जलाशयों का निर्माण होना था ; और

(ख) अब तक कितने जलाशयों का निर्माण हुआ है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा):** (क) और (ख) परियोजना के लिए प्रारम्भिक योजनाओं के अनुसार सात बहुदेश्यीय बांध और एक निम्न व्यपवर्तन बांध दामोदर घाटी में रोहेडिया के निकट निर्माण करने

का प्रस्ताव था। इस परियोजना का बाद में पुनर्निरीक्षण किया गया तथा अन्त में भागीदार सरकारों द्वारा यह निश्चय किया गया कि—मैथन, पंचेत, तिलैया और कोनार पर केवल चार बांधों का निर्माण किया जाए और इनका निर्माण किया जा चुका है। कंसवती परियोजना में दो नदियों—कंसवती और कुमारी पर एक संतत बांध का निर्माण अनुसूचित था। इन दो नदियों पर बांध एक सांझा जलाशय बनाएगा में कंसवती पर बांध पूरा कर दिया गया है और कुमारी पर बांध पूरा होने वाला है।

## ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान विद्युत टैरिफ

**300. श्री आर० वी० स्वामीनाथन**

**श्री पी० ए० सामिनाथन:**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान विद्युत टैरिफ लागू करन के लिए सहमत राज्यों के नाम क्या हैं; और इसका विरोध करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा):** ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए समान विद्युत टैरिफ आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मैसूर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों में लागू की गई है। उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के बोर्ड भी इस ओर कदम उठा रहे हैं।

## निर्धन व्यक्तियों के उपयोग में आने वाले पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी करना

**301. श्री आर० वी० स्वामीनाथन:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों के बढ़े हुए मूल्य अधिसूचित करने के पश्चात सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के सम्बन्ध में एक नया सूत्र निश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निश्चय किया था।

(ख) यदि हां तो, उक्त समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ;

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि का आम लोगों पर प्रभाव पड़ा है और कुकिंग गैस का मूल्य भी बढ़ गया है;

(घ) क्या सरकार आम लोगों को प्रभावित करने वाले कुछ उत्पादों के मूल्य कम करने के विचार से इस प्रश्न पर फिर से विचार कर रही है?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) यह फैसला किया गया है कि अति शीघ्र पैट्रोलियम विशेषज्ञों की एक कमेटी की स्थापना की जाए जो कि भविष्य में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के तरीकों पर निर्णय लेगी।

(ख) नियमित रूप से स्थापित हो जाने के बाद, इस कमेटी से 12 से 18 माह के भीतर रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा की जा सकती है।

(ग) कच्चे तेल के मूल्यों में तीव्र एवं लगातार वृद्धि के परिणामस्वरूप, विश्व भर में तेल उत्पादों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि आवश्यक हो गई है। अब तेल को शक्ति के लिए एक सस्ता साधन नहीं समझा जा सकता क्योंकि भविष्य में विश्व भर में कच्चे तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि होने की आशा है। इस संदर्भ में तेल उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि का प्रभाव समस्त उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जहां तक ईन्धन गैस का सवाल है, इसका प्रयोग विशेषतया समाज के अच्छी आर्थिक स्थिति वाले वर्ग द्वारा किया जाता है। ईन्धन गैस प्रयोग करने वालों के लिए विकल्पी ईन्धनों के साधन भी हैं जो तुलनात्मक रूप में सस्ते तथा सामान्यत: आसानी से उपलब्ध हैं।

(घ) जी नहीं।

## "वैगन शार्टेज हिट्स कोल डिलीवरी" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

**302. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मई, 1973 को दि हिन्दुस्तान टाइम्स में "वैगन शार्टेज हिट्स कोल डिलीवरी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनके मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कोयले की ढुलाई में सहायता करने के लिए रेलवे प्रशासन का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग): देश के विभिन्न कोयला क्षेत्रों से लदान बढ़ाने के लिए, इस्पात और खान मंत्रालय के परामर्श से रेलों द्वारा उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। लदान मई, 1973 के 7649 माल डिब्बा प्रतिदिन से बढ़कर जून, 1973 में 7664 माल डिब्बा प्रतिदिन हो गया है। लदान के स्तर में और अधिक सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

## एस्सो को सरकारी नियन्त्रण में लेना

**303. श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सो को पूर्ण सरकारी नियंत्रण में लेने के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) जी अभी नहीं।

(ख) जब कभी अन्तिम निर्णय लिया जाएगा, जो इस वर्ष के अन्त तक लिया जा सकता है, विस्तृत रूप रेखा का निश्चय किया जाएगा।

## मई 1973 में लोको कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रेलवे को हानि

**304. श्री आर०वी० स्वामीनाथन**
**श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या मई 1973 में लोको कर्मचारियों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और इसके कारण रेलवे को बहुत अधिक हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या गिरफ्तार किये गए सभी रेलवे कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है और उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया है और यदि नहीं तो कितने कर्मचारी अभी गिरफ्तार हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) और (ख) आवश्यक सप्लाई साधारणत: बनाये रखी गयी है। रेलवे को करीब 75 लाख रुपए की हानि का अनुमान है।

(ग) 418 रेल कर्मचारी गिरफ्तार किये गए। उन सभी को जमानत पर छोड़ दिया गया है। उनमें से 46 मुअत्तिल हैं।

## कानून के शिक्षा सम्बन्धी समान पाठ्यक्रम और विधि के छात्रों का हिन्दी माध्यम से अध्यापन

**305. श्री एस० सी० सामन्त**
**श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1973 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि संकायाध्यक्ष कानून के शिक्षा सम्बन्धी समान पाठ्यक्रम और विधि के छात्रों का हिन्दी माध्यम से अध्यापन के बारे में किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

(ख) कानून की पाठ्य पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) कानून के ग्रंथों का अनुवाद अथवा उनको लिखने और प्रकाशन का कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा और इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी)** : (क) हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों के विधि संकायाध्यक्षों के सम्मेलन में, जो नई दिल्ली में 29 और 30 जून, 1973 को हुआ था, एल०एल० बी० पाठ्यक्रम के लिए विधि-अध्यापन में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग की और हिन्दी माध्यम से पढ़ाने के लिए अध्यापकों को और अधिक प्रवीण बनाने की दृष्टि से विचार गोष्ठियां आयोजित करने की सर्वसम्मति से सिफारिश की गई। जहां तक समान पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, यह अनुभव किया गया कि विश्वविद्यालयों को अपना अपना पाठ्यक्रम जारी रखना चाहिए, किन्तु अल्प व्यय और एकरूपता की दृष्टि से यह वांछनीय होगा कि विधि की प्रत्येक शाखा में, विनिर्दिष्ट संख्या में निदर्शन-निर्णयों का हिन्दी अनुवाद आरम्भ किया जाए, जिनसे विश्वविद्यालय एल०एल०बी०पाठ्यक्रम के लिए चयन और निर्धारण करने की स्थिति में हो।

(ख) और (ग) 25 विधि पाठ्य पुस्तकों को मूल रूप से हिन्दी में लिखवाने का कार्य प्रख्यात लेखकों को पहले ही सौंपा जा चुका है। तीन पाण्डुलिपियां अनुमोदित की जा चुकी हैं और मुद्रण के लिए उनका सम्पादन किया जा रहा है। पांच और पाण्डुलिपियां प्राप्त हुई हैं और वे मूल्यांकन समिति द्वारा दिये गए निदेशों के अनुसार लेखकों द्वारा उपांतरित की जा रही हैं। शेष पुस्तकें लेखन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

जहां तक विधिगौरव ग्रंथों का सम्बन्ध है, उसके लिए 64 पुस्तकें चुनी गई हैं और अनुवाद कार्य आरम्भ करने के लिये 36 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया गया है। अनुवाद के लिए प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की गई है।

अन्तर्विष्ट कार्य के परिमाण और जटिलता को देखते हुए, इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

## विदेशी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण

**306. श्री एस० सी० सामन्त**

**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी स्वामित्व की तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस कार्य के मार्ग में कठिनाइयां हैं; और

(ग) कब तक उद्देश्य प्राप्त हो जाने की आशा है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क)से(ग) इस समय विभिन्न विकल्प जिसमें राष्ट्रीयकरण सम्मिलित हैं सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है तथा इस वर्ष के अन्त तक निर्णय लिये जाने की आशा है।

## लीलुआ रेलवे वर्कशाप (पश्चिम बंगाल) के श्रमिकों को मजूरी की अदायगी न करना

**307. श्री सरोज मुखर्जी**: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय क निर्णय के उपरान्त भी लीलुआ रेलवे वर्कशाप (पश्चिम बंगाल) के श्रमिकों को 2 दिसम्बर, 1963 से 15 दिसम्बर, 1963 तक की अवधि की मजूरी अदा न किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अदायगी में इस असाधारण देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)**: (क) जी हां। इस में अन्तर्ग्रस्त थोड़ी रकम को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय न लीलुआ कारखाने के केवल 25 श्रमिकों को यह रियायत दी है।

(ख) और (ग) इस कारखाने के अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों को, जो इस फैसले की परिधि में नहीं आते, मजूरी का भुगतान न करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

## कच्चे तेल के आयात के लिए ईरान के साथ बातचीत

**308. श्री वी० मायावन**

**श्री एम० एस० संजीवी राव :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल कच्चे तेल के क्रय के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए जून में ईरान गया था; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) जी हां ।

(ख) बातचीत का विस्तृत ब्यौरा देना जनहित में नहीं समझा गया है ।

## Passengers Travelling on Roofs Trains

**309. Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether due to the non-availability of sufficient accommodation in the trains, people sit on the roofs of Railway bogies and the Railway officials do not ask them to come down prior to the departure of the trains;

(b) whether many passengers travelling on the roofs of Railway bogies were killed in the recent past; and

(c) if so, the steps being taken by Government to improve the situation?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) Passengers often try to travel on the roofs instead of inside train compartments even when accommodation is available. Whenever persons are noticed travelling on roofs of trains they are made to get down before departure of the train by the railway staff.

(b) During the last three years from 1970-71 to 1972-73, 8 (eight) persons were killed while travelling on roofs of the trains.

(c) During the rush period including Melas and festivals additional coaches are attached and special trains are run to clear extra rush.

Publicity campaigns are conducted regularly to bring to the notice of the travelling public through Public Address System the hazards of such travelling. Frequent checks are conducted by the station staff and ticket checking staff against such irregular travel in co-ordination with the Government Railway Police and Railway Protection Force and the offenders are dealt with under Section 118(II) of the Indian Railways Act, 1890.

## Seeking help of Foreign experts to Locate New Oil Reserves

**310. Shri Chandulal Chandrakar**

**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether some new oil reserves have been found recently;

(b) whether Government have sought the services of some foriegn experts for locating more such oil reserves; and

(c) if so, the facts of the matter?

**The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Dalbir Singh):** (a) to (c) Oil/gas was discovered in the recent past in the following new areas:—

| Name of Area | Date of discovery |
|---|---|
| (1) **Gujarat** | |
| (*i*) Indrora (oil) | December, 1971 |
| (*ii*) North Balol (gas) | February, 1972 |
| (*iii*) Linch (oil) | July, 1972. |
| (2) **Assam** | |
| (*iv*) Charali (oil) | July, 1973 |

The exploration work in these areas is still under progress and additional wells have to be drilled to determine whether the new finds are commercial.

These discoveries have been made through the operations conducted by the Indian Personnel. However, ONGC has been utilising, from time to time, the services of a few foreign advisers, mainly from the U.S.S.R., to attend to some highly-specialised jobs connected with oil exploration and development. Assistance of certain foreign firms has also been taken on a contract basis to carry out certain special operations like off-shore seismic surveys, for which the ONGC does not have the requisite equipment.

To expedite the exploration for oil in the continental shelf of the country, the Government has taken into account the possibility of collaboration of foreign companies on a 'general contractor' basis. Certain offers from foreign companies have already been received in this regard.

## Requests for Funds by Power Minister of Bihar to meet Power Shortage

**311. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state:

(a) whether in view of the anticipated shortage of power in Bihar, the Power Minister of Bihar Government has submitted any memorandum to him and has requested for funds;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma):** (a) and (b): In May, 1973, the Chief Minister of Bihar wrote to the Union Minister of Irrigation and Power urging for the sanction of Muzaffarpur Thermal Power Station and financial assistance therefor. Also a request was made for the expansion of Barauni Thermal Power Station.

(c) The scheme relating to the Muzaffarpur Thermal Power Station has been cleared by the Technical Advisory Committee and sanction of the Planning Commission is awaited. The finances for the project all to be found from within the State's Five Year Plan.

## रेलवे सुरक्षा बल की शिकायतों की जांच के लिए समिति

**312. श्री एम० एम० जोज़फ:** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल की शिकायतों की जांच करने के लिए समिति का गठन करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निदेश पद क्या हैं और इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) और (ख) सरकार द्वारा गठित समिति रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन तथा दल के प्रशासन सम्बन्धी अन्य मामलों के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा किये गए विभिन्न विनिश्चयों का मूल्यांकन करेगी। और उन्हें कार्यान्वित करेगी समिति की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन की योजना को लागू करने से रोक दिया है।

## पोंग बांध के विस्थापितों का पुनर्वास

**313. श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध की विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य सरकार द्वारा तैयार की गई समय सूची के अनुसार संतोषजनक हो रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में अब तक कितने विस्थापितों को बसाया गया है। और अभी कितने विस्थापितों को बसाना बाकी रह गया है; और

(ग) क्या मार्च, 1970 में लोक सभा को उनके द्वारा दिये गए इस आश्वासन का कि विस्थापितों को बसाने के उपरान्त ही सुरंगें बन्द की जायेंगी, पालन किया जायेगा ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा):** (क) से (ग) पोंग बांध के विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य अनुसूची के अनुसार हो रहा है। दो टिकाओं के विस्थापितों के अतिरिक्त जिनकी संख्या लगभग 150 है, सभी विस्थापितों को जिनकी भूमि ई० सन० 1325 के उस स्तर के नीचे पड़ती है जिस तक इस मानसून के दौरान पानी के चढ़ने की संभावना है, राजस्थान में भूमि के आबंटन हेतु अधिसूचित कर दिया गया है। लगभग 11,100 अधिसूचित विस्थापितों में से अब तक लगभग 5,600 ने प्रार्थना पत्र दिये हैं और भूमि भी ले ली है और इनमें से 3,300 ने भूमि का कब्जा ले लिया है। विस्थापितों का जाना जारी है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जल के अन्तिम रूप से संचय के आरम्भ होने से पहले सभी आवश्यक कदम उठाए जावेंगे।

## भाखड़ा बांध में गाद जम जाना

**314. श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भाखड़ा बांध में गाद जम जाने की समस्या का पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना अधिकारियों ने जल ग्रहण क्षेत्र में भू-कटाव को रोकने और इस क्षेत्र में भू-संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की है जिससे कि गाद जमने को रोका जा सके; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## मीटर गेज रेलवे लाईनों को ब्राड गेज लाइनों में बदलना

**315. श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में इस समय कितने रेलवे मार्गों को मीटर गैज से ब्राड गज में बदला जा रहा है;

(ख) उक्त प्रत्येक रेल मार्ग की किलोमीटरों में लम्बाई क्या है और प्रत्येक मामले में बदलने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितने व्यय का अनुमान है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) से (ग): एक विवरण संलग्न है।

24-7-1973 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 315 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का काम आरम्भ किया गया है जो अभी चल रहा हैं। प्रत्येक लाइन के सम्बन्ध में लम्बाई, लागत और काम पूरा होने की नियत तारीख उसके सामने दी गई है :

| क्रम सं० | रेलवे | परियोजना का नाम | लम्बाई, (किलोमीटर में) | लागत (करोड़ रु० में) | काम पूरा होने की नियत तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पूर्वोत्तर | बाराबंकी --समस्तीपुर | 603.89 | 46.80 | 31-3-1977 |
| 2. | दक्षिण | गुन्तकल्ल से धर्मावरम तक समानान्तर बड़ी लाइन और धर्मावरम बैंगलूर सिटी खंड का आमान परिवर्तन | 280.29 | 17.59 | 1975 के अन्त तक |
| 3. | दक्षिण | तिरुवनन्तपुरम-कौल्लम-एरणाकुलम | 221.00 | 13.60 | 1975 के आरम्भ में |
| 4. | पश्चिम | वीरमगाम-ओखा और कानालुस-पोरबन्दर (जामनगर बैंडी और कानालुस सिक्का सहित) | 556-97 | 42.93 | 31-12-1977 |

## भाखड़ा बांध परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा गोबिन्द सागर झील के किनारों को सुन्दर बनाना

**316. श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाखड़ा बांध परियोजना प्राधिकारियों द्वारा गोविन्द सागर झील के किनारों को सुन्दर बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाह क्षेत्र में गाद को कम करने के लिए भू-संरक्षण उपाय प्रगति पर हैं। इस समय जलाशय में गाद जमा होने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है।

## आयल इंडिया लि० के पुनर्गठन के बारे में बर्मा आयल कंपनी के साथ समझौता

**317. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लि० के पुनर्गठन के बारे में बर्मा आयल कम्पनी के साथ ही में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बात क्या है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## भाखड़ा बिजलीघर में लगे टर्बाईन यूनिटों के ब्लेडों में आई दरारों के कारणों की जांच

**318. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बिजली घर में लगे टर्बाइन यूनिटों के ब्लेडों में बहुत अधिक दरारें पड़ गई हैं ;

(ख) क्या इसके कारणों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा)**: (क) भाखड़ा दक्षिण तट विद्युत केन्द्र में 120 मेगावाट टर्बाइनों के ब्लेडों में छोटी-छोटी दरारों की प्रवृत्ति दिखाई दी है, जिनकी अनुरक्षण करते समय, मरम्मत कर दी जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्वेषणों से पता चला है कि ये दरारें ब्लेडों में कम्पनी के कारण हैं। ये वर्टिसिस की उपस्थिति के कारण घावक पंखों के ट्रेलिंग किनारों पर शौक प्रकार का दबाव परिवर्तनों के सम्बन्धित प्रतीत होती हैं। कम्पनी को न्यूनतम करने के लिए ट्रेलिंग किनारों को गोल करने की सिफारिश की गई है। इसको क्रियांन्वित किया जा रहा है।

## इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० का विस्तार करने हेतु भारत और रूस के बीच समझौता

**319. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**

**श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० का और आगे विस्तार करने के लिए भारत और रूस के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## 1972-73 तथा 1973-74 में बिहार में नई रेलवे लाइनें

**320. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान बिहार राज्य में कितनी नई रेलवे लाइनें बनाई गई और उनकी लम्बाई क्या है; और

(ख) वर्ष 1973-74 में बिहार राज्य में कितनी नई रेलवे लाइनें बनाई जानी हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) बिहार में कोई नयी लाइन का निर्माण 1972-73 में पूरा नहीं किया गया।

(ख) अत्यावश्यकता प्रमाण-पत्र के आधार पर बिहार में सरायगढ़-प्रतापगंज मीटर लाइन (23 किलोमीटर) के निर्माण की स्वीकृति, जोकि अंशत: नयी लाइन होगी और अंशत: फिर से बिछायी जायेगी, अभी हाल में दी गई है और इस परियोजना का काम जारी है। इस लाइन का निर्माण-कार्य पूरा करने के लिए अभी तक कोई अन्तिम तारीख निश्चित नहीं की गई है।

## कूचगांव में स्थापित की जाने वाली वारना सिंचाई परियोजना के स्थापना स्थल में परिवर्तन

**321. श्री निम्बालकर**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वारना सिंचाई परियोजना की स्थापना कूचगांव की बजाय किसी अन्य स्थान पर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तकनीकी दृष्टि से यह किस प्रकार उचित है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)** : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वारना बांध के मूल स्थल कूचगांव में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। उन्होंने सूचना दी है कि एक स्थल के प्रारंम्भिक अन्वेषण पूर्ण हो गए हैं और एक अन्य वैकल्पिक स्थल के इसी प्रकार के अन्वेषण दो और महीनों में पूर्ण हो जाने की आशा है।

## जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कयामवाड़ी परियोजना के स्थापना स्थल में परिवर्तन

322. **श्री निम्बालकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर में कयामबाड़ी बांध परियोजना के स्थापना स्थल के सम्बन्ध में अथवा कोई अन्य परिवर्तन किये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन तकनीकी दृष्टि से कहां तक न्यायोचित है; और

(ग) क्या इस बांध के निर्माण से प्रभावित होने वाले महाराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य राज्य इन परिवर्तनों से सहमत हो गए हैं।

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि कालमबाड़ी बांध परियोजना के स्थल में परिवर्तन नहीं किया गया है परन्तु नहर के संरेखण में परिवर्तन करना होगा। उन्होंने सूचित किया है कि इस मामले पर शीघ्र ही मैसूर और महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्रियों के बीच विचार-विमर्श किये जाने का प्रस्ताव है।

## ईराक में हाल ही में प्राप्त तेल रियायत के कार्य के लिए संगठन की व्यवस्था

323. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक में हाल ही में प्राप्त तेल रियायत के कार्य के लिए समुचित संगठन की कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो व्यवस्था का स्वरूप क्या है; और

(ग) इन रियायतों से कच्चे तेल का कितना वार्षिक उत्पादन होने की संभावना है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) इकरारनामों की शर्तें सुनिश्चित की गई हैं और इकरारनामे के मसौदे पर हस्ताक्षर किये गए हैं परन्तु औपचारिक इकरारनामा सम्पन्न करने के लिए ईराक नेशनल आयल कम्पनी से अरबी मूल की प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि ओ० एन० जी० सी० द्वारा प्रारम्भिक कार्रवाई की गई है और एक प्रायोजना प्रबंधक की नियुक्ति की गई है वह इस समय ईराक में कार्य के लिए व्यक्तियों तथा माल की आवश्यकताओं की योजना बना रहा है ।

(ग) इसका निश्चित अनुमान केवल इस क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण तथा अन्वेषणात्मक ब्यान के सम्पन्न होने पर ही लगाया जा सकता है। इस उद्यम का आर्थिक मूल्यांकन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की तेल उत्पादन दर पर ओ० एन० जी० सी० द्वारा किया गया है।

## मीठापुर उर्वरक परियोजना के लिए टाटा बन्धुओं द्वारा वित्तीय छूट का अनुरोध

324. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धुओं ने अपनी मीठापुर उर्वरक परियोजना के लिए मूल्य तथा वित्तीय छूट मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई छूटों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क), (ख) और (ग) यद्यपि मैसर्स टाटा केमिकल्स ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष सुझाव नहीं दिया है, फिर भी उन्होंने ऐसी प्रधान गहन परियोजनाओं को आर्थिक रूप में आकर्षक बनाने के लिए पर्याप्त उपाय अपनाने हेतु ध्यान दिलाया है। इसने अनेक प्रश्न उपस्थित कर दिये हैं। जिनकी समेकित आधार पर सरकार द्वारा ध्यान पूर्वक जांच की जा रही है।

## पूर्वी कोसी नहर के तल में गाद का जमा हो जाना

325. **श्री यमुना प्रसाद मंडल**

**श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोसी नहर के तल में भारी गाद जमा हो जाने के कारण उसके बहाव के अवरूद्ध हो जाने के खतरे की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा)** : (क) और (ख) कोसी जल में भारी गाद होने के कारण पूर्वी कोसी नहर में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है, परन्तु इससे, सिंचाई उद्देश्यों के लिए नहर प्रभाव शून्य नहीं हुई है।

नहर बन्दी के समय राज्य सरकार द्वारा नहर से गाद निकाल दिया जाता है। गाद निकालने के कार्य के सतत रूप से करने के लिए चार सेक्शन ड्रेजरों को प्राप्त कर लिया है।

राज्य अभियंताओं द्वारा नहर का सतर्कता-पूर्वक ध्यान रखा जाता है। जब आवश्यक होता है, केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक तकनीकी सहायता दी जाती है। प्रचालन अनुसूची में सुधार कर दिये हैं। एक गाद-रोधक का निर्माण कर दिया है जो कि प्रचालन में है। प्रति प्रवाह नियंत्रण-बांध का विस्तार कर दिया गया है। दूसरे गाद-रोधक तथा गाद बेसिन के प्रस्तावों का माडलों पर परीक्षण किया जा रहा है।

हाल ही में, मुख्य नहर की शीर्ष पहुंच में हुए कुछ कटावों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया तथा विभाजक दीवार के विस्तार, आवश्यकता की जांच करने; गाद-निष्कासकों को क्रियाशील करने; पार्श्व गड्ढों को भरने तथा झाड़-झंखाड़ के गट्ठों द्वारा उनकी सुरक्षा करने; बाह्य चैनलों के प्रवेश तथा निकास की स्थितियों में सुधार करना; अस्त-व्यस्त हुए तथा कटे हुए तल सुरक्षा कार्यों को पुनः चालू करना; बिजली घर में सिंचाई निर्गमों और क्रास निर्यातकों और अतिवाही चैनलों के प्रचालन पर राज्य सरकार को सुझाव दिये गए।

## वैचल्स कारपोरेशन आफ यू०एस०ए० के सब एजेन्टों को मथुरा शोधनशाला का पाइप लाइन कार्य सौंपना

326. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा शोधनशाला का पाईप लाइन का कार्य इंजीनियर्स (इंडिया) लि० को सौंपने का है जो कि वैचल्स कारपोरेशन आफ अमेरिका के सब एजेंट के रूप में कार्य करेगी; और

(ख) यदि हां, तो यह पाइप लाइन कार्य भारतीय तेल निगम के पाईप लाइन प्रभाग को न सौंपने के क्या कारण हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह )** : (क) जी नहीं। सलया से मथुरा तक पाईप लाइन लगाने का मौलिक उत्तरदायित्व भारतीय तेल निगम (शोधनशाला एवं पाइप लाईन प्रभाग) की है। इस कार्य में इंजीनियर्स इंडिया लि० तथा आयल इंडिया लि० उनकी सहायता करेगा। इस प्रायोजना में वेचल्स कारपोरेशन को किसी भी रूप में सम्बद्ध करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## उत्तर प्रदेश के उद्योगों को वैगनों की कमी का संकट

327. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-वैगन न मिलने के कारण उत्तर प्रदेश के अनेक उद्योगों को कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य को वैगनों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) और (ख) जी नहीं। आन्दोलनों, हड़तालों आदि बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप सामान्य रेल संचालन में पड़ने वाले व्याघात के कारण हो सकता है कि कभी-कभी उत्तर प्रदेश के उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। इस तरह के व्याघातों से पड़ने वाले दबाव के भीतर, उद्योगों की आवश्यकताओं को पूर्णतया और शीघ्र पूरा करने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाता है।

## Looting of the Sisouna Railway Station in Moradabad Division

**328. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether armed dacoits looted Sisouna Railway Station in Moradabad Division in June, 1973;

(b) the loss suffered by Government as a result thereof; and

(c) the action being taken by Government to prevent such incidents?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) to (c) No armed dacoity occurred at Sisouna Railway Station in June, 1973.

However, on 22-6-73 a case of robbery involving railway cash Rs. 107.20 was reported by Station Master Sisouna Railway Station to Civil Police Haldaur (District Bijnore). The Police registered a case under Section 392 IPC and submitted final report as the complaint lodged by the Station Master was found to be an outcome of enemity with the alleged accused.

As a preventive measure, RPF armed guard has been posted at this station. Civil Police has also been requested to arrange regular armed patrolling at such wayside stations.

## Death of 15 passengers of 28 Up Varanasi Express

**329. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether 15 passengers of 28 Up Varanasi Express bound for Bombay died in June, 1973; and

(b) whether Government have conducted an enquiry to ascertain the cause of the death of the said passengers?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):** (a) No. However, two dead bodies were found hanging on the coupling and buffer of two third class bogies marshalled 4th and 5th from the train engine of 28 Up Varanasi-Dadar Express at Maihar station on 26-6-1973.

(b) The Police is investigating into the matter.

## गुजरात में और अधिक बिजली संयंत्र की स्थापना

**330. श्री वेकारिया**

**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य की आवश्यकता-पूर्ति के लिए और अधिक बिजली संयंत्र लगाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा)** : (क) और (ख) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न विद्युत-जनन स्कीमों के नामों का विवरण संलग्न है। उसमें इन स्कीमों की वर्तमान स्थिति भी दी गई

है। गुजरात में एक परमाणु विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुआ है। यह परमाणु शक्ति विभाग के विचाराधीन है।

## विवरण

**पांचवी योजना में कार्यान्वयनार्थ गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई विभिन्न विद्युत उत्पादन स्कीमों की तकनीकी जांच की प्रगति।**

| क्रम सं० | स्कीम का नाम | प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट) | अनुमानित लागत (करोड़ रु०) | स्कीम रिपोर्ट की प्राप्ति तिथि | स्कीम की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कदाना पम्प संचय स्कीम | 4×60 | 24.58 | अप्रैल, 70 | जून, 1972 में स्वीकृत |
| 2. | उत्तरी गुजरात ताप विद्युत केन्द्र | 2×120 | 45.62 | जून, 70 | अक्तूबर, 1972 में स्वीकृत |
| 3. | उकई तापविद्युत केन्द्र विस्तार | 2×200 | 68.32 | अप्रैल, 73 | केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के सुझावों पर आधारित स्कीम पर संशोधित प्राक्कलन अप्रैल, 1973 में प्राप्त हुए थे। इस स्कीम पर टिप्पणी को तकनीकी सलाहकार समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ अंतिम रूप दिया जा रहा है। |
| 4. | बनकबोरी तापविद्युत केन्द्र | 3×200 | 115.50 | 22-11-72 | विद्युत केन्द्र के लिए कोयले की उपलब्धता और संचलन के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में स्कीम की जांच की जा रही है |
| 5. | उकई बांध तट नहर बिजली घर | 2×3 | 2.04 | 4-5-73 | जांच की जा रही है। |

## उर्वरकों की आवश्यकता

**331. श्री वेकरिया :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान देश में उर्वरकों की कुल कितनी आवश्यकता है ;

(ख) वर्ष के दौरान भारत में उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा तैयार की जायेगी ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) 25.88 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन (एन)
8.02 लाख मीटरी टन फास्फेटस ($पी_2 ओ_5$)
4.33 लाख मीटरी टन पोटाश ($के_2 ओ$)

जैसा कि मार्च, 1973 में कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमान लगाया गया था।

(ख) 11.2 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन
3.3 लाख मीटरी टन फास्केट्स
देश में पोटाश के कई स्त्रोत ज्ञात नहीं हैं।

## दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के समक्ष कोयले की कमी का संकट

**332. श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के समक्ष कोयले की कमी का गम्भीर सकट है जिसके परिणामस्वरूप इसकी जैनेरेटिंग यूनिटों के बंद हो जाने की आंशका है।

(ख) क्या बिजली घरों को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाही करने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री श्री (बालगोबिन्द वर्मा):** (क) जी, नहीं।

(ख) साधारणत: कोयले की सप्लाई विशिष्ठयों के अनुसार ही होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

**333. श्री श्रीकिशन मोदी:**

**श्री एम० एस० शिवस्वामी:**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल तथा प्राकृतिक गैस अयोग को पुनर्गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ढ़ांचे संबंधी विचाराधीन परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख) यह मामला सरकार के उच्च-स्तरीय अधिकारियों के विचाराधीन है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

## पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारशें

**334. श्री श्रीकिशन मोदी**

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निश्चित करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) भविष्य में देश में पैट्रोलियम उत्पादो के मूल्य निर्धारण करने के तरीके के बारे में शीघ्र ही एक कमेटी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

## उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत

**335. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत की नवीनतम स्थिति क्या है और शेष बिहार की तुलना में तथा शेष देश की तुलना में उत्तर बिहार की स्थिति क्या है ; और

(ख) सम्पूर्ण उत्तर बिहार और विशेषकर बघुवनी, सीतामढ़ी, सहरसा, परमा और दरभंगा जिलों को शेष बिहार और शेष देश के स्तर पर लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री : (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)** : (क) : 1971-72 के दौरान उत्तरी बिहार में जिलावार प्रति व्यक्ति खपत निम्न प्रकार से है :–

| | |
|---|---|
| मुजफ्फरपुर | 6.80 |
| चंपारण | 8.17 |
| सारन | 5.64 |
| दरभंगा | 6.59 |
| सहरसा | 3.70 |
| पूर्णिया | 3.70 |

चूंकि सभी जिले एक ग्रिड से जुड़े हुए हैं, सारे बिहार में बिजली एक समान रूप में उपलब्ध हो सकती है । 1971-72 के लिए संपूर्ण उत्तर बिहार, शेष बिहार और अखिल भारत के बारे में सूचना नीचे दी जाती है :–

| | प्रति व्यक्ति उपलब्धता | प्रतिव्यक्ति खपत |
|---|---|---|
| उत्तर बिहार | 17.6 | 10.01 |
| छोटा नागपुर समेत दक्षिण बिहार | 94.6 | दक्षिणी बिहार 42<br>छोटा नागपुर 202 |
| अखिल भारत | 104.5 | 94.00 |

(ख) संपूर्ण उत्तर बिहार और खासकर मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी और पूर्णिया जिलों को शेष बिहार और अखिल भारत स्तर पर लाने के लिए चालू वर्ष के दौरान उत्तर बिहार 995.04 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 1690 ग्रामों का विद्युतीकरण स्वीकृत किया जा चुका है । बरौनी विद्युत केन्द्र और मुजफ्फरपुर में एक नए विद्युत केन्द्र और डल खोला में एक केन्द्रीय विद्युत केन्द्र के विस्तार से भी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन सुविधाएं प्रस्तावित हैं ।

## कमला नदी पर बांध का निर्माण और प्रस्तावित पश्चिमी कोसी नहर को कमला नदी के साथ मिलाना

**336. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी कोसी नहर की भांति पश्चिमी कोसी नहर में भी बड़े पैमाने पर गाद जमने का खतरा है ;

(ख) क्या जयनगर के बराज के ऊपर कमला नदी पर बांध बनाने का और प्रस्तावित पश्चिमी कोसी नहर को कमला नदी के साथ बराज के उत्तर में मिलाने का कोई प्रस्ताव है कि कोसी नदी के पानी की आवश्यकता केवल शुष्क मौसम में पड़े और कमला नदी की बाढ़ों को पूर्णतया नियंत्रण में लाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा):** (क) पश्चिमी कोसी नहर में कुछ गाद हो सकती है । यह नहर निर्माणाधीन है और उसमें संभावित गाद को कम करने के लिए एक उपयुक्त स्थल पर एक गाद रोधक की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) बिहार सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचारधीन नहीं है । भारतीय क्षेत्र में किसी भी उपयुक्त बांध-स्थल का पता नहीं लगाया गया है ।

## कोसी नदी के ऊपरी क्षेत्र में पन बिजली परियोजना का निर्माण

**337. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रचुर मात्रा में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने लिए कोसी नदी के ऊपरी क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र के निकट पन-बिजली परियोजना का निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा):** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## आसाम के बोगाईगांव में पैट्रोकेमिकल समूह के लिए पृथक कम्पनी की स्थापना

**338. श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में बोंगाईगांव सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे दूसरे पैट्रोकेमिकल समूह के लिए पृथक कम्पनी की स्थापना करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) जी हां ।

(ख) विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

## समुद्र तट से दूर तेल की खोज के लिए विदेशी फर्मों द्वारा सहयोग देने की पेशकश

**339. श्री भोगेन्द्र झा**

**श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विदेशी फर्मों ने समुद्र तट से दूर तेल की खोज के लिए भारत के साथ सहयोग करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो पेशकश करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय किया गया है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) जी हां ।

(ख) इस स्थिति में इन ब्यौरों को बताना जन हित में उचित नहीं है।

(ग) अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है ।

## सऊदी अरब के सहयोग से तेल शोधनशाला की स्थापना

**340. श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सऊदी अरब अथवा इस देश में दोनों देशों के संयुक्त प्रयत्न से तेल शोधनशाला स्थापित करने का सुझाव सऊदी अरब द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) किस देश में तेल शोधनशाला स्थापति की जानी है ; और

(घ) यदि स्थापना भारत में की जानी है, तो देश के कौन से भाग में ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) से (घ) शोधनशालाओं की स्थापना में सहयोग के बारे में पैट्रोमिन, साऊद अरेबिया की नेशनल आयल कम्पनी के प्रतिनिधि के साथ अन्वेषण सम्बन्धी बातचीत हुई है । इस संबन्ध में और ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं किन्तु इस स्थिति में इन ब्यौरों को बताना जन-हित में नहीं है ।

## गंगा और कावेरी को मिलाने वाले जल-ग्रिड के बारे में राज्य सरकारों के विचार

**341. श्री सरजू पाण्डे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र को गंगा और कावेरी को मिलाने वाले प्रस्तावित जलग्रिड के बारे में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)**: (क) और (ख) राष्ट्रीय जल ग्रिड के लिए अभी केवल कार्यालय अध्ययन किए गए हैं, जिसके संघटकों में से एक होगा दक्षिणी सम्पर्क, जो विभिन्न नदियों जैस गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, पैनाट और कावेरी को जोड़ेगा। क्षेत्रीय अनुसंधानों के करने के पश्चात् ही जिन पर 5 से 10 वर्ष तक लगेंगे, विस्तृत विशेषताओं का पता लगेगा।

जब तक राष्ट्रीय जल ग्रिड की विचारधारा को एक साकार रूप नहीं दे दिया जाता, सर्वेक्षण कार्यक्रम तथा अनुसंधान के विभिन्न चरणों दोनों के आयोजन के सम्बन्ध में राज्यों के साथ सलाह करके अनुसंधानों के प्रस्ताव किए गए हैं।

## बिजली संयंत्रों के लिए उपकरणों का आयात

**342. श्री एम० एस० संजीवी राव**

**श्री वीरभद्र सिंह :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत संयंत्रों के लिए तापीय तथा पन-बिजली उत्पादन उपकरणों का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य के उपकरणों का आयात किया जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा)**: (क) से (ग) स्वदेश में उपलब्धता को दृष्टि में रखकर, ताप तथा जल विद्युत केन्द्रों के लिए जनन संयंत्र और उपस्कर के आयात के लिए कबिनट द्वारा प्रतिबन्ध है। बहरहाल, संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई जो कि स्वदेशी स्रोत अनुसूची में उपलब्ध नहीं है आयात करन की अनुमति दे दी जाती है। इस आयात की धनराशि पांचवीं योजना के आकार पर निर्भर करेगी।

## उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि की सिंचाई

**343. श्री चन्द्र भाल मनी तिवारी**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इस समय खेती योग्य सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिलद वर्मा)**: (क) इस समय उत्तर प्रदेश में कुल फसली क्षेत्र के 34 प्रतिशत की सिंचाई की जाती है। परन्तु इसमें व्यापक क्षेत्र, जहां सिंचाई बचाव के लिए होती है और जलमात्रा बहुत अपर्याप्त होती हैं। और भी, सूचित किए गए सिंचाई आंकड़ों में छोटे-छोटे बांधों के अन्तर्गत वृहद् क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

महाराष्ट्र में कुल फसली क्षेत्र का 10 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित होता है जो कि इस समय निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर बढ़ कर लगभग 16 प्रतिशत हो जाएगा।

(ख) रामगंगा, गण्डक और शारदा सहायक जैसी अनेक बृहद सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा उनके पूरा होने पर वर्तमान क्षेत्रों में सिंचाई के स्थायी होने तथा उसमें सुधार होने के अतिरिक्त लगभग 2.7 मिलियन हैक्टेयर का अतिरिक्त बृहद क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत आ जाएगा। अनेक नई वृहद परियोजनाओं को भी आरम्भ करना प्रस्तावित है तथा राज्य के पांचवीं योजना कार्य-क्रमों में सिंचाई को उच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।

## हड़तालों आदि के कारण 1 जनवरी, 1973 से 30 जून 1973 तक रेलवे को श्रम-घंटों तथा धन की हुई हानि

**344. श्री चन्द्र भाल मनी तिवारी:** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1973 से 30 जून, 1973 तक ताला-बंदियों, हड़तालों और नियमानुसार कार्य करने के परिणाम-स्वरूप प्रत्येक जोनल रेलवे को श्रम घंटों तथा धन की कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए आमूल सुधार करने का है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सभी कोटि के कर्मचारियों की तर्कसंगत मांगें सामूहिक समझौता तंत्र स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श-तन्त्र—जो बहुत लम्बे समय से संवैधानिक रूप से एवं सोद्देश्य काम कर रहे हैं, के विभिन्न स्तरों के माध्यम से निरन्तर उठायी जाती हैं, उन पर विचार किया जाता है और अधिकांशत: हल कर ली जाती हैं । जो व्यक्तिगत, अभ्यावेदन मिलते हैं उन पर भी प्रशासन द्वारा विचार किया जाता है और उनका निपटारा किया जाता है ।

शिकायतों के निराकरण तथा विवादों को सुलझाने के लिए उपलब्ध साधन एवं माध्यम अन्तिम विश्लेषण के अनुसार रेलों पर औद्योगिक शान्ति को बनाए रखने में समुचित रूप से सफल रहे हैं ।

## रेल कर्मचारियों में हड़ताल करने की बढ़ती हुई प्रवृति को देखते हुए टी०ए० यूनिटों को दक्ष बनाना

**345. श्री चन्द्रभाल मनी तिवारी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे कर्मचारियों में अवैध रूप से हड़ताल कर देने की बढ़ती हुई प्रवृति को देखते हुए टी०ए० यूनिटों का विस्तार करने और उन्हें दक्ष बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) रेलवे प्रादेशिक सेना की यूनिटों का विस्तार करने या उनको अधिक कारगर बनाने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन भविष्य में विचार करने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव को बिल्कुल वर्जित नहीं कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## बाराबंकी मुजफ्फरपुर मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलना

**346. श्री चन्द्रभाल मनी तिवारी:** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाराबंकी से मुजफ्फरपुर के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य समायानुसार नहीं चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इस में तेजी लाने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठना ।

## रेल कर्मचारियों के कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत

**347. श्री राबिन सेन:** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे श्रमिकों और स्टाफ के कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिए रेलवे बोर्ड क्या-क्या सिद्धान्त अपनाता है; और

(ख) क्या रेलवे बोर्ड आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन अथवा नेशनल फेडरेशन आफ रेलवेमेन से सम्बद्ध संघों के अतिरिक्त अन्य संघों से बातचीत आदि करने से इन्कार करता रहा है ?

**रेलमन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)**: (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें वे दिशा निदेश बताये गए हैं जिनके अन्तर्गत रेलों के महाप्रबन्धक यूनियनों को मान्यता प्रदान कर सकते हैं जो इस बात पर निर्भर है कि वह मान्यता प्राप्त यूनियन जरूरी हो।

(ख) अखिल भारतीय स्तर पर आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन/नशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवमेन के साथ और रेलवे स्तर पर उनसे सम्बद्ध मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ बातचीत और बठकें होती रहती हैं। किसी भी स्रोत से, जिनमें गैर मान्यता प्राप्त यूनियनें भी शामिल हैं, अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विधिवत् विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में, जैसा उचित होता है, कार्रवाई की जाती है।

## विवरण

मोटे तौर पर कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित हैं, जिनके अन्तर्गत क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धक, मान्यता प्राप्त यूनियन जरूरी होने पर किसी यूनियन को मान्यता प्रदान कर सकते हैं :–

(i) वह रेलवे कर्मचारियों के एक निश्चित वर्ग (अर्थात् अराजपत्रित) की बनी होनी चाहिए और किसी जाति, जनजाति या धार्मिक संप्रदाय या इस प्रकार की जाति, जनजाति या धार्मिक संप्रदाय के किसी समूह या प्रवर्ग के आधार पर बनी नहीं होनी चाहिए।

(ii) उस वर्ग के सभी रेल कर्मचारी सदस्यता के पात्र होने चाहिएं।

(iii) भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत वह पंजीकृत होनी चाहिए।

(iv) उसकी सदस्यता सम्बद्ध रेलवे पर नियुक्त अराजपत्रित कर्मचारियों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

(v) वह खण्डीय नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों की किसी एक कोटि या सीमित कोटि की बनी यूनियनों को मान्यता प्रदान न की जाए; और

(vi) रेल प्रशासन की राय में, उसके तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों में संलग्न होने की सम्भावना नहीं होनी चाहिए।

## पांचवी योजना में सिंचाई के लिए व्यवस्था

**348. श्री अर्जुन सेठी**: क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना में सिंचाई के लिए कितनी राशि रखी गई है और कुल कितनी भूमि की सिंचाई का अनुमान है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)** : पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

## रेंगाली परियोजना के केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदन

**349. श्री अर्जुन सेठी**: क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रेंगाली परियोजना चरण—1 का केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा और योजना आयोग ने अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)**: (क) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा जांच किये जाने तथा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किये जाने के पश्चात् रेंगाली बहुद्देश्यीय परियोजना चरण-एक का योजना आयोग ने 4 जून, 1973 को अनुमोदन कर दिया है।

(ख) इस परियोजना में, बाढ़ों के निराकरण तथा विद्युत उत्पादन के लिए संचय करने की व्यवस्था के लिए एक 625 मीटर लम्बे तथा 60 मीटर ऊंचे मेसनरी बांध का निर्माण तथा 50–50 मैगावाट की दो यूनिटों को प्रारम्भिक प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ वाम तट पर एक विद्युत केन्द्र का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है। बाढ़ निराकरण से 1.4 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ होना प्रत्याशित है। परियोजना की कुल लागत 5.93 करोड़ रुपए है जिसमें से बाढ़ नियंत्रण को 22.6 करोड़ रुपए तथा विद्युत को 35.33 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने हैं।

## उड़ीसा में भीमकुण्ड बांध के लिए स्थानों का केन्द्रीय दल द्वारा दौरा

**350. श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एक केन्द्रीय दल ने क्यों झार जिले (उड़ीसा) में प्रस्तावित भीम कुंड बांध के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा किया है;

(ख) क्या सरकार को प्रस्तावित परियोजना सम्बन्धी सभी आवश्यक दस्तावेज राज्य सरकार से प्राप्त हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना की स्वीकृति देने में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)**: (क) से (ग) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग से अधिकारियों के एक दल ने 6 से 8 जून, 1973 तक वैतर्णी नदी पर वलिजोरी और नावपारा बांध स्थलों का दौरा किया और राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से विचार विमर्श किये। बांध के लिए स्थल के बारे में एक निर्णय पर पहुंचने के लिए इस दल ने कुछ सूचना राज्य सरकार से मांगी है, जो अभी तक प्राप्त होनी है।

## कटक--पारादीप रेलवे पर माल यातायात

**351. श्री अर्जुन सेठी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक-पारादीप रेलवे लाइन माल यातायात के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तैयार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) और (ख) 9–7–1973 से अयस्क यातायात के लिये लाइन खुल गयी है।

## पांचवीं योजना के दौरान नई रेलवे लाइनें बिछाने सम्बन्धी प्रस्ताव

**352. श्री झारखण्डे राय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नई रेलवे लाइनें बिछाने संबंधी पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना में कौन-कौन सी नई लाइनें बिछाई जायेंगी; और

(ग) उनकी अनुमानित लागत कितनी है?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री (मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को बिजली की सप्लाई

**353. श्री झारखण्डे राय:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने यह आरोप लगाया था कि दामोदर घाटी निगम ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को डी०पी०एल० द्वारा उत्पादित बिजली तब तक देने से मना कर दिया है जब तक दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड दामोदर घाटी निगम को कीमत पर बिजली देने के लिये राजी नहीं हो जाता;

(ख) क्या दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने यह भी आरोप लगाया है कि दामोदर घाटी निगम, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को डी०पी०एल० द्वारा उत्पादित बिजली से लाभ कमाना चाहता है;

(ग) क्या इन आरोपों की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)** : (क) से (घ) ऐसे किसी आरोप की सूचना नहीं मिली है। डी०वी०सी० प्रणाली पर डी०पी०एल० विद्युत सम्प्रेषण के मामले का हल निकाल लिया गया है। डी०वी०सी० दुर्गापुर परियोजना लि० को डी०वी०सी० प्रणाली के जरिये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये विद्युत आपूर्ति की अदायगी उसी दर पर करेगी जिस दर से डी०पी०एल० पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त कर रहा है ।

## डीजल रेल--इंजनों के उत्पादन में कमी

**354. श्री झारखण्डे राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के कुछ वर्षों में डीजल रेल इंजनों के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितनी कमी हुई है; और

(ग) इस कमी को सरकार कैसे पूरा करेगी ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क), (ख) और (ग) 1972–73 में डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी के उत्पादन में 15 डीजल रेल इंजनों की कमी हुई । वास्तव में 95 डीजल रेल इंजनों का उत्पादन हुआ, जबकि 110 रेल इंजनों के उत्पादन की योजना बनायी गयी थी । उत्पादन में कमी मुख्यत: कठिन श्रमिक स्थिति, जो कुछ महीनों तक रही, बिजली में भारी कटौती तथा दिसम्बर, 1972 से मार्च 1973 तक बार-बार बिजली में कमी के कारण हुई ।

आशा है कि डीजल रेल इंजन कारखाने का उत्पादन बढ़कर 1973–74 में 130 डीजल रेल इंजनों और आगामी वर्षों में प्रति वर्ष 150 रेल इंजनों का हो जायेगा ।

## ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए चौथी योजना का लक्ष्य

**355. श्री झारखण्डे राय** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान बिजली संकट का ग्रामीण विद्युतीकरण पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण का चौथी योजना का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें कितनी कमी रहने की सम्भावना है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)** : (क) देश में चल रही सूखा स्थितियां तथा अधिक अन्न उपजाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अगस्त, 1972 में सभी राज्य बिजली बोर्डों को नलकूपों के ऊर्जन को उच्च प्राथमिकता देने के लिये अनुदेश जारी किये गये थे। उनसे यह भी कहा गया था कि सर्वाधिक संभव हद तक यदि आवश्यक हो, तो दूसरी जगहों पर सप्लाई कम करके ऊर्जा का संरक्षण करें परन्तु किसी भी स्थिति में कृषि पम्प सेटों के लिये विद्युत सप्लाई बन्द न की जाए। इसके अतिरिक्त, रबी फसल को बढ़ावा देने के लिये 1972 में एक आपसी कृषि उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये राज्यों को लगभग 150 करोड़ रुपये तक की धनराशि आवंटित की गई थी, जिसमें और बातों के साथ साथ पम्पसेटों का ऊर्जन भी शामिल है। इस प्रकार 1972–73 के दौरान वास्तव में ग्राम-विद्युतीकरण के लिये प्राथमिकता दी गई थी तथा इस कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आने दी थी ।

(ख) और (ग) सब मिलाकर चौथी योजना में निर्धारित ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभावित है ।

## केरल में नया रेलवे वैगन कारखाना

**356. श्री एम० के० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में एक नया रेलवे वैगन कारखाना खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कारखाने का निर्माण कब आरम्भ हो जायेगा ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) रेलों द्वारा नया माल डिब्बा निर्माण यूनिट स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## 'ड्रग मैगनेट्स आउट टू मेलाईन स्माल फर्म्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

**357. श्री बसंत साठे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (नगर संस्करण) के पृष्ठ 5 'ड्रग मैगनट्स आउट टू मेलाइन स्माल फर्म्स' (औषधियों के बड़े निर्माता छोटी फर्मों को बदनाम करने के रास्ते पर) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में वर्णित विभिन्न मामलों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में औषधियों के संगठित बड़े निर्माताओं से छोटे एककों को बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार की यह नीति है कि लघु क्षेत्र में औषधि एवं भेषज उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया जाये । लघु क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के विचार से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) सरकार के लाइसेंस देने की नीति में यह व्यवस्था है कि अधिकांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों और बड़े औद्योगिक समूह के उपक्रमों को छोड़ कर लघु क्षेत्र के एककों को जहां संयंत्र और उपकरण की लागत 7.5 लाख रुपयों से अधिक नहीं है अपना निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती ।

(ii) डी०जी०टी०डी० एककों को दिये जाने वाले लाइसेंसों में आमतौर पर यह शर्त लगाई जाती है कि वे अपने प्रपंज पदार्थों का कुछ प्रतिशत असंबद्ध सूत्रीकरण कर्ताओं को उपलब्ध करेंगे ।

(iii) एक करोड़ रुपये तक बिक्री करने वाले लघु क्षेत्र एककों की आयातित कच्चे माल की आवश्यकतायें उनके भूतपूर्व उपभोग जमा 30% और अधिक विकास के लिये जब कि डी०जी०टी०डी० एककों के लिये केवल 15% विकासकारक स्वीकार किया जाता है ।

## देशी संयंत्र और उपकरणों के संबंध में विद्युत मंत्रियों की समिति का प्रतिवेदन

**358. श्री बसन्त साठे**
**श्री विक्रम महाजन:**

**क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एन० डी० तिवारी की अध्यक्षता में गठित देशी संयंत्र और उपकरण संबंधी विद्युत मंत्रियों की समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)** : (क) जी, हां। समिति ने अपनी रिपोर्ट जून, 1973 में प्रस्तुत कर दी है।

(ख) समिति के मुख्य जांच परिणाम तथा सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

## विवरण

पांचवीं योजना का विद्युत विकास कार्यक्रम उस अवधि के लिये पूर्व अनुमानित भार मांगों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिये। इस आधार पर समिति ने पांचवीं योजना के दौरान कुल अपेक्षित योग का 21.2 मिलियन किलोवाट होना आंका है। पांचवीं योजना में सफल होने के लिये सम्भावित विभिन्न उत्पादन स्कीमों का कमेटी द्वारा अभिज्ञान किया गया है। प्रस्तावों में 8.2 मिलियन किलोवाट जल विद्युत क्षमता और 13 मिलियन किलोवाट ताप विद्युत क्षमता (परमाणु केन्द्रों से 0.7 मिलियन किलोवाट समेत) सम्मिलित है।

इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिये समिति ने सिफारिश की है कि कार्यान्वयन के लिये अभी तक स्वीकृत न की गई स्कीमों (10.6 मिलियन किलोवाट की) को केन्द्र द्वारा राज्यों द्वारा भेजी गई व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर स्वीकृत किया जाना चाहिये ताकि प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिये जायें और उत्पादन संयंत्र और उपस्करों के लिये इसी वर्ष के भीतर आदेश दे दिये जायें।

पांचवीं योजना चालू करने के लिये प्रस्तावित लक्ष्य को पूरा करने के वास्ते स्वदेशी संसाधनों के अतिरिक्त 3000 मैगावाट ताप विद्युत संयंत्र क्षमता की जानी है जिसमें 15 × 200 मैगावाट ताप विद्युत सैट शामिल हैं। इस क्षमता की गणना करते समय स्वदेशी निर्माताओं की कुल क्षमता को ध्यान में रखा गया और यह उत्पादन सेटों की आवश्यकता तथा उनकी उपलब्धता के अन्तराल को पूरा करता है। इसमें पहले से आयातित क्षमता शामिल नहीं है।

स्वदेशी निर्माताओं की कठिनाइयों तथा यथा-शीघ्र विद्युत की कमी को पूरा करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि पांच मिलियन किलोवाट क्षमता के ताप उत्पादन संयंत्रों को 500 मैगावाट यूनिट साइज में आयात करना चाहिये। यह कार्यवाही शीघ्र करनी चाहिये ताकि छठी योजना अवधि में प्रारंभिक वर्षों में विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त क्षमता का प्रावधान किया जा सके।

देश में इस्पात, बृहद् विद्युत ट्रांसफार्मर और अन्य सहायक उपस्करों की कमी पर काबू पाने के लिये यह सिफारिश की जाती है कि 5 मिलियन किलोवाट उत्पादन संयंत्रों के लिये आदेश देते समय अभी सहायक तथा आनुषंगिक मदों को भी आयात किया जाना चाहिये। चूंकि ले-आउट ड्राईंगों को तैयार करने में काफी समय लगेगा, यदि यह कार्य आदेश देने के पश्चात् भारत में किया जाये, यह आवश्यक होगा कि उपस्कर के साथ पूरा ले-आउट प्लान्ट तथा निर्माण ड्राईगों को भी प्राप्त किया जाये। ये 500 मैगावाट सेट्स 1000 मैगावाट क्षमता वाले विभिन्न राज्यों में विद्युत कमी को पूरा करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले बृहद् ताप विद्युत केन्द्रों, जिनमें 500-500 मैगावाट के दो यूनिट होंगे, में किया जाना चाहिये। चूंकि इन विद्युत केन्द्रों के लिये कोयले की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, इन्हें कोयला खानों से समुचित दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिये ताकि कोयला को रेल द्वारा लम्बी दूरी तक ढोने से बचा जा सके।

2441 मैगावाट की जल विद्युत क्षमता के आयात में (पहले से आयात की जा रही क्षमता के बिना) ये शामिल हैं :—

(क) ऐसे सेट जिनके निर्माण में मै० एच०ई०आई०एल०/बी०एच०ई०एल० रुचि नहीं रखते (301 मैगावाट)।

(ख) ऐसे पम्प संचयन सेट जिसके लिये आवश्यक तकनीकी ज्ञान इस समय स्वदेश में उपलब्ध नहीं है (452 मैगावाट)।

(ग) आवश्यकता तथा स्वदेश निर्माण क्षमता के बीच के अन्तराल को पूरा करने के लिये (1688 मैगावाट)।

मै० एच० ई० आई० एल०/बी०एच०ई०एल० को 50 करोड़ रुपये की इम्प्रैस्ट धनराशि दे दी जानी चाहिये ताकि विद्युत संयंत्रों की मानकीकरण मदों और उपस्करों के सतत निर्माण को, आदेशों की प्रतीक्षा के बिना सुनिश्चित किया जा सके। इससे छोटी डिलिवरी अवधियों में परियोजनाओं को सिलसिलेवार तथा समय पर सप्लाई हो सकेगी।

विभिन्न सहायक तथा आनुषंगिक मदों की निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में निर्मित क्षमता का विस्तार किया जाना चाहिये।

विद्युत विकास के लिये समदर्शी योजना हमेशा आगामी 15 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध होनी चाहिये । इस योजना को प्रत्येक वर्ष 15 वर्ष तक बढ़ा देना चाहिये । पहले पांच से सात वर्षों के लिये योजना प्रत्येक समय निश्चित होनी चाहिये तथा कार्यान्वयनाधीन होनी चाहिये ।

## विवरण

## विद्युत सप्लाई स्थिति जुलाई, 1973

(सभी अंक मिलियन यूनिट/दिन में)

| राज्य | | मांग | उपलब्धता | कमी |
|---|---|---|---|---|
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | | |
| हरियाणा | | 5.10 | 4.70 | 0.40 |
| हिमाचल प्रदेश | | 0.64 | 0.64 | — |
| जम्मू व काश्मीर | | 1.18 | 0.81 | 0.37 |
| पंजाब | | 8.10 | 7.80 | 0.30 |
| राजस्थान | | 4.80 | 4.20 | 0.60 |
| उत्तर प्रदेश | | 23.40 | 21.50 | 1.00 |
| दिल्ली | | 5.20 | 4.80 | 0.40 |
| चंडीगढ़ | | 0.47 | 0.42 | 0.05 |
| नंगल उर्वरक | | 3.00 | 3.00 | — |
| | कुल | 51.89 | 47.87 | 4.02 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | |
| गुजरात | | 13.00 | 13.00 | — |
| मध्य प्रदेश | | 8.00 | 8.00 | — |
| गोवा | | 0.50 | 0.40 | 0.10 |
| महाराष्ट्र | | 30.00 | 30.00 | — |
| | कुल | 51.50 | 51.40 | 0.10 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | |
| आंध्र प्रदेश | | 11.42 | 8.92 | 2.50 |
| केरल | | 6.08 | 6.18 | 0.10 |
| मैसूर | | 14.00 | 13.00 | 1.00 |
| तमिलनाडु | | 24.00 | 21.14 | 2.86 |
| | कुल | 55.50 | 49.24 | 6.26 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | | |
| बिहार | | 6.40 | 6.40 | — |
| पश्चिम बंगाल | | 13.50 | 13.00 | 0.50 |
| दामोदर घाटी निगम | | 13.50 | 12.62 | 0.88 |
| उड़ीसा | | 5.64 | 4.92 | 0.72 |
| | कुल | 39.04 | 36.94 | 2.10 |
| **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र** | | 1.40 | 1.40 | — |
| कुल-अखिल भारत | | 199.33 | 186.85 | 12.48 |

## 'रेल आफीसर्स रेस्टिव' सम्बन्धी समाचार

**359. श्री बसन्त साठे** :क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (नगरीय संस्करण) के प्रथम पृष्ठ पर 'रेल आफिसर्ज रेस्टिव' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)**:(क) जी हां ।

(ख) आवश्यक उपचारों उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

## सिंचाई क्षमता के कम उपयोग के बारे में वसन्त राव पाटिल समिति का प्रतिवेदन

**360. श्री बसन्त साठे** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंचाई क्षमता के कम उपयोग के बारे में श्री वसन्त राव पाटिल की अध्यक्षता में बनी समिति न सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो समस्या के परिणाम और स्वरूप के बारे में समिति के राज्यवार और परियोजनावार मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)** : (क) समिति ने अपनी रिपोर्ट जून, 1973 में प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) और (ग) समिति की मुख्य जांच-परिणाम और सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5159/73]** । रिपोर्ट पर 2 से 4 जुलाई, 1973 को हुए सिंचाई और विद्युत राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था । सम्मेलन ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें इसको नोट करें और रिपोर्ट में बहुत मूल्यवान सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये तत्काल कार्रवाई आरम्भ करें । सम्मेलन की सिफारिशों को तदनुसार आवश्यक कार्यवाहीं करने के लिये राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार के सम्बद्ध विभागों के नोटिस में ला दिया गया है ।

## पांचवीं योजना के दौरान डीजल इंजनों का आयात

**362. श्री मोहम्मद इस्माइल**
**श्री डी० डी० देसाई:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पांचवीं योजना के दौरान 100 से अधिक डीजल इंजनों के आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनके आयात करने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में डीजल इंजन बनाने की क्षमता कितनी है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) और (ख) पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक यातायात में प्रत्याशित वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त रेल इंजनों के आयात अथवा उत्पादन की रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से संयुक्त निदेशकों की एक समिति बनायी गयी है ।

(ग) रेलवे में दो उत्पादन कारखाने हैं । एक चितरंजन रेल इंजन कारखाना, जो डीजल हाइड्रोलिक शंटिंग रेल इंजनों का निर्माण करता है और दूसरा वाराणसी स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना, जो मुख्य लाइन के डीजल-बिजली रेल इंजनों का निर्माण करता है । चितरंजन रेल इंजन कारखाने में इस समय प्रति वर्ष 50 डीजल शंटरों के उत्पादन के

लिए तथा डीजल रेल इंजन कारखाने में प्रति वर्ष मुख्य लाइन के 100 डीजल बिजली रेल इंजनों के उत्पादन के लिये क्षमता का विकास हुआ है और पांचवीं योजना अवधि के दौरान यह क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते प्रतिवर्ष 75 डीजल शंटर तथा मुख्य लाइन के 150 डीजल-बिजली रेल इंजनों तक पहुंच जाने की संभावना है।

## पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री तथा अन्य नेताओं की गिरफतारी

**363. श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लोको-रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के महामंत्री श्री पी०के० बरूआ तथा लोको रनिंग स्टाफ के अन्य कई नेताओं को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर हाल ही में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) इस गिरफ्तारी के क्या कारण थे ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) जी हां।

(ख) 10 जिनमें से 9 जमानत पर छोड़ दिये गए हैं।

(ग) वे गम्भीर कदाचार के दोषी थे क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने भारत रक्षा नियमों का नियम 118 लागू करके भारतीय रेलों में हड़ताल पर रोक लगा दी थी, इन लोगों ने लोको रनिंग कर्मचारियों को आन्दोलन करने के लिये सक्रिय रूप से उभाड़ा जिसके परिणामस्वरूप यात्री और मालगाड़ियों का चालन अस्त-व्यस्त हो गया।

## रेलों में अपराधों को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन

**364. श्री मुख्तियार सिंह मलिक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अपराधों को रोकने के लिये रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) जी हां।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल की पुनर्गठन योजना की मोटी रूप रेखा इस प्रकार है :—

अलग-अलग जांच और सुरक्षा शाखाओं का निर्माण, सशस्त्र कर्मचारियों का अधिक प्रतिशत, मण्डल और मुख्यालय स्तरों पर प्रशासकीय परिवर्तन और दल की कार्य-पद्धति में परिवर्तन।

लेकिन, पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन को रोकने के लिये रेलवे सुरक्षा दल के कुछ सदस्यों द्वारा दायर समादेश याचिका इस समय दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

## फर्टिलाईजर्स एन्ड कमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर में औद्योगिक सुरक्षा दल की नियुक्ति के कारण सुरक्षा गार्डों का बेरोजगार होना

**365. श्री वयालार रवि:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कर्मचारी नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही से बेरोजगार हुए पहले से नियुक्त सुरक्षा गार्डों की संख्या कितनी है और उन्हें अन्य क्षेत्रों में खपाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) एफ०ए०सी०टी० प्रबन्ध द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीं०आई०एस०एफ०) कोचीन प्रभाग में लगाया गया है। तत्पश्चात् प्रबन्ध ने उद्योगमण्डल प्रभाग में लगाने का भी निश्चय किया। यह व्यवस्था केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के अनुसार की जा रही है।

(ख) दल के लगाये जाने की योजना में सभी भूतपूर्व सुरक्षा, गार्डों, जो समावेशन चाहते हैं और योग्य पाये जाते हैं, के समावेशन की व्यवस्था है। और वे जिन्होंने अपना विकल्प दिया था परन्तु योग्य नहीं पाये गये थे उपक्रम में विकल्पी रोजगार के लिये विचार किया जा रहा है।

## देश में बिजली संकट के कारणों को जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति

**366. श्री वीरेन्द्र सिंह राव:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बिजली संकट के कारणों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) विद्युत आपूर्ति की कठिन स्थिति मुख्यता गत वर्ष असफल मानसून के साथ-साथ परमाणु विद्युत केन्द्र से विद्युत-जनन में कमी और जनन क्षमता की बढ़ोतरी में कमी के परिणामस्वरूप हुई। विशेषज्ञों के दल पहले से ही विद्युत संयंत्र खराबी के विशेष मामलों की जांच कर रहे हैं और एक समिति की नियुक्ति करने से समस्या का कोई उपयोगी समाधान प्राप्त नहीं होगा।

## केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पुनर्गठन के लिए भगवन्तम समिति की सिफारिशें

**367. श्री वीरेन्द्र सिंह राव:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पुनर्गठन के लिये भगवन्तम समिति की सिफारिशों को पूरी जांच के बाद पूरी तरह लागू कर दिया;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)**: (क) और (ख) समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों से संबंधित वर्तमान स्थिति बताने वाला उपबंध संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5160/73**]। कुछ सिफारिशें खासकर अभियंता-अधिकारियों की सेवा शर्तों और वृत्ति विवरणों के बारे में हैं जैसे कि वेतनमानों में वृद्धि और आवधिक वेतनमानों को लागू करना आदि। कुछ समय पहले इन सिफारिशों पर कार्यवाही आरम्भ की गई थी। चूंकि इनमें कार्मिक मामलों संबंधी विस्तृत उलझाव तथा वित्तीय विवक्षा वाले मामले निहित हैं, इन पर अन्तिम निर्णय तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णयों की रोशनी में लिये जायेंगे।

## एफ० ए० सी० टी० के कोचीन डिवीजन को चालू करने में विलम्ब

**368. श्री वीरेन्द्र सिंह राव:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फैक्ट' के कोचीन डिवीजन को चालू करने में अत्याधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) इसे चालू करने की निश्चित तारीख क्या थी और अब इसके कब तक चालू होने की आशा है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) और (ख) यद्यपि फैक्ट की कोचीन (चरण–1) परियोजना जुलाई 1971 में यांत्रिक रूप से पूर्ण हो गई थी लेकिन इसके बाद संयंत्र के कुछ आयातित उपकरणों की अनवैक्षित तकनीकी समस्याओं के तथा यांत्रिक खराबियों के कारण संयंत्र को नहीं चलाया जा सका ।

(ग) परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा करने की निश्चित तिथि अक्टूबर 1969 थी । संयंत्र ने यूरिया का उत्पादन अप्रैल 73 के अंतिम सप्ताह में आरम्भ कर दिया था लेकिन अब इसे मरम्मत तथा सुधार कार्यों के लिये बंद कर दिया गया है । उत्पादन शीघ्र आरम्भ होने की आशा है ।

## ईरान और पश्चिमी देशों के तेल संघ के बीच हुए करार का भारत-ईरान अशोधित तेल संधि पर प्रभाव

**369. श्री राजदेव सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान और पश्चिम के चार राष्ट्रों के तेल संघ ने एक बीस वर्षीय करार पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके द्वारा ईरान को उसके तेल उद्योग पर समग्र नियन्त्रण करने का अधिकार दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ईरान के साथ हमारी अशोधित तेल संधि पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) प्रैस रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार के करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ।

(ख) भारत सरकार एवं नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के बीच मद्रास परिष्करणशाला के लिये डेरियस क्रूड की सप्लाई के सम्बन्ध में किये गये अशोधित तेल विक्रय करार (1965) पर इस करार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ।

## क्रय विभाग के सहायक स्टोर अधिकारी के दिल्ली में रहने की समय-सीमा

**370. श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में क्रय विभाग के सहायक स्टोर अधिकारी के एक स्टेशन पर नियुक्त रहने के लिये कोई समय सीमा रखी गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारी इस समय सीमा से अधिक समय तक दिल्ली में रहे; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## उत्तर रेलवे में उप-स्टोर नियंत्रक के एक स्टेशन पर नियुक्त रहने की समय-सीमा

**371. श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टोर क्रय अधिकारी के एक स्टेशन पर नियुक्त रहने की समय सीमा निर्धारित है;

(ख) क्या उत्तर रेलवे में कुछ उप-स्टोर नियंत्रक इस समय सीमा के बाद भी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) चूंकि कोई पदावधि निर्धारित नहीं की गयी है इसलिये इसका प्रश्न नहीं उठता ।

## समुद्री ज्वार के प्रभाव के कारण गुजरात तेल शोधक कारखाने और गुजरात राज्य उर्वरक के कम्पनी में संकट

**372. श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिया सागर नदी के कुओं में पानी सप्लाई पर समुद्री ज्वार के प्रभाव के कारण गुजरात तेल शोधक कारखाने और गुजरात उर्वरक कम्पनी के उत्पादन पर गहरा संकट आ गया है;

(ख) क्या इस संकट को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है ;

(ग) क्या गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को प्रतिवेदन अनुमानतः एक लाख रुपये का घाटा हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी है और क्या तेलशोधक कारखाने में उत्पन्न हुई अभूतपूर्व स्थिति के समाधान के उपाय सुझाने के लिये मंत्रालय में कोई विशेषज्ञ भेजे हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) गुजरात शोधनशाला और गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी जिनका जल सप्लाई का मही सागर कुओं का एक ही स्रोत है, शुष्क ग्रीष्म महीनों में जल में अधिक लवणता की समस्या का सामना करते हैं परन्तु इस के कारण, समय पर कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप उत्पादन में कोई गंभीर संकट स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

## पनचेत विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए तेनुघाट बांध से पानी का रोका जाना

**373. श्री डी० डी० देसाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने मई में तेनुघाट बांध से पनचेत विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिये पानी रोक लिया था और क्या इससे पूर्वी क्षेत्र में बिजली संकट बढ़ गया था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र नें राज्यों तथा दामोदर घाटी निगम संगठन के बीच विवाद को तय करने के लिये क्या कदम उठाये हैं और अभी तक इसमें कितनी सफलता मिली है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा)**: (क) तेनुघाट जलाशय विद्युत उत्पादन के लिये नहीं बनाया गया है । निम्न जल स्तर होने के कारण पंचेत का जल विद्युत केन्द्र अप्रैल, 1973 से नहीं चल रहा था । बहरहाल, अप्रैल, 1973 के अंत में डी०वी०सी० में बृहत् ताप यूनिटों के फोर्सड आउटेजिज के कारण विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिये पंचेत जल विद्युत केन्द्र को चलाने का प्रस्ताव किया गया था । तदनुसार डी०वी०सी० ने अप्रैल, 1973 के अंत में बिहार के तेनुघाट बांध से जल को अवमुक्त करने के लिये बिहार सरकार से विशेष अनुरोध किया था । भारत सरकार ने भी इस ओर प्रयत्न किये थे और बिहार सरकार जल अवमुक्त करने के लिए राजी हो गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## 'नीड फार क्वालिटी ड्रग कन्टेनर्स स्ट्रैस्ड' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

**374. श्री विक्रम महाजन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "नीड फार क्वालिटी ड्रग कन्टेनर्स स्ट्रैस्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत के औषध नियंत्रक श्री पी० एस० रामचन्द्रन के विचारानुसार औषध उद्योग के समक्ष एक बहुत बड़ी कठिनाई उन डिब्बों तथा पेटियों की किस्म पर नियंत्रण का न होना है जिनमें औषधियां पैक की जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया हैं और क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) श्री रामचन्द्रन ने अपनी बात के दौरान यह भी उल्लेख किया था कि भारतीय मानक संस्था को ग्लास कन्टेनर्स, रबड़ क्लोजर्स आदि की विशिष्टयों को तैयार करने के लिये कहा गया है । जब इन विशिष्टियों को अन्तिम रूप दिया जायेगा तब औषधि-नियंत्रकों को यह सुनिश्चित करना संभव होगा कि आई० एस० आई० विशिष्टियों के कन्टनेर्स औषधि-निर्माताओं द्वारा प्रयोग किये जाते हैं ।

## बोम्बे-हाई में गहरे समुद्र में तट-दूर खुदाई

**375. श्री अरविन्द एम० पटेल**

**श्री डी० पी० जदेजा:**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौम्बे-हाई में गहरे समुद्र में तट-दूर खुदाई कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी नहीं । अरब सागर से दूर बम्बई तट में जापान से, "सागर सम्राट" स्वचालित जैक-अप व्यधन-जहाज, मई के अन्त में पहुंचा । समुद्री क्षेत्र में मौसमी परिस्थितियों में अस्थायी शान्ति की प्रतीक्षा की जा रही है ताकि व्यधन प्रारम्भ करने के लिये बम्बई हाई संरचना पर ये प्रथम स्थल पर जैक अप किया जा सके ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## कोचीन के निकट पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण के लिए केरल सरकार से अनुरोध

**376. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने गुजरात के कोबाली स्थान में स्थापित किये जा रहे उद्योग समूह की पद्धति पर कोचीन के निकट एक पट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने हेतु स्वरूप तथा क्षेत्र निश्चित करने के लिये शोधनलाशा का विस्तृत तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कराने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । लेकिन नवंबर 1970 में केरल सरकार ने कोचीन शोधनशाला से उत्पादित नेफ्था के आधार पर कोचीन में एक पैट्रो-रसायन काम्प्लैक्स की स्थापना का प्रस्ताव किया था । जनवरी 1971 में राज्य सरकार को यह सूचना दी गई कि वर्ष 1973 से आगे की देशीय नेफ्था की न्यून उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कोचीन में एक पैट्रो-रसायन काम्प्लैक्स स्थापित करना संभव नहीं था ।

## थन्नोरमुक्कम बांध का निर्माण कार्य

**377. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन्नोरमुक्कम बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) वर्ष 1972–73 के दौरान इसके निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और वर्ष 1973–74 के दौरान अनुमानित व्यय क्या होगा ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)**: (क) और (ख) धन्नोरमुक्कम परियोजना को तीन चरणों में करने का आयोजन किया गया है और प्रत्येक चरण में बंध की कुल लम्बाई का $\frac{1}{3}$ भाग शामिल है। जुगल पाश के साथ प्रथम चरण पूरा हो गया है और दूसरे चरण पर कार्य प्रगति पर है। परियोजना से आंशिक रूप से लाभ दिसम्बर, 1974 के आगे से प्राप्त होने की सम्भावना है। और समग्र रूप से परियोजना को 1976 में पूर्ण होने की संभावना है।

(ग) 1972–73 के दौरान लगभग 15 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। 1973-74 के लिये राज्य के बजट में लगभग 39 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

## पांचवीं योजना के दौरान कोचीन में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना

**378. श्री ए० के० गोपालन** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना में प्राथमिकता के आधार पर लगाये जाने वाले पांच उर्वरक कारखानों में से एक कारखाना कोचीन क्षेत्र में स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र में पांच उरर्वक कारखानों की स्थापना का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन किया है ; ये भटिन्डा, पानीपत, मथुरा, परादीप और ट्राम्बे में स्थित होंग ।

(ख) जी हां ।

(ग) कोचीन सहित अन्य उचित स्थानों पर अधिक क्षमता लगाने के प्रश्न पर उपर्युक्त समय पर संसाधन एवं अन्य संबंधित कारणों को ध्यान में रख कर विचार किया जाएगा।

## क्विलोन स्टेशन से माल के लाने-ले जाने के लिए वैगनों का आबंटन

**379. श्री ए० के० गोपालन**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलवे वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण क्विलोन स्टेशन पर लाखों रुपयों का माल पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वैगनों को तत्काल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) से (घ) 17–7–73 को कोल्लम स्टेशन पर केवल 84 मांगें बाकी रह गयी थीं जिनमें सबसे पुरानी 26–5–73 को दर्ज की गयी थी। इन मांगों को और अधिक शीघ्रता से निपटाने में मुख्य कठिनाई मालडिब्बों की अनुपलब्धता नहीं है बल्कि बम्बई की ओर, जिस दिशा के लिये इन मांगपत्रों में से अधिकांश दर्ज हैं, संचालन का भारी दबाव है। इस स्टेशन से लदान उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है। मई, 73 में लादे गये 254 माल डिब्बों की तुलना में जून में 350 माल डिब्बों का लदान हुआ।

## प्रत्येक जोनल रेलवे के लिए पृथक रेलवे सेवा आयोग

**380. श्री पी० ए० स्वामीनाथन**

**श्री प्रसन्न भाई मेहता** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नौ जोनल रेलवे में से प्रत्यक के लिये एक पृथक रेलवे सेवा आयोग बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस निर्णय से पूर्व कितने आयोग कार्य कर रहे थे ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) और (ख) यह मान लिया गया है कि किसी रेलवे के लिये भर्ती का काम देखने के उद्देश्य से प्रत्येक रेलवे में एक सेवा आयोग के सिद्धांत का अनुसरण करना उपयुक्त रहेगा। इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में रेल सेवा आयोग हैं और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एक भर्ती समिति मौजूद है। प्रत्येक रेलवे के लिये एक सेवा आयोग की व्यवस्था करने के प्रथम कदम के रूप में अभी हाल में पूर्वोत्तर रेलवे के लिये मुजफ्फरपुर में एक रेल सेवा आयोग का गठन किया गया है।

## हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा सोडियम-ट्रिपोली-फासफेट का बनाया जाना

**381. श्री मधु दण्डवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नियंत्रण वाली एक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटैड ने गैर साबुन वाले पक्षालक (डिटरजैंट) बनाने में काम आने वाली सोडियम ट्रिपोली फासफेट तैयार करने हेतु एक परियोजना चलाने के लिए अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को ऐसा करने की अनुमति देने का है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री देवव्रत बरुआ)** : (क) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत हल्दिया, मिदनापुर जिले (पश्चिमी बंगाल) में सल्फ्यूरिक एसिड, फोसफेरिक ऐसिड और औद्योगिक फासफेट के उत्पादन के लिये, एक फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति के लिये, एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

(ख) आवेदन-पत्र को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग की आगे जांच और रिपोर्ट के लिये संदर्भित कर दिया गया है।

## सिगनल व्यवस्था के कारण बम्बई नगर में 31 मई और 4 जून 1973 को रेलगाड़ियों की दुर्घटनाएं

**382. श्री मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर में 31 मई और 4 जून, 1973 को हुई रेलगाड़ियों की दुर्घटनाओं का कारण आधुनिक इलैक्ट्रानिक सिगनल व्यवस्था का खराब हो जाना था; और

(ख) यदि हां, तो सिगनल व्यवस्था को दोषरहित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) और (ख) दोनों दुर्घटनाओं की जांच, जिनमें से एक दुर्घटना 31-5-1973 को पश्चिम रेलवे के गोरेगांव और मलाड स्टेशनों के बीच हुई और दूसरी 4-6-1973 को मध्य रेलवे के विखरोली स्टेशन पर हुई, रेल संरक्षा के अपर आयुक्तों द्वारा की गयी है। अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार, दोनों दुर्घटनायें रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

## नेपाल के सीमा क्षेत्र में राप्ती नदी पर जलकुन्दु विद्युत परियोजना के संबंध में संभाव्यता प्रतिवेदन

**383. श्री वी० आर० शुक्ल**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विशेषज्ञों ने नेपाल के क्षेत्र में स्थित राप्ती नदी पर जलकुन्दु विद्युत परियोजना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार को कई वर्ष पूर्व संभाव्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ;

(ख) क्या उस प्रतिवेदन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परियोजना को पुनरुज्जीवित करने का है तथा उसे निकट भविष्य में क्रियान्वित करने का है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा)** : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सरकार के सहयोग से अन्वेषण करने के पश्चात् केवल 1964 में ही, सिंचाई, विद्युत और बाढ़ नियंत्रण के लिये राप्ती नदी पर जलकुंडी पर, 65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक बहुद्देश्यीय परियोजना की प्रारंभिक रिपोर्ट ही तैयार की थी। बहरहाल, नेपाल के क्षेत्र को जलमग्न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने परियोजना को विस्तृत अन्वेषणों के उपरांत अंतिम रूप देने के लिये कार्यवाही नहीं की है। इस समय राज्य सरकार, बाढ़ के निराकरण के लिये एक संचय जलाशय के निर्माण के लिये अन्वेषण करने का प्रस्ताव रखती है।

## नेपाल की करनाली परियोजना में उत्पादित बिजली की खरीद

**384. श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नेपाल प्रदेश की करनाली परियोजना में उत्पादित की जाने वाली बिजली की भारी मात्रा खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) इस परियोजना से बिजली की सप्लाई भारत में कब तक उपलब्ध हो जायेगी और किस दर पर; और

(ग) क्या भारत भी इस परियोजना में धन लगा रहा है, और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परियोजना के कार्यान्वयन का कार्यक्रम, भारत द्वारा किसी वित्तीय निवेश की आवश्यकता और विद्युत विक्रय के लिये टैरिफ अभी तक तैयार करना और इस पर विचार करना शेष है।

## उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

**385. श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी वकील की उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करते समय उसकी आंकी गई अथवा उसके द्वारा चुकाई गई आयकर की राशि को ध्यान में रखा जाता है; और

(ख) क्या उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों के प्रसिद्ध वकीलों की सूची रखता है ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति करते समय उनकी पात्रता पर विचार किया जा सके।

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) अधिवक्ता की जितनी वृत्तिक आय पर आय-कर निर्धारित किया जाता है उससे उसकी वकालत तथा बार में उसकी प्रास्थिति का अन्दाजा लगता है। तदनुसार नियुक्ति के लिये उपयुक्तता निर्धारित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है।

(ख) यह आशा की जाती है कि मुख्य न्यायाधिपति और उनके सहयोगियों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिये पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिये जिला बार के सदस्यों सहित ऐसे प्रत्येक अधिवक्ता की दक्षता और योग्यता के बारे में जानकारी है जो उनके समक्ष न्यायालय में उपस्थित होते रहते हैं।

## जून, 1973 में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में प्रादेशिक सेना के यूनिटों द्वारा रेलगाड़ियां चलाया जाना

**386. श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में रेलगाड़ियों को सामान्य रूप से चलाने के लिये जून, 1973 के अंतिम सप्ताह में प्रादेशिक सेना की यूनिट की सहायता ली गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) और (ख) जून, 1973 के अंतिम सप्ताह में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लमडिंग मंडल के लोको रनिंग कर्मचारी काफी बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से अनुपस्थित रहे जिससे गाड़ियों के सामान्य संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा । परम आवश्यक सेवाओं के परिचालन में शेष कर्मचारियों की सहायता करने के लिए प्रादेशिक सेना की यूनिटों को सिविल शक्ति की मदद पर लगा दिया गया था ।

## नई दिल्ली के वर्तमान कोयला यार्ड का स्थानान्तरण

**387. श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली के वर्तमान कोयला-यार्ड तथा कोयला-यार्ड के चारों ओर की गन्दी बस्तियां स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद हैं ;

(ख) क्या नई दिल्ली के वर्तमान कोयला यार्ड को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की आशा है और कोयला-यार्ड को किस स्थान पर बदलने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) कोयला यार्ड को तुगलकाबाद स्थानान्तरित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

## शाहदरा में रेलवे लाईन के किनारे गंदी बस्तियां

**388. श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा में रेलवे लाइन के किनारे गंदी बस्तियां हैं और उनमें पानी के जमा रहने के कारण वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) क्या रेलवे इस तर्क पर उस भूमि की जिम्मेदारी नहीं लेती है कि वह उन से संबंधित नहीं है; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम तथा अन्य प्राधिकरणों की सहायता से उस क्षेत्र के विकास की कोई योजना बनाने का विचार है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जायेगा ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) गन्दी बस्तियां और उनमें पानी का जमाव मुख्यतः रेलवे भूमि से बाहर है । रेलवे की भूमि, आस पास के क्षेत्र के निवासियों द्वारा फेंके गये पानी और कूड़े कर्कट से गंदी हो जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यदि दिल्ली प्रशासन, जो इस मामले से सम्बन्धित है, उक्त क्षेत्र की सफाई के लिये उपाय करे और इसमें सहायता चाहे तो रेलवे इस बात पर विचार करेगी कि किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से सहायता प्रदान की जा सकती है ।

## दिल्ली में सीमेंट के लिये नई साइडिंग की व्यवस्था करना

**389. श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के वृहत् विकास को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सीमेंन्ट के लिये नई साइडिंग की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या रेलवे ने सीमेंट के लिये नई साइडिंग की व्यवस्था करने के प्रश्न पर दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन से बातचीत की है और यदि हां, तो बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) दिल्ली में सीमेंट के लिये नई साइडिंगों के प्रस्तावित स्थानों के नाम क्या हैं और उन पर कब तक कार्य आरम्भ हो जाने की आशा है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## दिल्ली में इस्पात के लिये नई साइडिंग की व्यवस्था

**390. श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के वृहत् विकास को ध्यान में रखते हुए इस्पात के लिये नई साइडिंग की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है;

(ख) क्या नई साइडिंगों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर रेलवे ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन आदि से बातचीत की है और यदि हां, तो बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) दिल्ली में इस्पात के लिये नई साइडिंगों के प्रस्तावित स्थानों के नाम क्या हैं और उन पर कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

**रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## दिल्ली में कोयले के लिये नई साइडिंग की व्यवस्था करना

**391. श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के वृहत् विकास को ध्यान में रखते हुए कोयले के लिये नई साइडिंग की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है;

(ख) क्या नई साइडिंग की व्यवस्था करने के प्रश्न पर रेलवे ने दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन से बातचीत की है और यदि हां, तो बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) कोयले के लिये नई साइडिंग के बनाने के प्रस्तावित स्थानों के नाम क्या हैं और उन पर कार्य कब आरम्भ हो जाने की आशा है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## सरकार द्वारा आयल इंडिया को अधिकार में लेना

**392. श्री रेणुपदपै** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयल इंडिया लिमिटेड को अपने अधिकार में लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) भारत सरकार के पास आयल इंडिया लिमिटेड के 50% साम्य शेयर हैं । उस कम्पनी को अपने अधिकार में ले लेने से संबंधित इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## बिहार में रेलवे के संचालक में कुशलता

393. **श्री एस० सी० बैसरा**

**श्री एस० एन० सिंह देव :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार क्षेत्र में यातायात तथा संचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रेलवे की संचालन सम्बन्धी कुशलता अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पांचवीं योजना के दौरान सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) जी नहीं। काम की सामान्य स्थिति के अधीन बिहार क्षेत्र की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, वे सर्वथा पर्याप्त हैं।

(ख) रेलों के लिये पांचवीं योजना, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, सभी क्षेत्रों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं।

## लोको कर्मचारियों की हड़ताल तथा कोयले के भंडार को बचाये रखने के कारण रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

394. **श्री हरि प्रसाद शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने कोयले के भंडार को बचाये रखने के उद्देश्य से तथा लोको कर्मचारियों की हाल की हड़ताल से उत्पन्न हुई परिस्थिति से निपटने के लिये थोड़ी दूरी तक आने-जाने वाली बहुत सी रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे में तथा भारतीय रेलवे के दूसरे स्टेशनों में अप्रैल, 1973 में ऐसे कारणों से कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गयीं; और;

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व को हानि हुई ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

## पांचवीं योजना में अतिरिक्त विद्युत की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य

395. **डा० हरि प्रसाद शर्मा:** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के लिए 20 लाख किलोवाट तथा पांचवीं योजना की अवधि में 35 लाख से 40 लाख किलोवाट वार्षिक अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उसका विस्तार करने तथा विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने के संबन्ध में क्या योजनायें बनाई गई हैं; और

(ग) प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा):** (क) से (ग) संलग्न विवरण एक में दिए गए ब्यौरे के अनुसार इस वर्ष लगभग दो मिलियन किलोवाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता चालू हो जाने का प्रस्ताव है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5161/73]** । जहां तक पांचवी योजना में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिये कार्यक्रम का संबंध है, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इसको योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है और आवश्यकता के साथ-साथ संसाधनों की तंगी पर आधारित 5वीं योजना के अन्य ब्यौरों के साथ वर्ष-वार कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया जाएगा ।

## केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन योजनाओं को स्वीकृति देना

396. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह:**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 59 विद्युत उत्पादन योजनायें, जिनकी कुल अधिस्थापित क्षमता 135.5 लाख किलोवाट है, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पास स्वीकृत के लिये पड़ी हुई हैं और क्या इनमें से अधिकांश योजनायें आयोग को तीन वर्ष से अधिक समय पूर्व भेजी गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी राज्यवार आंकड़े क्या हैं, ये योजनायें इस समय किस स्थिति में हैं और ये योजनाएं केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को कब भेजी गयी थीं; और

(ग) इस विलंब के क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा)** : (क) से (ग) आजकल 9.7 मिलियन किलोवाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की 33 विद्युत-जनन स्कीमों को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की जा रही है। स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में प्राप्त होने की तिथि के साथ जांच की वर्तमान अवस्था संलग्न विवरण-एक में दी गई है। इन स्कीमों की स्वीकृति देने में हुए विलम्ब के लिये कारण भी विवरण में दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, 35 स्कीमें, जिनकी जांच आयोग में की गई थी, के लिए अतिरिक्त आंकड़े, संशोधित प्राक्कलन इत्यादि संबंधित परियोजना प्राधिकारियों से मांगे गए हैं और उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है। ये परियोजनायें विवरण-दो में उल्लिखित हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5162/73]**।

## कतिपय औषधियों और भेषजों के लिये लाईसेंस देने की नीति को उदार बनाना

*397. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय औषधियों और भेषजों के संबंध में औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति पीछे कुछ उदार कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उदारता सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) किन परिस्थितियों में यह उदारता लाई गई है ?

**पैटोलियम और रसायन मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी हां। फरवरी 1973 में औषधि एवं भेषज उद्योग को सम्मिलित करते हुए कतिपय उद्योगों के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसैन्सिग नीति में उदारता अपनाई गई थी।

(ख) और (ग) 2 फरवरी, 1973 को सरकार द्वारा प्रकाशित किये गये प्रेस नोट की एक प्रति, जिसमें अपनाई गई इस उदारता की परिस्थितियों की व्याख्या और इस उदारता के ब्यौरे दिए गए हैं, 21-2-1973 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 281 के उत्तर (जो औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा दिया गया था) के साथ संलग्न की गई थी।

## तारापुर के निकट स्विचयार्ड तथा नवसारी (गुजरात) स्थित बिजली प्राप्त करने वाले केन्द्र का निरीक्षण करने के लिये केन्द्रीय दल

398. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की पोषक लाइनों को निरन्तर रूप से रोक-रोक कर बिजली सप्लाई करने के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय दल तारापुर के निकट स्थित स्विचयार्ड तथा गुजरात के नवसारी स्थित बिजली प्राप्त करने वाले केन्द्र के निरीक्षण के लिये भेजा है;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) दोषों के लिये उत्तरदायी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

## गुजरात में केप्रोलेक्टम संयंत्र द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने में देरी

**399. श्री प्रसन्न भाई मेहता:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 करोड़ रुपये के निवेश के साथ गुजरात में स्थापित किये गये भारत के प्रथम केप्रोलेक्टम संयंत्र ने समयावलि के अनुरूप जून, 1973 से उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं और क्या उत्पादन प्रारम्भ करने में 9 महीने की देरी होगी;

(ग) क्या इस संयंत्र द्वारा उत्पादन प्रारम्भ न कर सकने के परिणामस्वरूप इटली से 700 डालर प्रति टन की दर पर 1200 टन केप्रोलेक्टम् का अतिरिक्त आयात करना आवश्यक हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो संयंत्र में शीघ्रता से उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख) कैप्रोलैक्टम प्लांट, जिसको जुलाई, 1973 तक चालू हो जाने का कार्यक्रम था, के अब मार्च, 1974 तक चालू होने की आशा है । परियोजना के कार्यक्रम को पीछे करने का मुख्य कारण यह था कि विभिन्न सम्बद्ध राज्यों में बिजली में बहुत कटौतियों के कारण देशीय उपकरण सप्लायर्स माल सपुर्दगी की निर्धारित तारीखों के अनुसार सप्लाई न कर सके ।

(ग) परियोजना के कार्यक्रम में देरी, कैप्रोलैक्टम के आयात की आवश्यकता उत्पन्न करेगा । जहां तक इटली से आयात का सम्बन्ध है; राज्य व्यापार निगम ने 715 डालर प्रति मीटरी टन की दर से 1200 मीटरी टन के आयात की व्यवस्था की है ।

(घ) सभी कार्यविधि संबंधी अनुमति दे दी गई है । परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये यूनिट द्वारा अपेक्षित किसी प्रकार की अन्य सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है ।

## रेलवे में हड़तालों पर रोक

**400. श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क)** क्या सरकार ने रेलवे में हड़तलों पर रोक लगा दी है ;

**(ख)** क्या हड़ताल के समाप्त होने को दृष्टि में रखत हुए सरकार हड़तालों पर लगाई गई रोक को वापिस लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और हड़तालों पर रोक कब तक जारी रहेगी ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी):** (क) से (ग) प्रतिवर्ष मई और जून में रेलों पर अनाज का संचलन सब से अधिक होता है । देश के अनेक भागों में सूखों की स्थिति के कारण और गेहूं का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेने के कारण, इस वर्ष अनाज का लदान आपवादिक रूप से उच्च स्तर पर बनाये रखना पड़ा है और रेलों को अपनी वचनबद्धता पूरी करने के लिये स्वभावतः उच्च कुशलता स्तर पर काम करना पड़ता है । इसी तरह, कोयला खान उद्योग के राष्ट्रीयकरण की सफलता अनिवार्यतः कुशल रेल परिवहन से संबंधित है। किसी तरह की कामबन्दी या हड़ताल से अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये अनाज के संचलन में रुकावट पड़ेगी और वहां बिजली की वर्तमान कमी की स्थिति और बिगड़ जायेगी तथा औद्योगिक उत्पादन ठप्प हो जायेगा ।

आशा थी कि अनाज और कोयले का संचलन, मानसून शुरू होने से पहले उच्च स्तर तक पहुंच जायेगा और इसके बाद व्यस्त काल प्रारम्भ होगा जो मार्च/अप्रैल, 1974 तक चलता रहेगा। यातायात अस्तव्यस्त किये जाने के किसी प्रयास की पेशबन्दी करने के लिये और जब ऐसी रुकावट पड़ जाये तो उसके समुचित एवं प्रभावी प्रतिकार के लिये, सरकार ने यह अत्यावश्यक समझा है कि रेलों की अनिवार्य सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध कर दी जाये। वस्तुतः, कतिपय स्टेशनों पर स्थानीय छुटपुट आन्दोलन जो लोको रनिंग कर्मचारियों और सहायक स्टेशन मास्टरों के कारण भड़क उठे थे, उनसे गाड़ियों का संचलन आंशिक रूप से अस्तव्यस्त हो गया था तथा कमी वाले क्षेत्रों को अनाज और ताप बिजली घरों आदि निमित कोयले के संचलन के लिये गंभीर संकट पैदा हो गया था। इसलिये, यह उचित समझा गया कि 26-5-1973 से छः महीने के लिये रेलों पर हड़तालों पर रोक लगा दी जाये ताकि समाज के जीवन के लिये अनिवार्य सप्लाई और सेवाओं को बनाये रखा जा सके।

इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य निवारक उपाय करना है और इस से वैध ट्रेड यूनियन की गतिविधियों पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

फिलहाल, सरकार का हड़तालों से प्रतिबन्ध हटाने का विचार नहीं है।

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

# CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

## देश के विभिन्न भागों में व्याप्त अकाल और सूखे की स्थिति

**श्री ज्योतिर्मय वसु** (डायमंड हार्बर) : श्रीमान, मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें:

"देश के विभिन्न भागों में व्याप्त अकाल और सूखे की स्थिति।"

**कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : हमने पिछले अधिवेशन के दौरान देश में सूखे की स्थिति पर विचार-विमर्श किया था तब मैंने इस कठिन स्थिति का मुकाबला करने के लिये सूखे की स्थिति और राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा किये गये राहत उपायों का ब्यौरा दिया था। वर्ष 1972 में सब से अधिक सूखा पड़ा था। सूखे से उत्पन्न संकट न केवल व्यापक था बल्कि देश के कुछ भागों में अत्यधिक भयंकर था क्योंकि इन क्षेत्रों में लगातार पिछले 2-3 वर्षों के दौरान वर्षा नहीं हुई थी। इस विपदा से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, और आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर के कुछ भागों के लोग पीड़ित हुए।

इतनी बड़ी विपदा का सामना करने के लिये देश को भारी प्रयत्न करने पड़े थे। इस का मुकाबला समस्या के आकार के अनुसार राहत कार्य कर किया गया था। प्रभावित जनसंख्या को आवश्यक राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रखी गई थी। बड़े पैमाने पर किये गये राहत कार्यों का उद्देश्य रोजगार सुलभ करना, पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था करना और जन स्वास्थ्य उपायों को तेज करना था ताकि महामारी न फैलने पाये। जहां कहीं आवश्यक था मुफ्त राहत भी सुलभ की गई थी।

कितने परिमाण में उपाय किये गये थे इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त तो राहत कार्यों पर लगे व्यक्तियों की संख्या 90 लाख से भी अधिक पहुंच गई थी जोकि सब से अधिक है। इसी प्रकार पेय जल और चारा सप्लाई करने के लिये प्रबन्ध भी अभूतपूर्व रूप में बड़े पैमाने पर किये गये थे। पेय जल सप्लाई करने के लिये ये उपाय किये

गये—पीने के पानी के कुओं को खोदने/गहरा करने के लिये बहुत बड़ी संख्या में ड्रिलिंग रिग इस्तेमाल करना, बहुत बड़ी संख्या में गांवों को टैंकरों/बैलगाड़ियों आदि द्वारा पीने का पानी सप्लाई करने के प्रबन्ध करना। चारे की व्यवस्था के लिये ये उपाय किये गये—मवेशियों का प्रव्रजन, मवेशी कैम्प खोलना प्रभावित क्षेत्रों को चारा भेजना।

सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध सभी खाद्यान्नों का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया गया और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की उपयुक्त जरूरतें पूरी करने के लिये इन क्षेत्रों में खाद्यान्न भेजे गये थे। सितम्बर, 1972 से मार्च, 1973 तक की अवधि के दौरान सरकारी वितरण प्रणाली से कुल 60 लाख मी० टन खाद्यान्न वितरित किये गये थे जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 47 लाख मी० टन खाद्यान्न वितरित किये गये थे। अप्रैल, 1973 से राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है और अप्रैल से जुलाई, 1973 तक की अवधि का कुल आवंटन 38.85 लाख मी० टन है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में यह मात्रा 28.42 लाख मी० टन थी।

वर्ष 1972–73 के दौरान सूखा राहत के लिये कुल 191.365 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई थी और चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्य सरकारों को 97.85 करोड़ रुपये की और राशि दी गई थी। अकेले सूखे के लिये सूखा राहत हेतु यह राशि सब से अधिक थी। इस भारी खर्च को देखते हुए इस बार इस राशि को उत्पादन-कारी कार्यों पर खर्च के लिये विशेष ध्यान दिया गया था और स्थायी और उपयोगी परिसम्पत्ति का सृजन हुआ जिससे भविष्य में कृषि पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। राहत खर्च की सामान्य योजना और गैर योजना कार्यक्रमों के साथ विधिवत समन्वय और तालमेल रखा गया था। ये कार्यक्रम रोजगार सुलभ करने के लिये चलाये गये थे। इसी प्रकार ग्रामीण रोजगार के लिए क्राश योजना और सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम आदि जैसी विशेष रोजगार योजनाओं का पूरा लाभ उठाया गया था। इसके अलावा, आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम जोकि रबी और ग्रीष्म फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये तैयार और कार्यान्वित किया गया था, के अधीन राज्य सरकारों को 148 करोड़ रुपये की राशि सुलभ की गई थी। इसके अतिरिक्त कृषि आदानों के लिये 99 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये थे।

मुझे यह कहने में खुशी है कि जनता के सहयोग और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के सामयिक तथा प्रभावी उपायों और सदन के मार्गदर्शन से हम इतने बड़े संकट से उभरने में सफल हुए हैं। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है और हम सब इस अभूतपूर्व सूखे का मुकाबला करने में उन्होंने जिस आत्मबल, दृढ़ता और साहस का प्रदर्शन किया है, उसकी सराहना करते हैं। मुझे खुशी है कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मैसूर और आन्ध्रप्रदेश के लोगों की कठिनाइयों का शीघ्र ही अन्त हो जायेगा क्योंकि इस वर्ष इन क्षेत्रों में वर्षा अनुकूल रही है।

इस वर्ष अब तक देश भर में मानसून-पूर्व और मानसून की वर्षा सामान्यतया संतोषजनक रही है लेकिन जुलाई के प्रारम्भ से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में सूखे का लम्बा दौर रहा है। यथा आवश्यक प्रभावित जनसंख्या को राहत सुलभ करने और बढ़ रही सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक उपाय किये गये हैं। पिछले सप्ताह के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा होने की खबरें मिली हैं। इससे स्थिति का मुकाबला करने में काफी मदद मिलेगी।

हम उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सरकारों और अन्य राज्यों से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं और यथा स्थिति उचित सहायता सुलभ की जायेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे याद है कि गत समय में यह निर्णय लिया गया था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछने के लिए समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। सभी सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक सदस्य को जिसका नाम सूची में हो, पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिये। उन्होंने मेरे से यह भी अनुरोध किया था कि मैं इस निर्णय का कठोरता से पालन करूं।

**श्री ज्योतिर्मयबसु** : प्रस्ताव पेश करने वाले को कुछ अधिक समय दिया जाना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्तावक को एक या दो मिनट और अधिक मिल जायेंगे किन्तु अन्य सदस्यों को केवल पांच मिनट में प्रश्न पूछ लेना होगा।

**श्री ज्योतिर्मयबसु** : माननीय मंत्री ने कोई नयी बात नहीं कही । जब भी सभा में सूखे की स्थिति पर बहस होती है, मंत्री महोदय एक ही वक्तव्य को दुबारा पढ़कर सुना देते हैं । इस वर्ष सूखा कहां तक व्याप्त है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यह बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र एवं त्रिपुरा के कुछ भागों में व्याप्त है । इन सबमें बिहार की स्थिति बहुत अधिक खराब है । वहां दो वर्ष से लगातार सूखा पड़ रहा है । वहां तीन करोड़ व्यक्ति सूखे से प्रभावित हुए हैं । वहां 50 मौतें भूख से हुई हैं । राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपये की राशि देने और अनाज का कोटा 50,000 टन से बढ़ाकर 1,50,000 टन करने की मांग की है । वहां के विधायक यह कह रहे हैं कि बिहार में गृह-युद्ध कर खतरा बना हुआ है । यदि सरकार उचित राहत देने में विफल रही, तो राज्य में क्रान्ति हो सकती है । बिहार के सम्बन्ध में सरकार यह कह देती है कि वहां सूखे प्रायः पड़ते रहते हैं । वहां सूखा प्रायः पड़ता रहता है इसके लिये सरकार दोषी है । क्योंकि वहां सिंचाई योजनायें नहीं बनाई गई और कृषि को पूर्णतः भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है । पूर्वी उत्तर प्रदेश उड़ीसा, केरल और गुजरात भी सूखे और अकाल से प्रभावित हैं । इन राज्यों में राहत-कार्यों के लिये जितनी राशि नियत की गई, उसमें से आधी भी इस प्रयोगार्थ खर्च नहीं की गई । सूखा–पीड़ित राज्यों के लिये राहत खर्च और वित्तीय सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार ने जो राशि दी, उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है : आन्ध्र प्रदेश के लिये 28 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई जबकि खर्च केवल 20 करोड़ रुपये किया गया । इसी प्रकार बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर तथा महाराष्ट्र को क्रमशः 13.40 करोड़ रुपये, 6.90 करोड़ रुपये, 80 लाख रुपये तथा 94 करोड़ रुपये की सहायता दी गई, किन्तु वहां क्रमशः 10 करोड़ रुपये, 1.5 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये और 49 करोड़ रुपये वास्तव में खर्च किये गये । साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि 21 राज्यों और पांच संघ राज्य क्षेत्रों में कुल खर्च का 81 प्रतिशत केवल सड़क निर्माण पर खर्च किया गया, सिंचाई के साधनों पर नहीं । सिंचाई पर केवल 8.89 प्रतिशत और भूमि को कृषि योग्य बनाने पर 1.60 प्रतिशत खर्च किया गया ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह राहत - कार्यों के लिये मध्यावधि उपायों के रूप में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? क्या वह लघु सिंचाई योजनाओं, ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था और 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम के लिये अधिक राशि रखेंगे और क्या वह अकाल राहत संहिता में संशोधन पर भी विचार करेंगे ?

**श्री फखरूद्दीन अली अहमद** : जहां तक केन्द्रीय और राज्य सरकारों की नीति का सम्बन्ध है, सभी की नीति यह है कि देश की अधिक से अधिक भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की जाये । इस दिशा में प्रयास भी किये गये हैं । किन्तु हमारे जैसे बड़े देश के लिये यह संभव नहीं है वर्षा पर से निर्भरता बिल्कुल समाप्त हो जाये । प्रत्येक वर्ष देश में कहीं न कहीं सूखा पड़ता है और हम अपने साधनों के अनुरूप राहत कार्यों के लिये सहायता देते हैं । गत वर्ष हमने देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिये लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि आपात उत्पादन कार्यक्रम पर खर्च की । लगभग 10 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्दर लाने के लिये लघु सिंचाई योजनाओं के लिये पर्याप्त आर्थिक सहायता की व्यवस्था है । जहां तक भुखमरी का संबंध है, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से मुझे खबरें मिली हैं कि वहां भूख से मौतें नहीं हुई हैं ।

**Shri Atal Behari Vajpayee:** You may appoint a Parliamentary Committee which may make enquiries on the spot. We can prove that there have been starvation deaths.

**Shri Phool Chand Verma:** In Madhya Pradesh 21 people have died of starvation.

**श्री फखरूद्दीन अली अहमद** : इन आरोपों को सुनते ही हमने तुरन्त जांच करवाई जिसके परिणाम मैं बता चुका हूं ।

पिछले वर्ष हमने सहायता कार्यों के लिये राज्य सरकारों को बहुत बड़ी राशियां दी थी । जहां तक मुझे पता चला है सभी राज्य सरकारों ने उससे बहुत अधिक धन व्यय किये हैं । एक भी ऐसा मामला मेरे ध्यान में नहीं आया है जिसमें धन का व्यय न किया गया हो ।

बिहार ने 10 करोड़ रुपये तथा 1.4 लाख टन खाद्यान्न की प्रति मास मांग की है । उन्हें हमने बातचीत के लिये बुलाया है । उत्तर प्रदेश से अधिक से अधिक अनुदानों की मांग प्राप्त हुई है । उन्होंने 10,000 क्विंटल गेहूं बाहुल्य के क्षेत्र से भेजी थी । महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में पिछले वर्ष गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिसका समुचित ढंग से सामना किया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : नेताओं का निर्णय मंत्रियों पर भी लागू होता है । उन्हें भी कम समय लेना चाहिये ।

**Shri Shashi Bhushan** (South Delhi): This spell of drought is continuing for hundreds of years. Last year when the conditions in various states deteriorated centre gave assistance with Rs. 400 crores. Otherwise the situation would have worsted. Otherwise condition prevailed in the time of the famine of Bengal in British rule would have taken place.

This year condition of Eastern districts of U.P. is worst. Many people are eating grass-roots. More ration shops should be opened for these areas. The officers should not only tour on the pucca roads but should go to the villages and in the interior to know the truth.

Why the gold and the black money worth crores of rupees is spent for the welfare of the people.

Is the Government thinking of writing off lones above Rs?2000. Will it try to take hold of black money and spend it on minor irrigation schemes?

**Shri F.A. Ahmed:** It is our policy to spend more and more money on minor irrigation schemes. In last September there were 1,25,000 fair price shops and their number has now become 1,93,000. We intend to open more of them to help the people.

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** (बेंगूसराय) : सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य से स्पष्ट है कि सरकार को देश के कुछ भागों में पनप रही स्थिति का ठीक एहसास नहीं है । उदाहरणार्थ हमें पता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों की स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है । बिहार ने उचित दर की दुकानों के लूटे जाने के समाचार भी मिले थे । परन्तु मंत्रियों को भुखमरी से हुई मौतों से इनकार करने की प्रवृत्ति है । उचित दर की दुकानों से अनाज उठा लिया गया है ।

**श्री फखरूद्दीन अली अहमद** : क्या वह बिहार का उल्लेख कर रहे हैं ?

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** : मुझे बिहार के बारे में ऐसा पता चला है । क्या यह सच है कि सरकार ने बनियों को सीमेंट चीनी और कपड़ा देकर अपने खाद्यान्न के लक्ष्य को पूरा किया है ? क्या अनाजों के अभाव के कारण खाद्यान्नों की वितरण पद्धति बिगड़ गई है ? खरीफ की फसल को कहां तक क्षति पहुंची है ? क्या बिहार में अनिश्चित राजनीतिक स्थिति के कारण हालात बिगड़े हुए हैं ? पिछले कुछ मास में उन्होंने बिहार की आधी आवश्यकतायें भी पूरी नहीं की हैं । उत्तर प्रदेश की स्थिति भी वैसी ही है ।

मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर केरल सरकार स्कूल कालेज कब खोल पायेगी ?

**श्री फखरूद्दीन अली अहमद** : केरल के बारे में माननीय सदस्य की सूचना गलत है ।

केरल को हम अधिक चावल और कम गेहूं देते रहे हैं । कुल 85000 टन खाद्यान्नों में से अधिकांश चावलों के रूप में दिया गया है । हमने मूल रूप से अपेक्षित से 10000 टन अधिक दिये हैं ।

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** : परन्तु केरल सरकार ने इस बारे में शिकायत की है ।

**श्री फखरूद्दीन अली अहमद** : हाल ही में एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य मंत्री इधर आये थे और वह संतुष्ट होकर लौट गये हैं ।

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** : ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय का वक्तव्य गलत है । अप्रैल में 7000 टन गेहूं आवंटित किया गया है । जिसमें से 4100 टन ही दिया गया है ।

**श्री फखरूद्दीन अली अहमद** : अप्रैल में 67000 टन चावल और 2000 टन गेहूं दिया गया है ।

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** : 7000 टन गेहूं में से उन्हें कितना मिला है ।

**श्री फखरूद्दीन अली अहमद** : पूरा का पूरा ।

जहां तक बिहार और उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है हमें वहां उपलब्ध अनाज को ध्यान में रखना पड़ता है । मुझे खेद है कि लगभग 4900 टन गेहूं ही उपलब्ध हो सका है । जुलाई में जो परिस्थिति पैदा हो गई है हम निश्चय ही उस पर ध्यान देंगे ।

बिहार ने 14000 टन अनाज की मांग की है और हम उनकी कठिनाई पर ध्यान दे रहे हैं ।

**Shri Shyamnandan Mishra:** I had asked as to whether the situation in Bihar has taken such a turn that fair price shops are being looted?

**अध्यक्ष महोदय** : नियमानुसार एक सदस्य एक ही प्रश्न पूछ सकता है ।

**Shri Shyamnandan Mishra:** I had asked about starvation deaths.

**श्री फखरूद्दीन अली अहमद** : हम समाचार पत्रों के आंकड़ों पर निर्भर नहीं करते अपितु जो रिपोर्टें हम राज्य सरकारों से प्राप्त होती हैं उन पर हम निर्भर करते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कर्मचारियों को खिड़कियां खोलने को कह दिया है ।

**Shri Madhu Limaye:** I have visited various districts of Bihar and have received reports from various other districts. Lacks of people are starving due to hunger. In Chandan area a Harijan farmer told me that one of their children has died due to hunger and two other persons are on the verge of death.

Similar is the condition of Uttar Pradesh. In Banda District 8 persons have died of hunger. That is the condition of Allahabad and other area. The hostel of Banaras University has closed down due to shortage of foodgrains.

The Chief Minister of Kerala has authorized the Districts Magistrates to declare famine in the affected areas.

In Monghyer a family of three has committed suicide, after explaining the unbearable conditions in a letter. In March, 1972 Shrimati Indira Gandhi declared in Bihar that now so much foodgrains is being produced that it was problem for the Government to store it and that the Government would be able to export foodgrains as the position 70 years ago.

In the coming few years the Government would have to feed 25—30 per cent of the population through fair price shops. The Government do not have any policy to keep balance between factory products and form produce.

You sell wheat 188 paise per Kilo. The farmers give rationed wheat and sell their wheat Rs 1.30 per Kilo.

Hon. member Shri Dinesh Singh has 35,000 acres of and and you cannot touch him and you want the farmers who possess 2,3,5 on acres to sell wheat @Rs. 76 per quintal. The farmers whose possession exceeds 10 acres should be made to sell wheat surplus to their needs to the Government.

Now that in Bihar Death is having its way the people are struggling to occupy the office of Chief Minister.

The people do not have purchasing power. I suggest that an all party committee may be sent to North Eastern Districts. It may on return submit it's report and give suggestions in the matter.

**Shri F.A. Ahmed:** The hon. Member wants that I should go to Eastern U.P. and Bihar to see the situation. Surely I shall go to these places and take appropriate action.

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : माननीय सदस्य ने दोहरी बिक्री व्यवस्था के बारे में पूछा था । उसका उत्तर नहीं दिया गया ।

**Shri Atal Behari Vajpayee:** The Hon. Minister has drawn a very bright picture. I fear that the Government is again committing the same mistake which they have committed while raising the slogan of Green Revolution. I want to know what are the stocks of foodgrains with the Government.

The number of ration shops are increasing but the foodgrains are not available with them. The quality of foodstuffs being distributed is not fit for human consumption. In Gadra Road four Kilo grains were given in three months. In open market the rates of foodgrains are extremely high. Can the vulnerable section of this society of foodstuffs have any effect on our Products made by foodgrains. Why the government has stopped relief measures after some rains? The situation of eastern districts of U.P. is similar to that of Maharashtra. There have been cases of breach of law and order. If the relief measures are not intensified in the villages the people would leave their villages and run to the cities. It is not enough to say that people are not starving. Why a Parliamentary committee is not being sent to the eastern districts of U. P. ? It is a pity that the hon. Minister has denied to through light on the seriousness of the situation.

By taking over food trade the Government has undertaken the responsibility to feed 56 crores of people. Eastern Economists has written:

"If scale goats were edible there would have been no starvation in India"

**Shri F.A. Ahmed:** I have told that we are intensifying relief measures in Eastern U.P. and Bihar. Just now I have received intimation that 10000 quintals of foodgrains are being sent from surplus districts to Eastern Districts for distribution through fair price shops.

**Shri Atal Behari Vajpayee:** What is the quantum of ration each person is being given every week.

**Shri F.A. Ahmed:** There is no unified quota in whole of the country. It is different in every state. It is settled in consultation with the respective State Governments as to how much foodstuff are to be given through Fair Price shops.

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : मंत्री महोदय श्री वाजपेयी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दें ।

**Shri F.A Ahmed:** It all depends on as to what quantity of foodgrains are available in a particular state and how much can be given through fair price shops.

Bihar has asked for relief of 10 crores, while the demand of U.P. is 21 crores. Some money has been advanced to them and both the Governments have started relief measures.

An hon. member wanted to know the total qauntity of foodgrains we have in our stocks. The quantity being imported, and the quantity being distributed every month through out the country. So far as the question of distribution is concerned, near about 1.1 million tonnes is being distributed every month. Government is aware of the requirements of foodgrains in the country and also the way to meet it.

The monsoon has just set in, and the position can further deteriorate if there is no rain in the month of September. Even then, inspite of all these difficulties as far as possible, we shall make all out efforts to help the people.

**Shri Atal Behari Vajpayee:** (Gwalior): Has the Government decided to stop test relief being given to Maharashtra?

**Shri F.A. Ahmed:** Regarding test relief instructions have been given that this relief work in Maharashtra, Rajasthan and Gujarat should be continued till September. Additional relief being given to Maharashtra has been stopped.

**श्री ज्योतिर्मय वसु** (डायमंडहार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा ।

**(अन्तर्बाधायें)**

# सभा पटल पर रखे गए पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महीषी):** मैं इण्डियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 वी० टी० ई० ए० एम० की 31 मई, 1973 की रात्रि को हुई दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

**श्री फखरूद्दीन अली अहमद :** माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यह राज्य सरकारों का विषय है । मैं स्वयं वहां जा रहा हूं ।

**Mr. Speaker:** Please take your seats. Order, order. Please do not make noise. It would not do.

**श्री ज्योतिर्मय वसु :** हम विरोध में सदन का त्याग कर रहे हैं ।

**इसके पश्चात श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री श्यामनन्दन मिश्र, तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गए ।**

**Shri Jyotirmoy Basu, Shri Atal Behari Vajpayee, Shri Shyamnandan Mishra and some other hon. members then left the House.**

---

# राजस्थान राज्य के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में
## RE, RAJASTHAN STATE EMPLOYEES' STRIKE

**श्रीमती गायत्री देवी** (जयपुर) : मैंने इस सदन में राजस्थान कर्मचारियों की हड़ताल का प्रश्न उठाया है । शान्ति और व्यवस्था की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । कर्मचारियों के साथ बात चीत करने से सरकार के बार-बार इनकार करने से राज्य की स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है और इसी कारण मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं ।

बड़े आश्चर्य की बात है कि इस लोकतांत्रिक देश में जयपुर में 36 घण्टे का कर्फ्यू लगाया गया है । मुख्य मंत्री का यह वक्तव्य सच नहीं है कि कर्मचारियों ने बात चीत करने से इनकार किया है । वास्तव में जब राजस्थान कर्मचारी संघ अपना 25 सूत्री कार्यक्रम के बारे में मुख्य मंत्री से मिलने के लिये मुख्य सचिव के निवास की ओर बढ़े तो पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया । शहर में धारा 144 लागू कर दी है जिससे सारा काम काज ठप्प हो गया है ।

सदन से मेरी अपील है कि मुख्य मंत्री पर दबाव डाला जाये कि वह उन लोगों से मिले और उनकी मांगों के बारे में चर्चा करे । उनकी जायज मांगें पूरी की जानी चाहिएं । इस अभाव और अकाल के समय में शान्ति और व्यवस्था को तोड़ना उचित नहीं है ।

अतः संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जाये जो सूखा ग्रस्त और अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में जायें और इस बात को देखे कि सरकार लोगों के कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रही है ।

---

# सभा पटल पर रखे गए पत्र (जारी)
## PAPERS LAID ON THE TABLE [*Contd.*]

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय सरकार के जुलाई, 1973 के बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—5149/73]** ।

(2) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1971–72 के वित्तीय लेखे की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—5150/73]** ।

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अधीन भारत के नियंत्रक और महापरीक्षक के वर्ष 1969–70 के प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) भाग 2— हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—5151/73]** ।

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव)** : मैं देश में बाढ़-स्थिति के संबंध में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं ।

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) मिट्टी का तेल (अधिकतम कीमत निर्धारण) संशोधन आदेश, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 307(ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—5152/73 ]**।

(2) लाइट डीजल तेल (अधिकतम कीमत निर्धारण) संशोधन आदेश, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 308(ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या ल० टी०—5153/73]** ।

(3) लाइट डीजल तेल (अधिकतम कीमत निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 330(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

---

# राज्य सभा से सन्देश
## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :

राज्य सभा ने 23 जुलाई, 1973 को अपनी बैठक में बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि राज्य सभा के 88वें सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाने हेतु एक प्रस्ताव स्वीकार किया है ।

---

# विधेयकों पर अनुमति
## ASSENT TO BILLS

**सचिव** : मैं (एक) संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पिछले सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद और नमक (संशोधन) विधेयक, 1973

(2) मणिपुर राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973

(दो) सचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पिछले सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की प्रतियां, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत, भी सभा पटल पर रखी :

(1) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय विधेयक, 1973

(2) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1973

(3) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1973

(4) शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1973

---

# 22 अप नई दिल्ली-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस और 39 अप जनता एक्सप्रेस की दुर्घटनाओं के बारे में 4 दिसम्बर, 1972 को सभा को दी गई जानकारी को शुद्ध करने वाला वक्तव्य
## STATEMENT CORRECTING INFORMATION GIVEN ON 4TH DECEMBER, 1972 REGARDING ACCIDENTS TO 22UP NEW DELHI HYDERABAD-DAKSHIN EXPRESS AND 39TH UP JANTA

**रेल मन्त्री (श्री एल० एम० मिश्र)** : मैं 22 अप नई दिल्ली-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रैस और 39 अप जनता एक्सप्रैस की क्रमशः 2 और 3 दिसम्बर, 1972 को हुई दुर्घटनाओं के बारे में 4 दिसम्बर, 1972 को सभा को दी गई जानकारी को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :

**वक्तव्य**

मेरे पूर्ववर्ती मंत्री ने 22 अप नयी दिल्ली-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रैस और 39 अप जनता एक्सप्रैस गाड़ियों के साथ क्रमशः 2 और 3 दिसम्बर को हुई दुर्घटनाओं के बारे में 4-12-1972 को सदन में एक ब्यान दिया था । 22 अप दक्षिण एक्सप्रैस के साथ हुई दुर्घटना के बारे में उन्होंने कहा था कि दो व्यक्तियों को सख्त चोटें आयीं और कि रेल संरक्षा के आयुक्त वीना में 8 दिसम्बर, 1972 से इस दुर्घटना की विधिक जांच करेंगे ।

आयोग द्वारा विधिक जांच उन दुर्घटनाओं के मामले में अनिवार्य होती है जिनमें यात्री गाड़ियां अन्तर्ग्रस्त हों और जिन में जन जीवन की हानि हुई हो और या यात्रियों को सख्त चोटें आयी हों या रेल सम्पत्ति को 50,000 रुपये से अधिक की क्षति पहुंची हो । किन्तु बाद में रेल प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 22 अप नयी दिल्ली-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रैस गाड़ी के साथ 2-12-1972 को हुई दुर्घटना में दो व्यक्तियों को जो चोटें आयी थीं वे मामूली किस्म की थीं । ऐसी स्थिति में विधिक जांच आवश्यक नहीं थी और इसलिये जांच नहीं की गयी । किन्तु यह बता देना चाहता हूं कि रेल प्रशासन द्वारा इस दुर्घटना की जांच पहले ही की जा चुकी है ।

यह ब्यान इस से पहले नहीं दिया जा सका क्योंकि इस दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा के आयुक्त द्वारा न किये जाने की सूचना बाद में मिली थी ।

---

# अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक
# UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

## संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना

**श्री एस० एम० सिद्दय्या:** (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The Motion was Adopted**

---

# रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित
# RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENTS) BILL-INTRODUCED

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश)**: मैं श्री यशवंतराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं ।

"कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The Motion was Adopted**

**श्री के० आर० गणेश:** मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

# नियम 37 के अन्तर्गत मामले
# MATTER UNDER RULE 37

## सूत के मूल्य निर्धारण तथा वितरण में तथाकथित अनियमितताएं

**Shri Madhu Limaye** (Banka): Sir, Lakhs of weavers in Bihar, Manipur, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamilnadu and other states are facing starvation deaths today because of the irregularities and malpractices being committed by the Ministry of Commerce and the textile Commissioner in the matter of Controling the prices and distribution of Yarn. It is not only because of inefficiency but because of the rampant corruptions and dishonesty at high levels. The figures of yarn and cloth which Government have placed on the table of the House are not reliable. These statistics are production of imagination.

The statement of Shri A.C. George which he had given in Parliament in May last that the prices of cloth during April, 1973 and 1973 had shot up by 5.2 per cent, was absolutely wrong.

The prices of Cotton had shot up very high during 1971 but later on they started declining. The prices of yarn, when yarn control order was passed, started increasing after steep fall. Despite this the prices of cotton as compared to 1971 had come down by 50 per cent. But the consumers and cotton grovers were not at all benefited by the fall in the prices of cotton; while on the other hand Mill owners, and black marketeers earned very huge profit and in some cases 1500 per cent profit went to the mills. This is because of the fact that while fixing the prices of yarn the textile commissioner adopted such an attitude which went in favour of the mill owners and instead of taking the average prices as the basis the prices were fixed as were prevailing in the month of December 1972, the highest prices. Apart from this they were given the liberty to demand higher Ex-factory prices.

When a cut on electricity was imposed the mill owners were allowed to increase their prices proportionately but even after the cut was restored in Gujarat and other states the cotton yarn continued to be sold at the increased rates despite the order passed by Government on 13th March 1973 to reduce the prices of yarn.

The Textile commissioner is, statutorily empowered to collect necessary information regarding handlooms and powerlooms and fulfil their requirements countwise. But the textile Commissioner distributed yarn unscrupulously and arbitrarily as a result of which yarn was not given to states which they needed. State-officers, Mill owners, Commerce Ministry and the textile commissioner exported yarn to other states and the neighbouring countries. Some quantity of yarn found its way to Bangla Desh also where the prices were three times higher as compared to those in our country. Therefore, the exporters exploited the entire position.

I, therefore, request the Government that the matter should be entrusted to a Parliamentary Committee to investigate the matter as was done in the Fourth Lok Sabha when such other matters were referred to the Estimates Committee and the Public Accounts Committee. This case should also be referred to the Estimates Committee for a thorough probe.

**Shri Atal Behari Vajpayee** (Gwalior): Sir, I have sought your permission under rule 377 for discussing the matter regarding writ petition admitted by the Delhi High Court challenling the appointment of Shri Ray to the post of Chief Justice of Supreme Court.

**Mr. Speaker:** Matters concerning High Courts shall not be discussed here.

---

# सभा का अवमान करने के कारण दी गई सजा को कम करने के बारे में प्रस्ताव वापस लिया गया

## MOTION RE-REDUCTION OF SENTENCE AWARDED FOR CONTEMPT OF HOUSE WITHDRAWN

**श्री ज्योतिर्मय वसु:** (डायमंडहार्बर) : अपने आपको टी० काम्बले बताने वाले व्यक्ति ने 23 जुलाई, 73 को सभा में पर्चियां फैंकने के कारण उसे दी गई सजा को कम करने के बारे में जो मैंने प्रस्ताव पेश किये हैं उन्हें सरकार स्वीकार करे ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले को सदन में लाने से पहले उससे बातचीत की गई थी किन्तु उसने वक्तव्य देने से इन्कार कर दिया था । उसकी डाक्टरी जांच की गई और वह सब प्रकार से स्वस्थ पाया गया था । मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ था फिर भी उसने बात चीत करने से इन्कार कर दिया था ।

क्या संसद कार्य मंत्री इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं ?

**संसद कार्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया)** : इस सदन की गरिमा रखना और अनुशासन का पालन करना इस देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक माननीय सदस्य का कर्तव्य है । इस बारे में मैंने आज विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत की थी । वे भी मेरे से सहमत थे कि जब वह माफी तक नहीं मांगता तो ऐसी स्थिति में सजा कम करना अनुचित होगा ।

**Mr. Speaker:** Such an indisciplined acts cannot be tolerated in this House. The dignity and decorum of the House must be maintained. Even if he apologises today the sentence awarded to him can be reduced. But he is not prepared to apologise and he has refused to give any statement.

**Shri Ramavatar Shastri :** Reasons should be explained in the House.

**अध्यक्ष महोदय** : इसका कोई कारण नहीं बताया जायेगा । क्या आप इस प्रस्ताव को वापस लेते हैं या नहीं ।

**श्री ज्योतिर्मय वसु** : यह आपके हाथों में है और मैं इसका निर्णय आप पर ही छोड़ता हूं ।

**सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया ।**
**The motion, was, by leave, withdrawn.**

**इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए तीन बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।**
**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock.**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा तीन बजकर दो मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई ।**
**The Lok Sabha then re-assembled after lunch at two minutes past fifteen of the Clock.**

---

**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
**Mr. Deputy Speaker in the Chair.**

# अनुदानों की मांगें-मनीपुर
## DEMANDS FOR GRANTS-MANIPUR

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन में मणिपुर की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा की जायेगी ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : हमें आशा थी कि वित्त मंत्री महोदय विदेश जाने से पहले वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर एक वक्तव्य सत्र के प्रथम दिन या अगले देंगे । सदन में इस बात की चर्चा की गई थी कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की जायेगी । अतः हमें मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता करने से पहले लागू नहीं की जायेंगी ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : हम केवल यही स्पष्टीकरण चाहते हैं और यही शंका है कि वित्त मंत्री महोदय विदेश जा रहे हैं । हालांकि यह कहा गया है कि सरकार अन्तिम निर्णय करने से पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बार फिर वार्ता की जायेगी, इसलिये उनकी यह शंका है चूंकि श्री चव्हाण विदेश जा रहे हैं अतः सरकार बातचीत किये बिना ही कोई निर्णय न कर लें । श्री बनर्जी यही जानना चाहते हैं । कि क्या बातचीत से कोई निपटारा किया जायेगा या नहीं ?

**श्री ए० पी० शर्मा** (बक्सर) : वेतन आयोग की सिफारिशों, चाहे वे द्विपक्षीय या एक पक्षीय वार्ता पर आधारित हों, को लागू नहीं किया जाना चाहिये ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : उन्होंने श्रमिकों की ओर से संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् के उच्चतम स्तर पर 3 अगस्त 1973 को एक बैठक का आयोजन किया है किन्तु एजेंडे में यह मद नहीं है । मैं चाहता हूं कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में श्री के० आर० गणेश आश्वासन दें कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की जानी चाहिये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बहुत समय ले रहे हैं । मंत्री महोदय ने उनकी बात सुनली है ।

**Shri G.P. Yadav:** (Katihar): Sir, Manipur is a border State Presidents' rule was promulgated there in 1971. After a popular Government formed in 1972 the state was again brought under Presidents Rule in 1973. This an end of democracy. Manipur is now facing serious draught conditions. There is unprecedented rise in the prices of essential commodities and Central Government is not making any efforts to ensure that essential commodities are available to the people at fair prices.

Government is not paying any attention towards irrigation which has resulted in the fall of agricultural production.

So far as rural electrification is concerned Government has failed in this regard in Manipur. In such situations people will lose faith in democracy and Central Government shall be responsible for this.

Cultural heritage of Manipur is very rich. Government is not doing any thing to improve the conditions of the tribals. There is no such provision in the budget. The industrial complex is not so much developed. The weavers are facing starvation, because they are not getting any yarn. Thousands of weavers have become unemployed. Therefore immediate steps should be taken to improve their lot. Government should supply yarn of the court which they need so that they may be saved from starvation. Presidents rule should be lifted. Early elections should be held so that popular Government installed there.

The forest wealthy of Manipur is not being exploited. A paper industry should be set up there so that forest resources can be utilised.

**श्री पाओकाई हाओकिप** (बाह्य मनीपुर) : मैं मनीपुर राज्य की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । मनीपुर की समस्याओं के बारे में इस सदन में बार बार चर्चा होती है और मुझे दुख है कि मुझे अब भी वही बातें दोहरानी पड़ रहीं है जिन की चर्चा मैंने पिछली बार की थी ।

वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ है लेकिन उस पर अभी तक पूरा नियंत्रण नही पाया जा सका है । अब भी नागा विद्रोहियों की सी०आर०पी० के साथ मुठभेड़ होती है । इस पहाड़ी क्षेत्र में शांति के बिना विकास कार्य सम्भव नहीं । इसलिये इस राज्य में शांति और सुरक्षा का बनाये रखना अनिवार्य है ।

नागा विद्रोहियों की छानबीन तथा दमन के लिये मणिपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षादलों में वृद्धि की जानी चाहिये ।

जिला परिषदों के चुनाव हो चुके हैं किन्तु अभी तक इनका गठन नहीं किया गया है । विकास कार्यक्रमों को चलाने हेतु इनका गठन शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिये ।

सड़क और संचार व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है । सड़कों के सुधार के बिना विकास कार्य असंभव है । इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि राज्य का उत्थान हो सके । मणिपुर के मैदानी क्षेत्रों के लोग पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों से घुलमिल नहीं सकते क्योंकि वहां कोई भी संचार व्यवस्था नहीं । सरकार को इस राज्य में सड़क निर्माण कार्य की ओर विषेश ध्यान देना चाहिये ।

**Shri Madhu Limye** (Banka): The democratic form of Government can not stay for long in Manipur. The representatives of the Government are ruling the state like Rajas. The aristocratic living of the big officers there is creating a feeling of hatred and suspicion among the people.

The Government has also encroached upon the civil liberties of the people. 34 youngmen have been detained there under different laws. The Government has not so far released them inspite of my appeal made during the last session.

Civil liberties will have to be guaranteed for maintaining normal situation in Manipur.

Nearly one lakh weavers are facing starvation in Manipur because they are not getting yarn. The variety of yarn sent to Manipur by the Textile commission was one which is not generally utilised by the weavers. The Government should pay necessary attention towards the plight of weavers by ensuring timely supply of yarn to them.

The problem of unemployment in Manipur is leading towards violent agitations. The Government should pay necessary attention towards this problem also.

The shortage of power is affecting industries in Manipur. The power projects under execution there need to be completed without delay.

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश)** : मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया । किन परिस्थितियों में वहां राष्ट्रपति राज लागू किया गया इसकी चर्चा इस सदन में हो चुकी है ।

माननीय सदस्यों ने मणिपुर के विकास के बारे में अनेक प्रश्न उठाये हैं । मैं मणिपुर राज्य की वास्तविक समस्याओं को भली प्रकार समझता हूं ।

मनीपुर राज्य में आधारभूत ढांचा तैयार करने तथा विकास सम्बन्धी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई ह । इसके लिये पहली योजना अवधि में 1,55,00,000 रुपयों की व्यवस्था की गई थी जिसे चौथी योजनावधि में बढ़ाकर 30,25,00,000 रुपया कर दिया गया है । इससे विदित होता है कि सरकार इस राज्य के विकास कार्यों में पर्याप्त रुचि ले रही है ।

पिछले कुछ वर्षों में कुछ अन्य कदम भी उठाये गये हैं, जैसे मनीपुर में पांच जिलों का बनाया जाना, जिला अधिकारियों के पद बनाना, प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, संचार बिजली और विकास कार्यों पर बल देना, आदि-आदि ।

मनीपुर की जनता का महत्वपूर्ण कार्य कृषि है तथा मैंने निवेदन किया था कि उठाऊ सिंचाई योजना आरम्भ कर दी गयी है । यह लगभग 1975–76 में पूरी हो जायेगी तथा इससे लगभग 60,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । मई, 1973 में योजना आयोग तथा राज्य सरकार के अधिकारियों में कुछ विचार विमर्श हुआ था जिसके आधार पर 2.5 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि में से 2-2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये व्यापक योजना की जांच की जायेगी । पांचवीं योजना तैयार करते समय राज्य में उपलब्ध नदी जल की सिंचाई के लिये उपयोग करने का प्रयत्न किया गया है ।

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में 1972–73 से दो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जो खांडसारी कारखाने तथा कताई कारखाने से सम्बन्धित हैं । खांडसारी कारखाने में उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है तथा इसमें चालू मौसम में पूरा उत्पादन होना आरम्भ हो जायेगा ।

कताई मिल परियोजना में निश्चित समयानुसार कार्य चल रहा है तथा निर्माण कार्य से लेकर मिल चलाये जाने तक के लिये कुशल कर्मचारियों की भर्ती की गई है । कागज मिल परियोजनाओं के बारे में परियोजना प्रतिवेदन राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा तैयार किये गये हैं । इनमें से एक की दैनिक क्षमता 200 टन लुग्दी होगी तथा दूसरे की 25 टन इंसूलेटिड कागज की होगी । वन संसाधनों के बारे में कृषि मंत्रालय द्वारा पूंजी निवेश पूर्व सर्वेक्षण किया जायेगा ।

इस राज्य में सीमेंट कारखाना स्थापित करने की ओर भी सरकार ध्यान दे रही है । मेरा कहने का आशय यह है कि मनीपुर के विकास के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा रही है किन्तु कुछ प्रक्रिया संबंधी विलम्ब हो रहे हैं तथा कुछ अन्य समस्यायें हैं जिनको दूर किया जाना है ।

जिला परिषदों के बारे में मुझे सूचना मिली है कि जिला परिषदों की आवश्यकता तथा उनके अधिकारों के विषय में पुनर्विचार किया जा रहा है । जिला परिषदों के चुनाव हो गए हैं तथा वे तभी कार्य करना आरम्भ करेंगी जब उनके लिये विषयों के बारे में पुनर्विचार हो जायेगा ।

राज्य के लगभग 2 लाख हथकरघा बुनकरों को लगभग 400 गांठ सूत की आवश्यकता का अनुमान है तथा उसका कांउट 22 से 24 तक होना चाहिये। यह मामला सलाहकार समिति में उठाया गया था, तब से राज्य सरकार बुनकरों को आवश्यक माल सप्लाई कराने का प्रयत्न कर रही है।

**Shri Madhu Limaye:** Kindly make a statement on it after a week.

**श्री के० आर० गणेश :** मैं आपके विचार वाणिज्य मंत्री तक पहुचा दूंगा। इन शब्दों के साथ मैं मांगों को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 5 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए**

**The cut motion Nos. 1 to 5 were put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मनीपुर राज्य की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई**

**The following Demands in respect of the State of Manipur were put and adopted.**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 1. | भूराजस्व | 13,33,000 |
| 2. | राज्य उत्पाद शुल्क | 1,33,000 |
| 3. | मोटरगाड़ियों पर कर | 87,000 |
| 4. | विक्रय कर | 1,26,000 |
| 5. | अन्य कर तथा शुल्क | 5,000 |
| 6. | स्टाम्प | 20,000 |
| 7. | पंजीकरण | 62,000 |
| 8. | संसद्, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल | 7,05,000 |
| 9. | सामान्य प्रशासन | 72,91,000 |
| 10. | न्याय प्रशासन | 2,78,000 |
| 11. | जेलें | 4,67,000 |
| 12. | पुलिस | 2,36,58,000 |
| 13. | नागरिक पूर्ति | 4,34,000 |
| 14. | शिक्षा | 3,70,09,000 |
| 15. | चिकित्सा | 73,34,000 |
| 16. | लोक स्वास्थ्य | 30,89,000 |
| 17. | परिवार नियोजन | 7,37,000 |
| 18. | कृषि और मीनक्षेत्र | 52,28,000 |
| 19. | पशु पालन | 21,57,000 |
| 20. | सहकारिता | 10,33,000 |
| 21. | उद्योग | 31,18,000 |
| 22. | सामुदायिक विकास | 69,60,000 |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 23. | श्रम | 2,83,000 |
| 24. | सांख्यिकी | 5,41 000 |
| 25. | सिंचाई | 16,13,000 |
| 26. | विद्युत | 76,00,000 |
| 27. | लोक निर्माण कार्य (मूल निर्माण कार्य और मरम्मत) | 63,33,000 |
| 28. | लोक निर्माण कार्य (प्रतिष्ठान) | 1,02,33,000 |
| 29. | सड़क परिवहन | 53,33,000 |
| 30. | दुर्भिक्ष | 1,34,000 |
| 31. | पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ | 7,20,000 |
| 32. | लेखन सामग्री और मुद्रण | 6,67,000 |
| 33. | वन | 20,59,000 |
| 34. | विविध | 59,21,000 |
| 35. | लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय | 56,00,000 |
| 36. | सिंचाई, नौवहन तटबन्ध और जल निकासी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय | 1,00,00,000 |
| 37. | बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय | 13,33,000 |
| 38. | विद्युत पर पूंजी परिव्यय | 96,67,000 |
| 39. | सड़कों पर पूंजी परिव्यय | 1,56,67,000 |
| 40. | इमारतों पर पूंजी परिव्यय | 1,84,66,000 |
| 41. | सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय | 5,33,000 |
| 42. | राज्य व्यापार पर पूंजी परिव्यय | 6,74,73,000 |
| 43. | औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय | 37,33,000 |
| 44. | ऋण और अग्रिम | 56,14,000 |

# मनीपुर विनियोग विधेयक, 1973
# MANIPUR APPROPRIATION BILL, 1973.

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिये मनीपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिये मनीपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted**

**श्री के० आर० गणेश** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री के० आर० गणेश** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिये मनीपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिये मनीपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The motion was adopted.**

**खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड एक, अधिनियम नसूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**
**Clauses 2, 3, the schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री के० आर० गणेश** : मैं प्रस्ताव करता हूं :
"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :
"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The motion was adopted**

---

**श्री नरेन्द कुमार साल्वे पीठासीन हुए**
**Shri N.K.P. Selve in the Chair.**

# अनुदानों की मांगें (आंध्र प्रदेश), 1973-74
# DEMANDS FOR GRANTS (ANDHRA PRADESH), 1973-74

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम 1973–74 के लिये आंध्र प्रदेश बजट पर चर्चा तथा मतदान करेंगे ।

**आंध्र प्रदेश राज्य की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव सं० | प्रस्ताव का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | श्री मधु लिमये : | एक ऐसी विधान सभा तथा परिषद् पर, जो कोई उपयोगी कार्य नहीं करती, जनता के धन की बरबादी | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । |
| 10 | 2 | श्री मधु लिमये : | जिला स्तर पर नौकरशाही शासन के स्थान पर लोकतंत्रात्मक स्व-शासन लाने की आवश्यकता | ,, |
| 13 | 3 | श्री मधु लिमये : | विभाजन आन्दोलन का बर्बतापूर्ण दमन | ,, |
| 20 | 4 | श्री मधु लिमये : | एक न्यायपूर्ण मूल्य नीति के अभाव के परिणामस्वरूप रूई, तम्बाकू और अन्य फसलों के उत्पादकों का शोषण | ,, |
| 42 | 5 | श्री मधु लिमये : | नगरपालिकाओं को विकेन्द्रीकृत चार स्तंभ राज्य का एक स्तम्भ बनाने के लिये शक्ति और संसाधनों का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता | ,, |

*श्री बी० एन० रेड्डी: (निहयालगूडा): यह सर्वमान्य सत्य है कि आंध्र प्रदेश में आर्थिक संकट ही नहीं है वरन् राजनीतिक संकट भी है जिससे वहां लोकतन्त्र तथा एकता को खतरा है। केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों द्वारा आंध्र प्रदेश का दौरा करने तथा आंध्र प्रदेश के राजनीतिक नेताओं द्वारा राजधानी में आने का उद्देश्य वहां की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाना न होकर वहां राजनीतिक संकट उत्पन्न करना है। इसके परिणामस्वरूप वहां स्थिति और गम्भीर हो गई है। तथा वहां अनेक दल सक्रिय हो गए हैं। सत्ता की भूख के कारण इस प्रकार आंध्र प्रदेश को हानि पहुंचाई जा रही है। इसी कारण लोग कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल केवल अपनी सत्ता बनाए रखने में रुचि रखता है, उसे वहां की जनता के भविष्य की कोई चिन्ता नहीं है।

जनसंख्या के हिसाब से आंध्र प्रदेश का पांचवां स्थान है जबकि उद्योगों की दृष्टि से इसका 13वां तथा कृषि की दृष्टि से 11वां या 12वां स्थान है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से इसका 14वां स्थान है। अतिरिक्त कर की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। आन्तरिक संकट के कारण आंध्र प्रदेश की स्थिति अत्यन्त खराब हो गई है अन्यथा प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से यह राज्य पर्याप्त रूप से समृद्ध है।

राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में गतिरोध आ गया है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में नियत किये गए 420 करोड़ रुपयों में से 350 करोड़ रुपया अलाभप्रद कार्यों पर खर्च किया गया। विशाखापतनम में 1970-71 में आरम्भ की गई इस्पात परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। कोठागुडम और काकीनाडा में तापीय बिजलीघर और उर्वरक कारखाने की भी यही स्थिति है।

इसी प्रकार पोचम्पाड् परियोजना को 1970-71 में पूरा हो जाना चाहिए था। जिसमें 5 $\frac{1}{2}$ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होनी थी। मंत्रालय के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि यह परियोजना 1975-76 तक पूरी होगी तथा इससे केवल $2\frac{1}{2}$ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इससे सरकार के आंध्र प्रदेश की जनता के प्रति रवैये का पता चलता है।

वर्तमान स्थिति यह है कि वहां केवल 70 प्रतिशत भूमि को सिंचाई सुविधाए उपलब्ध हैं तथा शेष 30 प्रतिशत भूमि के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया जिससे किसानों को भारी कठिनाई हो रही है।

सम्पूर्ण राज्य में सूखे की स्थिति विद्यमान है तथा वहां कृषि उत्पादन में भारी गतिरोध उत्पन्न हो गया है। यहां तक कि उत्पादन का स्तर 1965-66 के स्तर तक नहीं पहुंच सका। सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार 21 जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं जहां $2\frac{1}{2}$ करोड़ जनता रहती है। इस प्रकार अकाल पीड़ितों के लिए कम से कम 34 लाख टन धान की आवश्यकता थी किन्तु उनके लिए पिछली खेप केवल 1,28,000 टन की भेजी गई। अकाल की स्थिति इतनी भयंकर है कि एक परिवार ने कृष्णा नदी में कूद कर आत्महत्या करली। इसके अतिरिक्त और भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जिनका हमें पता नहीं लगा। खाद्य पदार्थों के अभाव के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को भाग रहे हैं वहां की जनता की इतनी दयनीय स्थिति है किन्तु सरकार अपने विकास कार्यों और विभिन्न कार्यक्रमों की डींग हांकती है। सरकार ने जो भी कार्य किया है वह अत्यन्त अपर्याप्त है तथा लोक दिखावा है।

बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों की संख्या 367,000 है जिनमें से 2286 इंजीनियर तथा 1116 मैडीकल स्नातक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी संख्या 10,00,000 से भी अधिक है। यह विभिन्न समस्याएं सत्तारूढ़ कांग्रेस की अवसरवादी नीतियों के कारण और भी गंभीर हो गई हैं। यह दल केन्द्र के साथ-साथ 34 राज्य में भी अपनी सत्ता स्थाई करने का प्रयत्न कर रहा है। सरकार अपने कर्त्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकती तथा मैं उसे सचेत कर देना चाहता हूं कि यदि उसका यही रवैया रहा तो वहां की जनता उनको कभी क्षमा नहीं करेगी।

**श्री पी० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल): खेद का विषय है कि आंध्र प्रदेश के बजट पर यहां चर्चा की जा रही है। वास्तव में इसका पर चर्चा आंध्र प्रदेश विधान सभा में होनी चाहिए थी किन्तु वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मेरा अनुरोध है कि सरकार वहां शीघ्र लोकप्रिय सरकार बनाने का प्रयत्न करे।

मुझे यह जानकार प्रसन्नता होती है कि अब वहां की जनता में यह भावना पनप रही है कि राज्य में एकता स्थापित की जाए। तेलंगाना के नेताओं ने इस बारे में प्रस्ताव रखे हैं तथा सौहार्दपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रयत्न किये

*तेलूगु में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Telugu.

गए हैं। वहां की जनता का प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में विश्वास है तथा उन्हें आशा है कि शीघ्र ही समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान खोज लिया जायेगा।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह परिस्थितियों का यथार्थ मूल्यांकन करे। शिक्षा मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान मैंने हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की मांग की थी। इससे अनेक समस्याएं हल हो सकती थीं किन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान दक्षिण भारत में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये अपनी शाखा स्थापित करेगा। मेरा सुझाव है कि इसकी स्थापना हैदराबाद में होनी चाहिए जिससे इस क्षेत्र के स्नातकों को दाखिला मिल सके।

आंध्र प्रदेश में बिजली की भारी कमी है। अन्य राज्यों में बिजली सप्लाई में कटौती करना बन्द हो गया है किन्तु आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह समस्या अब भी विद्यमान है। इस समय देश में 40 लाख किलोवाट बिजली की कमी है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश को प्रतिदिन 106 लाख यूनिटों की आवश्यकता है किन्तु उसे प्रतिदिन 61 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की जाती है। बिजली की भारी कमी के कारण वहां हजारों कुए बन्द हो गए हैं तथा कृषि और औद्योगिक उत्पादन में भारी हानि हुई है।

कोठागुंडम में तापीय बिजली संयंत्र अप्रैल 1973 में चालू हो जाना चाहिए था किन्तु उसके साथ अन्य कई परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो सकीं। 200 मैगावाट की नागार्जुनासागर परियोजना, 120 मैगावाट की अपर सिलेरू परियोजना तथा 200 मैगावाट की कोठागुडम परियोजना के लिए योजना आयोग ने मंजूरी नहीं दी। सरकार नहीं चाहती कि आंध्र प्रदेश में तापीय बिजली संयंत्र स्थापित किया जाए यद्यपि वहां सभी संसाधन उपलब्ध हैं। विजयवाड़ा तापीय बिजली घर के लिए अत्यन्त उपयुक्त स्थान है जहां कोयला और पानी उपलब्ध है तथा 600 मैगावाट बिजली बनाई जा सकती है। किन्तु योजना आयोग की इसमें कोई रुचि नहीं है।

श्री सेलम पन बिजली परियोजना पर 1963 में 28 करोड़ रुपया लागत आने का अनुमान था किन्तु अब यह राशि 126 करोड़ रुपया हो गई है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी। डा० राव ने इस परियोजना का दौरा किया था तथा उन्होंने सुझाव दिया था कि 1973-74 के लिए 8–10 करोड़ रुपया मंजूर किये जाने चाहिएं। नागार्जुनासागर, पोचम्पड़, वानसागर जैसी अन्य परियोजनाएं भी धनराशि के अभाव के कारण नहीं बन पा रही हैं। रायलसीमा एक पिछड़ा क्षेत्र है तथा हमें कृष्णा नदी का जल भी उपलब्ध नहीं है। वहां एक नहर बनाने का प्रस्ताव था जिसे रद्द कर दिया गया है। इस क्षेत्र के खनिज पदार्थों की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 13000 मिलियन टन चूना पत्थर है। एर्रागुंटला, अकिलाबाद और टांडू में सीमेंट कारखाने खोलने का प्रस्ताव था किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया।

राष्ट्रीय डेरी विकास समिति ने दुग्ध-उत्पादन के दो केन्द्रों की स्थापना के बारे में सम्भाव्यता व्यक्त की थी जिनकी क्षमता 2 लाख लीटर हो सकती थी। इसमें लगभग 50 हजार किसानों को रोजगार मिल सकता है। राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि एक परियोजना को निजी क्षेत्र में रखा जाए जिससे इस क्षेत्र के किसानों को अतिरिक्त आय हो सकती है। किन्तु इनके बारे में भी अभी कोई कदम नहीं उठाए गए।

तेलगांना और रायलसीमा में उर्वरकों के वितरण में भी भेदभाव बरता जाता है। इस बारे में 10 संसद सदस्यों का प्रतिनिधिमण्डल श्री शिंदे से मिला था तथा उन्होंने एच०एम०एल० उर्वरक के 2 : 1 के अनुपात में वितरण के बारे में सहमति व्यक्त की थी। किन्तु एच०एम० एल० ने कृषि मन्त्रालय के इस निर्णय को नामंजूर कर दिया।

इस वर्ष भी आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति है। अभी तक एक बूंद वर्षा नहीं हुई। सरकार ने राहत कार्यों पर 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च किये हैं। किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। गोदावरी बांध टूटने वाला है जिसकी आयु श्री कोटन ने 100 वर्ष बताई थी। यदि यह बांध टूट गया तो आंध्र प्रदेश तबाह हो जाएगा।

मुझे इस बात की प्रसनन्ता है कि दो रेलवे लाइनों की मंजूरी दी गई है। मेरा सुझाव है कि कुछ अन्य छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाना चाहिए।

भूमि सुधार कार्यक्रम को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए तथा हरिजनों में वितरित करने के लिए भूमि का अति-शीघ्र अर्जन किया जाना चाहिए।

**श्रीमती गायत्री देवी :** (जयपुर): चार विभिन्न राज्यों के बजट पर लोक सभा में विचार किया जाना बहुत ही दुःख की बात है, यह संविधान का उल्लंघन किये जाने का परिणाम है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुमत प्राप्त दल होने के बावजूद, राष्ट्रपति का शासन लागू है, केन्द्र द्वारा राज्यों के लिए चुने गए मुख्य मंत्रियों को अपने राज्यों से कोई राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं है और इसी लिए वे अपनी सत्ता को बनाये नहीं रख सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वहां अराजकता की स्थिति है। आंध्र प्रदेश के दो समुदाय राज्य का बटवारा चाहते हैं। क्या जनमत संग्रह के माध्यम से यह नहीं पता लगाया जा सकता कि अधिकांश लोगों की राय क्या है, बजाय इसके कि वहां दर्दनाक हत्याएं, लूटपाट, और आगजनी की घटनाएं हों ? इनमें से किसी बात पर विचार किये बिना राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इस प्रकार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार इस देश पर शासन करने में पूरी तरह असफल रही है। यहां खाद्यान्न नहीं, बिजली नहीं, कानून और व्यवस्था नहीं और वे संविधान का उल्लंघन करते जा रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा। यदि सरकार स्वयं संविधान का उल्लंघन करती है तो अन्य लोग भी करेंगे और इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा तथा कानून और व्यवस्था बनाये नहीं रखी जा सकेगी।

***श्री के० सूर्यनारायण** (एलूरू) : प्रधान मन्त्री द्वारा 27 फरवरी को दिये गए वक्तव्य के बाद आंध्र प्रदेश की जनता ने उनके नेतृत्व में विश्वास करके अपने आन्दोलन को स्थगित कर दिया था। यदि इस समस्या का समाधान शीघ्र न निकाला गया तो मुझे आशंका है कि वह आन्दोलन फिर न आरम्भ हो जाये। यदि दो समुदायों में कोई समझौता नहीं हो सकता तो उनका शान्तिपूर्ण, ढंग से अलग हो जाना ही अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति मिलकर रहना चाहेगा परन्तु यदि ऐसा करना सम्भव नहीं तो बार-बार एकता की रट लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। आंध्र विधान सभा के हितों की रक्षा करने के लिए गठित समिति की बैठक 13 जुलाई, 1973 को हुई थी। हमको दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1972-73 में माध्यमिक शिक्षा के लिए 52 लाख रुपए नियत किये गए थे। पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि हमारे जिले में गत तीन वर्षों में 90 स्कूलों के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया था कि कोई भी व्यक्ति धर्मार्थ होस्टल चला सकता है। इस सम्बन्ध में मैंने होस्टलों और स्कूलों की सूची प्रस्तुत की है और सरकार से आवश्यक धन राशि मंजूर करने के लिये अनुरोध किया है। सरकार ने वर्ष 1969 में 53 स्कूल चलाने वाले एक धर्मार्थ न्यास के लिये ऋण के रूप में 1,69,000 रुपये की धनराशि मंजूर की थी। यह न्यास इन स्कूलों को चलाने के लिये सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों पर निर्भर करता है। मुझे पता चला है कि वे अध्यापकों को वेतन भी नहीं देते हैं केन्द्रीय सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके द्वारा दिये गये 1,70,000 रुपए के ऋण का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाये जिसके लिए वह दिया गया था।

वर्ष 1967 में जब मैं संसद सदस्य बना था तो कुछ लोगों ने मिलकर एक जाली सहकारी समिति बनाई थी जिसने लगभग 6 लाख 30 हजार रुपए का गोलमाल किया था। इस समिति को आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भूमि दी थी। जिस व्यक्ति को 6 लाख 30 हजार रुपए का ऋण दिया गया था, उसने भूमि को साफ करने के लिए अपने बेटे को 3 लाख रुपए का ठेका दे दिया। अब धनराशि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिला कलक्टर को लिखा। परन्तु जब मैंने शिकायत की तो कलक्टर ने भुगतान रोक दिया। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस प्रकार व्यक्तियों या जाली संस्थाओं को ऋण देने से पूर्व अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की सिफारिश पर, भरोसा करके यह कार्यवाही की थी।

कालेरू लेक में बहुत उपजाऊ भूमि है जिस पर कुछ जाली समितियों ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। मैंने इस बात की जानकारी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को भी दी है। यदि सरकार जाली सहकारी समितियों का नेतृत्व करने वाले कुछ व्यक्तियों के गलत इरादों को रोकने के लिए उचित कार्यवाही नहीं करती तो लोगों का सरकार से विश्वास उठ जायेगा कि वह प्रगतिशील नीतियों को क्रियान्वित कर सकेगी। जहां तक परिवहन समस्या का सम्बन्ध है, सरकार को सभी बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

---

*तेलुगु में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

आंध्र प्रदेश में 120 चावल मिलें हैं जो सरकार की सहायता से स्थापित की गई थीं। हमें एक प्रश्न के उत्तर से पता चला है कि केवल 23 मिलें चल रही हैं। इसके क्या कारण हैं? आंध्र राज्य में कोई प्रतिनिधि सरकार न होने के कारण ही केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। आन्ध्र प्रदेश में इतना चावल पैदा हो सकता है कि वह देश के अन्य भागों को भी फालतू चावल उपलब्ध कर सकता है। इससे आयात की मात्रा भी कम हो सकती है और परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है।

नागार्जुन सागर परियोजना वर्ष 1953 में आरम्भ की गई थी और अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकार को गोदावरी पर एक नया बांध बनाना चाहिए अन्यथा उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल जायेगी। राज्य सरकार के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं जिनसे वे इस प्रकार की परियोजनाएं आरम्भ कर सके। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सभी संकट ग्रस्त चावल मिलों को अपने नियंत्रण में ले ले।

आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम का कार्य संतोषजनक नहीं है। सरकार को उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चावल उपलब्ध करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि हमें उत्पादक उपभोक्ता सहकारी समितियां चलाने की अनुमति दी जाए। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि मैं उन्हें कुशलतापूर्वक चलाऊंगा और आवश्यक सुधार करके दिखाऊंगा। सरकार को वसूली के मामले में अपने एजेंटों के माध्यम से सीधे उत्पादकों के साथ सौदे करने चाहिए क्योंकि भारतीय खाद्य निगम का काम संतोषजनक नहीं है।

हमारे गांव में जो चावल 100 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है वह हमारे राज्य में कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में 125 रुपए की दर से बेचा जाता है। इन परिस्थितियों में छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों का सरकार पर कैसे विश्वास रह सकता है? भूमि का भूमिहीन व्यक्तियों में समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के व्यक्तव्य के अनुसार वितरण के लिए 50 लाख एकड़ फालतू भूमि उपलब्ध होगी। हमारे जिले में जो सरकारी भूमि है वह एक सहकारी समिति को सौंप दी जानी चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो मैं इस बात का वचन देता हूं कि हम सरकार से खाद बीज आदि के लिए जो ऋण लेंगे, उसे दो वर्षों की अवधि में लौटा देंगे और इसके अतिरिक्त, लाभ भी दिखाएंगे। अतः सरकार को इस प्रकार की अच्छी योजनाएं क्रियान्वित करनी चाहिए। केवल बातें करने से अथवा अध्यादेश जारी करने से कोई लाभ नहीं होगा।

सरकार को आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के कार्यकरण की जांच करनी चाहिए। आप यह जानकर हैरान होंगे कि कलकत्ता में मछली 7 रुपए किलो बिकती है परन्तु मछली पकड़ने वाले को 1 रुपए के हिसाब से दाम मिलते हैं। मत्स्यपालन विभाग को इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिए। मुझे पता चला है कि उक्त विभाग ने सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है परन्तु सरकार धन के अभाव के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सकी।

**Shri Ishaque Sambhali** (Amroha) : I would like to highlight the problem of food in Hyderabad. It is strange that rice producing areas are facing shortage of rice and today the rate of coarse rice is Rs. 2.50 to Rs. 3.00 per kg. in Hyderabad. Food corporation of India Purchases rice at the rate of Rs. 84.00 per quintal and supplies it to the shop keepers at the rate of Rs. 170.00 per quintal. I think that administrative surcharge should not be more than Rs. 6.00. Will Shri Shinde let me know as to when this practice will be stopped ? There is no justification for charging high prices to this extent. F.C.I. should not charge more than Rs. 100 a quintal.

The number of agricultural labourers is perhaps highest in Andhra Pradesh. He is not getting more than Rs. 3.00 throughout the state. He does not get any bonus, no promotion and no guarantee to get work throughout the year. What action has been taken to improve their lot? The only way is nationalisation of rice mills. Nizam and Birlas are having big farms in their names. I would suggest that land of Nizam and Birla farms should be distributed to the landless. What is the difficulty in taking this step?

Although Telangana is a backward region yet no attention has been paid to the setting up of industries in that region. I have come to know that all the judges of Andhra High urt belong to Andhra region and more belongs to Telangana region. In case this information is

corret, it is great injustice and discrimination against the people of Telangana region. Government should take necessary steps to remedy the situation. Government should pay more attention to the completion of Nagarjunasagar project to increase irrigation and power-resources. They should improve food situation in Andhra Pradesh, stop the loot by capitalists, set up industries, stop the atrocities being committed on agricultural labour and industrial labour.

**श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** (नलगोंडा) : यह बड़े खेद की बात है कि यह बजट राज्य विधान सभा की बजाय लोकसभा में पेश किया गया है। जैसाकि मैंने बजट पर अपने पिछले भाषण में कहा था, 90 करोड़ रुपए की मंजूरशुदा राशि में से राज्य सरकार ने केवल 78 करोड़ रुपए खर्च किये थे और 20 करोड़ रुपए की राशि व्ययगत हो गई है।

[ **श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए**
**Shri S.A. Kader** *in the chair* ]

इससे पता चलता है कि सरकार को राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं है। बल्कि वे आन्तरिक झगड़ों में रुचि रखते हैं। परन्तु अब राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद उनकी उनमें भी रुचि नहीं रही।

हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने नारीकुडा से बीबीनगर तक रेलवे लाइन बिछाने और मछेरला से गुन्तूर तक मीटरगेज लाइन को बदलने की मंजूरी दी थी। परन्तु इस बजट में उक्त लाइन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए इस प्रयोजन के लिए बजट में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए ही नहीं बल्कि गत 4—5 वर्षों से ये क्षेत्र अकाल और सूखे से भी पीड़ित हैं। अकाल और सूखे से राहत के लिए इन क्षेत्रों के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए नियत किये जाने व और राहत कार्य जनवरी, 1974 तक जारी रहने चाहिए।

इस बजट में बिजली प्र र में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वहां बिजली की सप्लाई काफी कम कर गई और इस पर दरों में वृद्धि रना बहुत अनुचित होगा। अतः यह वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

जहां तक अनाज का सम्बन्ध है, उचित मूल्यों की दुकानों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण और पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध न होने के कारण, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, अत पर्याप्त मात्रा में अनाज सप्लाई करने और उचित मूल्यों की दुकानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। अन्तर्जिला पाबन्दियां लगाये जाने से मूल्यों में और वृद्धि होगी। अतः इस प्रकार की पाबन्दियां तुरन्त हटा ली जानी चाहिएं।

**Shri Jagannathrao Joshi** (Shajapur) : An hon'ble Member has suggested limited dictatorship for a limited period of time. We do not know as to when would it come but it seems an experiment is being carried on about limited democracy. The Legislative Assembly has not been dissolved but has been suspended. The members are there but there is no Assembly. A provision has been made for the expenditure but there is no work for them. They will be paid without any work. What sort of socialism it is? We are against concentration of power, whether it is economic or political. It is strange that election for the leader of a party is held in some state, but the ballot papers are flown to Delhi. It is not proper in a democracy. This system should be changed.

Now Andhra Pradesh is quiet but no efforts are being made to solve the problem. It seems they do not like to examine the problem in peaceful atmosphere. We have not been able to provide drinking water to many villages even after planning for twenty years. There is so much mineral wealth in Rayalaseema but who will exploit it? Panchampapore can provide maximum benefit to Telengana. The power project has not been completed there. If popular government could not undertake any developmental plan in the above regions, then who will do it? Upper Krishna canal is the only canal providing irrigation facility for the district.

The weavers of Rayalaseema are facing acute shortage of yarn. Had there been any popular Government, it could have looked into their problems but now who would take care of them? Bifurcation is the only solution of Andhra problem. It will not effect the integrity

of our country. It is just a question of an administrative set up. The people should not be deprived of their rights. This is an immoral act. In view of this, I would suggest that fresh elections should be held in Andhra Pradesh or a new leader should be elected so that all the problems of Andhra Pradesh could be solved.

**श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा:** (खम्मम): यद्यपि यह प्रतीत होता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो गई है तथापि मेरा अनुभव यह है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन प्रति दिन खराब हो रही है। साम्यवादी (मार्कसवादी) और नक्सलवादी लोग देहातों में कांग्रेसी नेताओं का सफाया करने में लगे हैं। निर्दोष लोगों की हत्या की गई है।

**श्री बी० एन० रेड्डी** (निरयालगूडा): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बजट पर चर्चा के दौरान हमें केन्द्रीय सरकार का ध्यान राज्य की स्थिति की ओर दिलाना चाहिए। वह जो कुछ कह रही है उसका इसके साथ क्या सम्बन्ध है?

**सभापति महोदय:** इस समय सभा आन्ध्र प्रदेश के बजट पर चर्चा कर रही है और माननीय सदस्यों को अपने आप को इसी विषय तक सीमित रखना चाहिए। परन्तु मैं देख रहा हूं कि दोनों ओर से बहुत सी असंगत बातें कही जा रही हैं। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस चर्चा में दलगत विषय न लायें।

**श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा:** हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम बेरहमी से मारे जा रहे लोगों के संरक्षण के लिए मांग करें। दो वर्षों की अवधि में लगभग बीस व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। वारंगल में नक्सलवादियों का खतरा बढ़ रहा है। अत: केन्द्रीय सरकार को कानून और व्यवस्था की स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। नक्सलवादी अब जंगलों से मैदानी क्षेत्रों की ओर आ गये हैं। नालगोंडा काममम तथा वारंगल के लोगों के लिए दूरस्थ स्थानों पर ठहरना असम्भव है क्योंकि उन्हें नक्सलवादियों का भय सताता रहता है।

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विधान सभा सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार होता है। उनके टेलीफोन काट दिये गए हैं। उनका मकान का किराया भी बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी समय तक सामान्य नहीं रही। केवल लोकप्रिय सरकार द्वारा ही इन समस्याओं का समाधान सम्भव है। कोठाकुडम परियोजना का काम तीव्र गति से चलाया जाना चाहिए। स्नात्तकोत्तर चिकित्सा कालेज भी खोला जाना चाहिए। सरकार को विकास सम्बन्धी ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनकी प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली में आस्था बनी रहे।

मुल्की नियम समस्या के बारे में हमें जरा उदातरा से काम लेना चाहिए। हम सब भाई हैं और हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : Neither the democratic government is allowed to function nor the Vidhan Sabha has been dissolved in Madhya Pradesh.

The Prime Minister has complicated the problem of Andhra and Telangana. The Government should not make this matter a prestige issue and form two new states in order to fulfill the wishes of the people.

Perhaps the hon. member Shri Shashi Bhushan means complete dictatorship by the term 'limited dictatorship' used by him now when many states are already under the President's rule.

The power should be decentralised by vesting more powers in the councils, Municipalities and Gram Panchayats. We have been practising the democracy only at the national and state level without conferring powers on the various local bodies upto the Distt. level. The post of collector should be abolished immediately.

Civil liberties in Andhra and Telangana are being suppressed. The Government and the police have been committing atrocities but we do not discuss the same here. Also the Harijans are subjected to atrocities at the hands of higher classes. There are no fundamental rights for the week and the down trodden.

We have been earnning foregin exchange on tobacco and 95 per cent of the production comes only from Andhra which is exported to more than 50 countries. The tobacco trade is entirely in the hands of foreign countries. The tobacco growers are being exploited by these companies. The Govt. should take necessary steps to put an end to this type of exploitation.

The farmers are also being exploited in the matter of other major products like Arandi and caster seeds. The S.T.C. which has taken over the trade of Arandi seeds. The S.T.C. has been exporting four thousand tons of seed by paying Rs. 7500 per ton to 4 or 5 shippers where as the market rate is only Rs. 5000 per ton. The exploitation is alarming. All these things should be enquired into.

No country can become socialist by nationalising particular number of companies.

**श्री ०पी ०वी० जी० राजू** (विशाखापत्तनम): मुचकुंड परियोजना आन्ध्र और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। मैं चाहता हूं कि मुचकुंड परियोजना के अधीन एक संयुक्त अणुशक्ति विद्युत परियोजना का विकास किया जाये।

मेरे विचार में आन्ध्र प्रदेश की ओर कुघाटी में पाईन एपल की पैदावार अच्छी हो सकती है। मैंने श्री शिंदे को यह सुझाव दिया था। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

हमें औद्योगिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस लिए मेरा सुझाव है कि श्यामलकोट से विजग तक पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए। इससे बिजग इस्पात कारखाने की आवश्यकता पूरी होगी।

**Shri M. Ram Gopal Reddy** (Nizamabad) : The wishes of the people of Andhra Pradesh have been undergoing change very frequently and it is not possible to fulfil their wishes every time. Now they want two different states *i.e.*, Andhara and Telangana.

The suspension of Andhara Assembly is in accordance with constitutional provision.

Many things have also been said about the law and order situation in Andhra. The situation their is quiet normal except Khamam.

There is no shortage of foodgrains in Andhra. Free movement of foodgrains from one place to another should be allowed there. Andhra is also suffering from the shortage of manure. The ban imposed on manure by the state Government should be lifted.

***श्री एस०डी० श्यामसुन्दरम्:** (थंजावूर): यह बात कितनी विचित्र है कि आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के होते हुए भी, जिसे भंग नहीं किया गया है, इस सभा को वहां के बजट पर चर्चा करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में देश में प्रजातन्त्र के विकास में बाधा पड़ रही है। प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के $7\frac{1}{2}$ वर्षीय राज्यकाल में राज्यों में 22 बार राष्ट्रपति राज लागू किया गया है। इसका अर्थ क्या है? बार बार राष्ट्रपति राज लागू करने से लोग प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को संदेह की दृष्टि से देखने लग गए हैं। राष्ट्रपति राज हमेशा सत्तारूढ़ दल ने अपने हितों का ध्यान रखते हुए लागू किया है।

तमिलनाडु के लोग केन्द्रीय सरकार से चाहते थे कि वहां की राज्य सरकार के विरुद्ध एक जांच आयोग की नियुक्ति की जाये। इसके फलस्वरूप वहां के लोग केन्द्रीय सरकार में विश्वास खो बैठे हैं।

आन्ध्र में आज कृषि, औद्योगिक विकास तथा सामाजिक उत्थान का कार्य आज राज्य की राजनैतिक अस्थिरिता का शिकार बन गये हैं। वहां की कानून और शांति की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।

केवल लोकप्रिय सरकार ही लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। केन्द्रीय सरकार को शीघ्र ही राष्ट्रपति राज समाप्त कर देना चाहिए तथा लोगों के अपनी पसन्द की सरकार बनाने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

---

# कार्य मंत्रणा समिति

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

30वां प्रतिवेदन

**संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरमैया)**: मैं कार्य मन्त्रणा समिति का 30वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

**इसके पश्चात लोक सभा बुद्धवार, 25 जुलाई, 1973/3 श्रावण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 25th July, 1973/ Sravana 3, 1895 (Saka)**

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Tamil.

MGIPNLK—7/Lok Sabha/73—8-11-73—490-copies.